



HARYANA VIDHAN SABHA
COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI
RAJ INSTITUTIONS
(2022-2023)
(18TH REPORT)
ON
ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) &
URBAN LOCAL BODIES (ULBs) FOR
THE YEAR 2011-12 TO 2018-19
AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT) HARYANA
AND
ANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL AUDIT
DEPARTMENT HARYANA ON THE ACCOUNTS OF
URBAN LOCAL BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ
INSTITUTIONS (PRIs)
FOR THE YEAR 2015-16
AUDITED BY THE DIRECTOR, LOCAL AUDIT
DEPARTMENT, HARYANA
(Presented to the House on 21st March, 2023)
HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH, 2023

TABLE OF CONTENTS			
		Paragraphs	Page(s)
Composition of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions			(iii)
Introduction			(v)
Importance, Working & Functions of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions			(vii)
Report			1
Sr. No.	Name of the Department (i) Urban Local Bodies (ii) Development & Panchayats	Paragraphs	
	(Part-I)		
1.	Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 & 2016-17, audited by the Principal Accountant General (Audit) Haryana, Urban Local Bodies Department, Haryana.	1-7	3-14
	(Part-II)		
2.	Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2017-18 & 2018-19, audited by the Principal Accountant General (Audit) Haryana, Urban Local Bodies Department, Haryana.	8-38	15-56
	(Part-III)		
3.	Annual Audit Report of the Local Audit Department, Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015-2016, (Part-II (A), Gram Panchayats, audited by the Director, Local Audit Department, Haryana.	39-48	57-206
	(Part-IV)		
4.	Annual Audit Report of the Local Audit Department, Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015-2016, (Part-II (B), Panchayat Samiti) and (Part-II (C), Zila Parishad audited by the Director, Local Audit Department, Haryana.	49-53	207-233
Appendix:— Pending paragraph, Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions, Urban Local Bodies Department & Development & Panchayats Department, Haryana.			234-238

**COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES
AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS
(2022-2023)**

Chairperson

1. Shri. Narender Gupta, M.L.A.

Members

2. Shri Ghanshyam Saraf, M.L.A.
3. Shri Bishan Lal Saini, M.L.A.
4. Smt. Seema Trikha, M.L.A.
5. Shri Bishamber Singh, M.L.A.
6. Shri Neeraj Sharma, M.L.A.
7. Shri Surender Panwar, M.L.A.
8. Shri Rakesh Daultabad, M.L.A.
9. Shri Dura Ram, M.L.A.

Special Invitee

1. Shri Mamman Khan, M.L.A.
2. Shri Jagdish Nayar, M.L.A.

Secretariat

1. Shri Rajender Kumar Nandal, Secretary
2. Shri Jagtar Singh, Under Secretary

* Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., has resigned from the Membership of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions on 04th May, 2022 and his resignation has been accepted by the Hon'ble Speaker w.e.f. 05th May, 2022 vide Notification No. HVS/LB/PRIC-1/2022-2023/48, dated 05th May, 2022.

** Shri Dura Ram, M.L.A. were nominated as Member and Shri Mamman Khan, M.L.A as Special Invitee of the Committee w.e.f. 11th May, 2022 for the remaining period of the year 2022-23 vide Notification No. HVS/LB/PRIC-1/2022-2023/56, dated 11th May, 2022.

*** Shri Jagdish Nayar, M.L.A., was nominated as Special Invitee of the Committee w.e.f. 28th September, 2022 for the remaining period of the year 2022-23 vide Notification No. HVS/LB&PRIC-1/2022-2023/81, dated 29th September, 2022.

INTRODUCTION

1. I, **Narender Gupta** Chairperson of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions, having been authorized by the Committee to present this 18th Report on the account of Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, & Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2017-18 & 2018-19, audited by the Principal Accountant General (Audit), Haryana, Urban Local Bodies Department, Haryana. and Annual Audit Report of the Local Audit Department, Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015-2016, (Part-II (A), Gram Panchayats), (Part-II (B), Panchayat Samiti) and (Part-II (C), Zila Parishad audited by the Director, Local Audit Department, Haryana.
2. The Committee examined/scrutinized of the Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, & Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2017-18 & 2018-19, audited by the Principal Accountant General (Audit), Haryana, Urban Local Bodies Department, Haryana. and Annual Audit Report of the Local Audit Department, Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015-2016, (Part-II (A), Gram Panchayats), (Part-II (B), Panchayat Samiti) and (Part-II (C), Zila Parishad audited by the Director, Local Audit Department, Haryana as per details given in the Report and its annotated reply submitted by the concerned department. The Committee has gone into the details of the matter and has tried its level best to make its observations/recommendations strictly as per the information/record produced before the Committee by the concerned quarters and as per law.
3. **The Committee considered and approved this Report in its meeting held on 10th March, 2023.**
4. A brief record of the proceedings of the meetings of the Committee has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.
5. I, as Chairperson of the Committee, place on record the appreciation for all the Members of the Committee for their cooperation and valuable suggestions for the consideration of Annual Technical Inspection Reports & Annual Audit Reports.

6. The Committee places on record its appreciation for the assistance rendered to it by the Principal Accountant General (Audit), Haryana and Director, Local Audit Department, Haryana and her/his officers. The Committee would like to express its thanks to the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Local Bodies Department and the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Development & Panchayats Department and other Officers/officials of both the departments who appeared for oral evidence before the Committee for their cooperation and information given by them.

7. The Committee is also thankful to the Officer/officials of the Haryana Vidhan Sabha, Secretariat for their whole hearted co-operation and assistance given by them to the Committee.

**CHANDIGARH:
THE 10TH MARCH, 2023**

—sd—
**NARENDER GUPTA,
CHAIRPERSON**

IMPORTANCE, WORKING AND FUNCTIONS OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

INTRODUCTION:

The Local Bodies & Panchayati Raj Institutions Committee consists of nine MLAs from the different political parties. The Chairperson of the Committee is appointed by the Hon'ble Speaker from amongst the Members of the Committee. The term of the office of Members of the Committee is for one year. In the meeting of the Committee, in absence of the Chairperson, any one member of the Committee is chosen to preside over the meeting and Quorum for holding the meeting of the Committee is of three members.

IMPORTANCE:

The importance of the Local Bodies & Panchayati Raj Institutions Committee to see that a large sum of money that has been spent on Local Bodies or the Panchayati Raj institutions is spent for the welfare of the people and also to watch and supervise that whether the affairs of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions are being managed in accordance with the provisions of law.

WORKING:

The Committee on Local bodies and Panchayati Raj Institutions has been constituted for the examination of the Audit Reports and Accounts of Local Bodies which include Notified Area Committees, Municipal Committees, Improvement Trusts and Municipal Corporations and Panchayati Raj Institutions which include Panchayat Samities and Zila Parishads. The Committee is assisted by representatives of the Local Audit Department, Haryana at the time of oral examination of the departmental representatives.

FUNCTIONS:

The functions of the Committee on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions Committee are laid down in Rule 273 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislature Assembly which are reproduced below:-

- (a) to examine the audit reports and accounts of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions as may be selected by the Committee;
- (b) to examine the reports, if any, of the Examiner, Local Fund Accounts laid on the Table of the House;
- (c) to examine in the context of autonomy, whether affairs of the Local Bodies or the Panchayati Raj Institutions are being managed in accordance with the provisions of law; and
- (d) to examine any other aspect of the working of any Local Body or the Panchayati Raj Institution, as may be referred to it by the Speaker.

The Committee goes through the various paragraphs relating to embezzlements, misappropriations and defalcations etc. and give its observations/recommendations on various issues. After examining the replies, the Committee prepares its report and presents it to the House during the Assembly Sessions of Haryana Vidhan Sabha.

REPORT

GENERAL

The Committee on the Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2022-2023 consisting of Nine Members under the Chairmanship of Shri Narender Gupta was nominated by the Hon'ble Speaker on 20th April, 2022 vide Notification No. LB&PRIC-1/2022-2023/28 dated 20th April, 2022.

The Committee held total 34 meetings during the year 2022-2023 till the finalization of the Report.

Part-I

**17TH REPORT OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA
FOR THE YEAR 2021-22, ANNUAL TECHNICAL INSPECTION
REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS &
URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2011-12 TO 2016-17
AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
HARYANA, URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA**

**17TH REPORT OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA FOR THE
YEAR 2021-22, ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & URBAN LOCAL BODIES FOR THE
YEAR 2011-12 TO 2016-17 AUDITED BY THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA,
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA**

[1] Para No. 4.1.1 (2011-13) Non-realization of rent Rs. 42.11 Lakhs

Any amount which is due to Municipalities and remains outstanding, the Executive Officer/Secretary may serve the notice of demand upon concerned persons. Any sum due for recovery, shall without prejudice to other mode of collection, be recovered as arrear of land revenue as provided under section 98 of Haryana Municipal Act, 1973.

During audit it was noticed that an amount, Rs. 42.11* lakhs were pending on account of rent from shopkeepers pertaining to the period from April 2010 to March 2012 as on July 2013 in Municipal Council, Jind and Municipal Corporations, Karnal and Yamunanagar. The municipalities stated (July 2013) that efforts were being made to recover the balance amounts by issuing notices to the shopkeepers

The Committee has desired that para at Sr. No. 4 (in respect of MC Jind) be kept pending as sincere efforts be made to recover the outstanding amount in account of rent of shops within a specific time frame.

The Department in its written reply stated as under: -

Sr. No.	Amount to be recovered	Amount recovered	Balance	Remarks
1.	17,79,875 (38 Shops)	16,56,510 (35 Shops)	1,23,365 (3 Shops)	A sum of Rs. 17,79,875/- was pending as on 31.03.2012 against about 38 shopkeepers. Out of these total Rent have been recovered from 35 shopkeepers & notices have been issued to rest of these three shopkeepers/tenants
2.	9,50,421 (1 Shop)	0.00	9,50,421	An amount of Rs. 9,50,421/- was due towards Shri Ranbir S/o Shri Bharat Singh and Hon'ble Court decided to the effect that recovery of Rs. 9,50,421/- be made by attaching the property of the defaulting shopkeeper. But no land or Building was on his name. As such this amount is not recoverable.
3.	69,468 (2 shops)	0.00	69,468	Recovery of Rs. 69468/- against 02 shopkeepers is under consideration with the Hon'ble

				Court.
4.	2,91,705 (29 Shop)	0.00	2,91,705	Recovery of an amount of Rs. 2,91,705/- was due towards 29 shopkeepers who have left the shops vacant & ran away. No address is available where they are residing. These 29 shops were re-allotted by way of open auction. As such this amount is not recoverable.
Total	12,42,126	16,56,510	1434959	

The Committee has desired that para Sr.No.-1, 2, 3 & 4 be kept pending and sincere efforts be made to recover the outstanding amount on account of rent of shops within a specific time frame.

[2] Para 4.9 Encroachment of land (2011-13)

The land under the ownership of MCs should be free from all encroachments. In case of any encroachment or unauthorized occupation by any person/bodies, the committee should take timely action for getting the same freed from encroachment under Section 408-A of Haryana Municipal Corporation Act, 1994 and Section 181 of Haryana Municipal Act, 1973. Scrutiny of records of two ULBs showed that 97.15 Acre of land costing Rs. 106.82 crore was under encroachment as of March 2012 as per details given in Table 15:

Name of ULB	Land under encroachment (In acres)	Value of land (Rs. In crores)
Municipal Corporation, Gurgaon	77.55	101.16
Municipal Committee, Rania	19.50	5.66
Total	97.15	106.82

On this being pointed out by Audit, the MC, Gurugram stated (October 2012) that suitable action regarding vacation of land from encroachment has been initiated against encroachers. MC, Rania stated (November 2013) that the land had been under encroachment before the constitution of the MC. The fact, however, remains that the municipalities failed in getting the land free from encroachment.

The Committee has desired that the para be kept pending as the court proceeding with regard to release of 14 acre from encroachment is still going on and efforts are being made by the department for release of 28.64 acre of land.

The Department in its written reply stated as under: -

Gurugram	<ol style="list-style-type: none"> The total land measuring 77.65 acres is under encroachment and out of which land measuring 13.39 acres has been got free from encroachment. 21-52 acres gair maurusi land has been acquired by HSVP & HSIIDC.
-----------------	--

	<p>3. Court Case in pending on 14.10 Acre of Land.</p> <p>4. Action is being taken for removal of encroachment on 28.64 acres land.</p>
Rania	Residential houses have been built up since the time of Panchayat and before the constitution of Municipal Committee, Rania. MC has got done the demarcation of the said land. Notices to encroachers have been issued.

The Committee has desired that the latest status be submitted to the Committee at the earliest possible.

[3] Para No. 4.2.2.4 Loss of revenue due to inaction (2015-16)

Provision contained in the Chapter XVIII of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 read with the Section 352 (2) of the Act and Section 128 of Haryana Municipal Act, 1973 provide that various trades, commercial activities, etc; can only be performed in Municipal areas after getting permission/license for these purposes and payment of requisite fee. Further, paragraph IX.2 and IX.3 of the Municipal Account Code, 1930 provide that proper record/registers in Form License-I, II and III are to be maintained and no license shall be issued for a period of more than a year. Scrutiny of records revealed that: In Municipal Corporation, Panchkula and Gurgaon, trades and commercial activities had been running in the municipal areas. Audit observed that MC, Panchkula, since its existence (March 2010) had not made any provision for charging licence fee on commercial activities as of March 2016. This has resulted in loss of revenue of Rs. 6.28 crores (Appendix 12) (calculated on the basis of licence fee fixed by MC, Ambala). In MC, Gurugram Rs. 0.36 crore was outstanding on this account. In 12 municipalities*, the number of units carrying out commercial activities had not been assessed. The Executive Officers/Secretaries of these municipalities stated (March-July 2016) that license fee is charged on those units who applied for licenses; survey to identify the commercial units was not conducted. Hence, it could not be ensured whether all units carrying out commercial activities had been charged with license fee. Six municipalities** had identified 533 license units and license fee of Rs. 8.51 lakhs was recoverable from them. Thus, revenue on account of the license fees for commercial activities remained untapped.

* (i) Kaithal, (ii) Jind, (iii) Shahabad, (iv) Pehowa, (v) Ladwa, (vi) Nissing, (vii) Dharuhera, (viii) Sampla (ix) Bawanikhera, (x) Gharaunda, (xi) Jhajjar and (xii) Mahendergarh

** (i) Pundri : Rs. 0.83 lakh of 30 units, (ii) Kalanwali : Rs. 3.09 lakhs of 57 units, (iii) Rania : Rs 0.28 lakh of 42 units, (iv) Mahendergarh : Rs 2.47 lakhs of 273 units, (v) Siwani : Rs. 0.68 lakh of 75 units and (vi) Samalkha : Rs 1.16 lakh of 76 units.

The Committee has desired to keep the para pending till complete recovery with the direction to fix the responsibility of the officers/ officials concerned followed by necessary disciplinary proceeding under intimation of the Committee.

The Department in its written reply stated as under: -

This Para is related to non-implementation of Trade Licencing as well as nonrecovery of Trade Licence Fees by the Municipalities mentioned in the Audit Para. The brief about the applicability of Trade Licencing is given here under:-

The provisions regarding applicability of license in respect of trades were in vogue since the year 1911 and now many of these trades have either vanished or become redundant, having no relevance in present times. Further, due to multiplicity of Government entities who are entrusted with monitoring the trade/business activities, resulting in overlapping of control/powers over such trading/business activities. In this backdrop a bill was placed for approval in the budget session of Haryana Vidhan Sabha held in March, 2022 for amending the provisions of the applicable Acts relating to trade licence so as to minimise the number of trades/businesses to be kept under the ambit of issuance of Trade Licence.

However, both draft bills were referred to the Select Committee by the Haryana Vidhan Sabha. The same has been finalized by the Select Committee and will be placed in the forthcoming session of the Hon'ble Haryana Vidhan Sabha.

The Committee has desired that to keep the para pending till complete recovery with the direction to fix the responsibility of the officer/officials concerned followed by necessary disciplinary proceedings under intimations of the Committee.

[4] Para No. 4.2.2.6 Non-Levy of installation/license and processing fee on Dish-Antenna of Automated Teller Machines (ATMs) (2015-16)

The Haryana Municipal Corporation/Haryana Municipal (Communication and Connectivity Infrastructure) Bye laws 2013 provides that no communication infrastructure shall be laid/installed without obtaining a license under these bye laws from the competent authority within the areas of a municipality. One time installation/license fee of Rs. 5000 and processing fee of Rs. 1,000 per dish antenna (other than dish antenna installed under DTH) shall be charged for grant of license. Scrutiny of records of 27 municipalities revealed that installation and processing fee on accounts of dish antennas of ATMs was not being charged on the concerned banks. The municipalities were unaware of the provisions of ibid Bye-laws and hence, no demand was raised. This resulted in non-receipt of revenue of Rs. 1.34 crore (Appendix 14) to municipalities. The concerned Municipalities, (except Faridabad and Gurugram) stated (November 2015- July 2016) the notices would be issued to all banks.

The Committee has desired to keep the para pending on the assurance of the department that similar action will be taken as directed by the Committee in para 4.2.2.4.

The Department in its written reply stated as under:-

Directions have been issued to all MCs to make recovery on account of installation/license fee & processing fee on dish-antenna of ATMs. MCs have also started to initiate recovery under this Head as under:-

Sr. No.	Name of MC	Period	No. of ATMs	Amt. Recoverable	Amt. Recovered	Balance
1.	Panchkula	2011-16	255	15.30	0.00	15.30

2.	Shahabad	2011-16	26	1.56	0.42	1.14
3.	Pehowa	2011-16	22	1.32	1.32	0.00
4.	Ladwa	2011-16	15	0.90	0.00	0.90
5.	Pundri	2011-16	04	0.24	0.00	0.24
6.	Nissing	2011-16	09	0.54	0.32	0.22
7.	Kaithal	2011-16	50	3.00	0.00	3.00
8.	Dharuhera	2011-16	16	0.96	0.36	0.60
9.	Sampla	2011-16	12	0.72	0.12	0.60
10.	Bawani Khera	2011-16	02	0.12	0.00	0.12
11.	Gharaunda	2011-16	15	0.90	0.58	0.32
12.	Kalanwali	2011-16	08	0.48	0.00	0.48
13.	Rania	2011-16	07	0.42	0.42	0.00
14.	Bahadurgarh	2011-16	31	1.86	1.00	0.86
15.	Jhajjar	2011-16	27	1.62	0.18	1.44
16.	Mahendergarh	2011-16	12	0.72	0.00	0.72
17.	Faridabad	2011-16	622	37.32	0.72	36.60
18.	Gurugram	2011-16	401	24.06	0.00	24.06
19.	Palwal	2011-16	54	3.24	0.06	3.18
20.	Narnaul	2011-16	32	1.92	0.00	1.92
21.	Siwani	2011-16	08	0.48	0.43	0.05
22.	Samalkha	2011-16	24	1.44	0.12	1.32
23.	Yamunanagar	2013-14	133	7.98	0.00	7.98
24.	Karnal	2012-15	201	12.06	0.42	11.64
25.	Hisar	2013-15	174	10.44	0.65	9.79
26.	Fatehabad	2012-15	36	2.16	0.00	2.16
27.	Hansi	2013-15	29	1.74	0.12	1.62
Total				133.50	7.24	126.26

The Committee has desired that para be kept pending and sincere efforts be made to recover the outstanding amount on account of installation/license and processing fee on Dish-Antenna of Automated Teller Machines (ATMs).

[5] Para No. 4.6 Excess payment of EPF to man power supplying agencies (2015-2016)

As per the provision contained in the Employees Provident Funds Scheme, 1952, the EPF contribution was payable on maximum wages ceiling of Rs 6,500 per month during the period from June 2001 to August 2014. Municipal Council, Hansi and Municipal Corporation, Hisar, outsourced services of sanitation staff from service providers. Scrutiny of records of these municipalities revealed that the service providers claimed EPF on the actual wages of the sanitation staff instead of ceiling of Rs. 6500 per month. This resulted in excess payment of Rs. 11.09 lakh during April 2013 to June 2014 (Appendix 17) to the services providers. On being pointed out, the concerned Municipalities admitted the facts and stated (January 2016) that recovery of excess payment would be made from the concerned services providers. The matter was referred (August 2016) to the Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department; their reply was awaited (January 2017).

The Committee has desired that para be kept pending with regard to recovery of Rs. 3,41,559/- from M/s Balak Associates and recovery process be continued by issuing to the firm.

The Department in its written reply stated as under: -

Hisar: – The notice for recovery of excess amount had been issued to four Service provider agencies namely M/s Balak Associates, Sona Enterprises, Shiva Security, Haryana Manpower, out of which excess amount of EPF Rs. 1,39,295/- from M/s Shiva Security and amount of Rs. 2,84,724/- from M/s Haryana Manpower has been recovered in the month of 09/2020 and nothing are pending against these agencies.

Now an amount of Rs. 3,41,559/- against the agency M/s Balak Associates and amount of Rs. 13,925/- against the agency M/s Sona Enterprises is still pending, in order to recover the excess amount of EPF notices had been issued to the agencies. Efforts are being made to recover the excess amount of EPF.

Hansi:– Notices have been issued to manpower supplying agency for recovery of excess payment of EPF. The excess amount will be recovered by MC, Hansi soon.

The Committee has desired that para be kept pending with the view that recoveries be made in time bound manner and Committee be informed accordingly.

[6] Para No. 4.7 Irregularities relating to Solid waste management: (2015-16)

The Haryana Municipal Act, 1973 and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 provide that solid waste management is the function of the municipality. Further, the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 provide that every municipal authority shall be responsible for creating infrastructure for collection, storage, segregation, transportation, procession and disposal of municipal solid waste. The Central Finance Commissions from time to time also emphasized that the local bodies should spend the grants on the basic services such as water supply, sewerage, solid waste

management, etc. Following irregularities relating to solid waste management were noticed:

- (iii) **Yamunanagar:-** SWMP under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town (UIDSSMT) for Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri (MCY) was completed (December 2012) at a cost of Rs. 11.28 crores. MCY entered (August 2012) into agreement with a firm for systematic treatment, processing and disposal of municipal solid waste in accordance with Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 (Rules) for 30 years. Clause 8.2 of the agreement provided that in the event of any default by the operator, the MCY shall be entitled to terminate the agreement and appropriate the performance security.

The Executive Officer, MCY stated (January 2017) that show-cause notice was issued against the firm and the concerned bank was requested (August 2015 to December 2016) to forfeit performance security of Rs. 65 lakhs. Encashment of bank guarantee was still awaited (December 2016). Audit observed that SWMP was non-functional since December 2014 and solid waste was not being disposed off after proper treatment. However, while action was initiated against the defaulting firm, no action was initiated to make the SWMP functional through any other agency despite its remaining non-functional for more than two years. The matter was referred (August 2016) to the Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department; their reply was awaited (January 2017).

- (iv) **Faridabad:** Municipal Corporation, Faridabad (MCF) and the Municipal Corporation, Gurugram (MCG) entered (October 2008) into an agreement for development of the Integrated Municipal Solid Waste Processing Plants & Sanitary Landfill. As per the agreement, the MC, Gurugram was to lease 30.5 acres land in 2008 at village Bandhwari, Gurugram to the MC, Faridabad for 30 years and MC Faridabad was in operation and maintenance of the facility for 30 years and MC Faridabad was in turn to implement the scheme and was also responsible for development, operation and maintenance of the facility for 30 years. Further, MCF entered into an agreement (September 2009) with a firm for operation and maintenance of the SWMP for 30 years. The integrated SWMP was completed (January 2010) at a cost of Rs. 78.95 crores and became functional in December, 2010.

Audit observed that the SWMP was non-functional since October 2013 and the solid waste was being dumped at the plant site. A sum of Rs. 9.81 crores were also recoverable from the firm on account of machinery of MCF taken away by it and hiring charges of machinery/water tankers provided to the firm. Besides, MCG also spent Rs. 19.89 lakhs (September to December 2013) on sanitary work at the plant site and on pending electricity on behalf of the firm. Further, non-functioning of the SWMP and dumping of waste directly in landfill led to foul smell with the result that MCG had to allot (May 2014) the work of bio-culture spray on the dumped waste at the rate of Rs. 2.50 lakhs per month for a year to another firm. The SWMP was lying nonfunctional for the last three years which had resulted in nonachievement of the intended objective. The Commissioner, MCF stated (December 2016) that the performance security of

Rs. Three crores had been forfeited and the case of recovery and other dues owing to non-operation of the SWMP by the firm was pending with the Arbitrator. The matter was referred (August 2016) to the Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department; their reply was awaited (January 2017).

The Committee has desired to keep this para pending as the department has requested for some time to seek the detailed report in this regard.

The Department in its written reply stated as under:-

- (iv) **Yamunanagar:** Municipal Corporation, Yamunanagar entered into agreement with M/s Hydroair Tectonic (PCD) Ltd. on 03.08.2012 for systematic treatment, processing and disposal of Municipal Solid Waste for 30 years.

This agency has stopped the work in December, 2014 & Municipal Corporation had directed the agency to execute the work as per agreement. But the agency was failed to execute the work as per the agreement and having failed to execute the work as per the agreement, the agency was blacklisted on 08.08.2017 by Municipal Corporation, Yamunanagar. Initially for Bank Guarantee of Rs. 1.5 crores and after its expiry the agency has deposit only Rs. 65 Lacks against Rs. 1.5 Crores. The same was forfeited on 27.04.2018.

Agency moved in an arbitration case and the arbitrator announced the award in favour of Municipal Corporation, Yamunanagar on 26.02.2021 as under :-

- (i) Rs. 85.00 Lakhs (as balance amount out of Bank guarantee of Rs. 1.5 Crores) alongwith interest @ 1.5% per month w.e.f. 28.05.2015 from the date of this award be paid within 60 days, failing which, respondent shall also be liable to pay penal interest of 2% on the amount till its realization.
- (ii) Rs. 38,61,661/- as electricity dues along with surcharge as per prevalent rules of the Electricity Department, be paid within 60 days.
- (iii) Rs. 2,00,000/- as cost of Arbitration proceedings/Litigation Expenses.

Having failed to pay the amount as per award, Municipal Corporation, Yamunanagar filed an execution appeal in Hon'ble District Court, Yamunanagar vide case No. EXE/358/2021, which is pending in the Court of Hon'ble Additional and District Session Judge, Yamunanagar. The next date of hearing of this case is 28.07.2022.

Faridabad : Establishment of Solid Waste Management Plant at Bandhwari was a joint venture of MCG & MCF. MCF has filed arbitration case against the defaulting agency i.e., M/s AKC Developers Ltd. claiming Rs. 980.73 lakhs (approx. Rs. 9.80 crores). The counter claim of Rs. 1091.66 crores had been submitted & placed before Sole Arbitrator by the agency. Also, suit No. ARB-172/2018 was filed by the agency before the Hon'ble High Court for time extension and reduction of arbitration fees.

The award amounting to Rs. 8,19,33,278/- had been passed in favour of Municipal Corporation, Faridabad alongwith interest @ 12% per annum on

08.02.2019 till its actual realization. The above referred case No. ARB 172 of 2018 has been dismissed by Hon'ble High Court vide order dated 13.12.2019.

MCF has filed Execution Petition of Arbitral Award dated 08.02.2019 before the District Judge, Faridabad in the year 2019 for recovery of award amount of Rs. 8,19,33,278/- alongwith 12% interest per annum (till its actual realization) from the agency M/s AKC Developers Ltd. The case is scheduled for next hearing for 19.07.2022 in the Court of Shri Rajesh Garg, Ld. ADJ, Faridabad.

Gurugram:(1) Due to non-functional of Solid Waste Management Plant at Bandhwari, MCG has engaged agency named as M/s Organic Solution to spray bio-culture for reducing foul smell, destroying insects & mosquitoes for the safety of general public and to maintain hygiene & public health in the public interest and to save environment. The expenditure of Rs. 2.50 lakhs approx. per month has been spent in the public interest.

(2) Establishment of Solid Waste Management Plant at Bandhwari was a joint venture of MCG & MCF. MCF has filed arbitration case against the defaulting agency. Arbitrator has given award on 08.02.2019 in favour of MCF. MCF has filed Execution Petition of Arbitral Award dated 08.02.2019 before the District Judge, Faridabad in the year 2019 for recovery of award amount of Rs. 8,19,33,278/- alongwith 12% interest per annum (till its actual realization) from the agency M/s AKC Developers Ltd. The case is scheduled for next hearing for 19.07.2022 in the Court of Shri Rajesh Garg, Ld. ADJ, Faridabad.

The Committee has desired that Yamuna Nagar, Faridabad & Gurugram part pending as the department has requested for some time to seek the detailed report in this regard.

[7] Para No. 4.1 Non-obtaining of bank guarantee resulted in nonrecovery of penalty and other payments due. (2016-17)

Municipal Corporation, Karnal (MCK) entered into an agreement (August 2014) with Hydro Air Tectonic Limited, Mumbai (operator) for operation and maintenance of the Solid Waste Management Plant (SWMP) for a period of 30 years. As per agreement, the operator was required to provide a performance guarantee equivalent to Rs. 1.50 crore (in the form of bank guarantee from a nationalized bank) to the MCK within 20 days of signing of agreement which would remain valid for the tenure of the agreement. The performance guarantee was to be released to the firm at the rate of Rs. 5 lakhs per completed year of the agreement, Further, as per agreement, MCK had the liberty of recovering penalty or any other payments due from the firm by invoking the performance guarantee to the extent of the amount due. Scrutiny of records of MCK revealed that the Corporation had not obtained performance guarantee from the operator though, it was required to be obtained as per the agreement. The firm abandoned (August 2015) the operation and maintenance of the SWMP for which MCK issued notices from time to time. MCK finally terminated (February 2017) the agreement and imposed penalty of Rs. 28.80 lakhs. Apart from penalty, Rs. 46.71 lakhs were also recoverable from the operator on account of payment of electricity bill; miscellaneous expenses; interest and lease money, etc. A total amount of Rs. 75.71 lakhs remained unrecovered from the operator as of August 2017. Had performance guarantee been obtained from the operator as per agreement, recoverable amount of Rs. 75.51 lakhs could have been recouped from the performance guarantee? Thus, MCK had extended undue favour to the operator as it

allowed operation and maintenance of the SWMP without obtaining the performance guarantee. The Chief Sanitary Inspector, MCK stated (September 2017) that the issue for filing recovery suit against the firm in the competent court was under process. The matter was referred (September 2017) to the Principal Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department; their reply was awaited (November 2017).

The Committee has desired to keep this para pending. Keeping in view the fact civil suit for recovery was filed and performance guarantee of Rs. 1.5 crore was not taken by the department.

The Department in its written reply stated as under:-

Karnal: The process for appointment of Arbitrator under Arbitration & Conciliation Act, 1996 is under way at the level of Municipal Corporation, Karnal as per clause 12.2 of the Concession Agreement executed between MC, Karnal and Hydro Air Tectonic Ltd., Mumbai (Operator).

The Committee has desired to keep the para pending.

Part-II
ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ
INSTITUTIONS & URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2017-18
& 2018-19 AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT) HARYANA,
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA

**ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS
& URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2017-18 & 2018-19 AUDITED BY THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA,
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA**

[8] Para No. 4.1.2.1 Non-preparation of plans

As per provisions of HMC Act, MCs were required to prepare plans for economic development and social justice including all the functions entrusted to them. Further, every MC was required to prepare various plans for the areas under its jurisdiction and submit the same to the District Planning Committee for consolidation into a Development Plan (DP) of the district.

Audit scrutiny showed that neither any plan for economic development and social justice was prepared in the test-checked MCs nor DPs of districts were prepared during 2015-18. Development works/schemes were executed by the MCs on ad-hoc basis without proper plan. MCP admitted (May 2018) that plans were not prepared and had not given any assurance as well for preparation of plans in future.

Recommendations: The Department should prepare plans for economic development and social justice.

The Department in its written reply stated as under: -

Gurugram	<p>आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 42 के तहत सूची बद्ध कुल 18 कार्यों में से एक नगरपालिका के कार्यों में से एक है। इसमें निम्न शामिल हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन। 2. भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का निर्माण। <p>हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 346 (1) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रदान करती है और उक्त अधिनियम की धारा 346 (2) नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने और सरकार को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करती है। विकास योजना अधिसूचना में, नियंत्रित क्षेत्र को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन और संचार, सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र, खुली जगह, कृषि क्षेत्र, विशेष क्षेत्र और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास योजना में उपलब्ध कराए गए विभिन्न भूमि उपयोग विकास योजना के साथ संलग्न क्षेत्रीय विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उल्लेखनीय है कि आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए विकास योजना के प्रारूप को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करने से पूर्व योजना को अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति एवं जिला योजना समिति के समक्ष रखा जाता है। इन समितियों द्वारा की गई आपत्तियों और सुझावों को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अग्रेषित करने से पहले योजना में विधिवत शामिल किया जाता है।</p> <p>गुरुग्राम शहर के आसपास के नियंत्रित क्षेत्रों को निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा घोषित किया गया था, जो बाद में वर्ष 2008 में निगम के गठन के बाद नगरपालिका क्षेत्र का हिस्सा बन गया। हालांकि, इन नियंत्रित क्षेत्रों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 30.01.2014 तक प्रशासित किया जाना जारी रहा है। इन नियंत्रित क्षेत्रों को गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स-2031 ई० की अंतिम विकास योजना नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा तैयार करके 15.11.2012 को राजपत्र शासन में</p>
----------	--

	<p>प्रकाशित की गई। पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र (अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 41) के प्रावधानों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, जिसे गुरुग्राम-मानेसर शहरी की अंतिम विकास योजना के रूप में जाना जाता है। परिसर-2031 ई. धारा 346 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र जिसे 1963 के अधिनियम संख्या 41 के तहत पहले से ही नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, के लिए नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। 1994 के अधिनियम के उद्देश्य और यदि पूर्वोक्त अधिनियम के तहत ऐसे नियंत्रित क्षेत्र के लिए पहले से ही किसी योजना को अधिसूचित किया गया है तो इसे 1994 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी माना जाएगा। सूक्ष्म स्तर पर भवनों का निर्माण हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 द्वारा विनियमित है। विकास योजना को जीएमडीएचएचएसवीपीधएएसआईआईडीसी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा निजी कॉलोनाइजर्स को लाइसेंस देकर जमीन पर क्रियान्वित किया जाता है।</p> <p>अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सभी जिलों के लिए जिला योजना समितियों का गठन किया गया है और गुरुग्राम जिले के संबंध में ऐसी समिति का गठन 08.03.2019 को किया गया है।</p>
Panchkula	<p>आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 42 के तहत सूचीबद्ध कुल 18 कार्यों में से एक नगरपालिका के कार्यों में से एक है। इसमें निम्न शामिल हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन। 2. भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का निर्माण। <p>हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 346 (1) नगरपालिका क्षेत्र के अंदरूनी नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रदान करती है और उक्त अधिनियम की धारा 346 (2) नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने और सरकार को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करती है। विकास योजना अधिसूचना में नियंत्रित क्षेत्र को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन और संचार, सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र, खुली जगह, कृषि क्षेत्र, विशेष क्षेत्र और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास योजना में उपलब्ध कराए गए विभिन्न भूमि उपयोग विकास योजना के साथ संलग्न क्षेत्रीय विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि सरकार में मसौदा विकास योजना के प्रकाशन से पहले आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राजपत्र, योजना को अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति एवं जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन समितियों द्वारा की गई आपत्तियों और सुझावों को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अग्रेषित करने से पहले योजना में विधिवत शामिल किया जाता है।</p> <p>पंचकूला शहर के लिए नियंत्रित क्षेत्र को पंजाब न्यू कैपिटल कंट्रोल एक्ट, 1952 के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा दिनांक 21.03.1972 की अधिसूचना के तहत घोषित किया गया था। उक्त क्षेत्र के एक मास्टर प्लान को पंचकूला मास्टर प्लान के रूप में अधिसूचना दिनांक 04.12.1986 और प्रकाशित किया गया था। पंचकूला विस्तार विकास योजना अधिसूचना दिनांक 08.09.2009 के द्वारा प्रकाशित किया गया तथा सूक्ष्म स्तर पर भवनों का निर्माण हरियाणा भवन संहिता, 2017 द्वारा विनियमित है। विकास योजना को एमसीपी/एचएसवीपी/ एचएसआईआईडीसी और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा निजी कॉलोनाइजर्स को लाइसेंस देकर जमीन पर क्रियान्वित किया जाता है।</p>

	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सभी जिलों के लिए जिला योजना समितियों का गठन किया गया है और पंचकूला जिले के संबंध में ऐसी समिति का गठन दिनांक 09.01.2019 को किया गया है।
--	--

The Committee has desired to keep the para pending with the direction to completed the all process.

[9] Para No. 4.1.2.2 Non-establishment of Area Sabha and Ward Committees

	<p>The Haryana Municipal Citizens 'Participation Act, 2008 provides for constitution of an Area Sabha (AS) in each Ward to generate proposal sand determine the prioritization of the schemes/development programmes for implementation in the area. Similarly, Ward Committees (WCs) for each ward consisting of a Ward Councilor as Chairperson and eminent members (not less than three and not more than ten persons) nominated by the Corporations wereto be constituted. Audit observed that ASs and WCs were not constituted inany of the Wards. The MCP admitted (June 2018) that the ASs were not constituted but no reasons were given for this while MCG stated (October2018) that ASs and WCs had not been established. No assurance was alsogiven for constituting AS and WC by either of the MCs. The proposals for implementation of schemes were not received through ASs and WCs with theresult that priority of the schemes and development programmes was not being determined with reference to the needs and demandin respective areas.</p> <p>Recommendations: MCs concerned should establish ASs and WCs for initiation of proposals and determine the prioritisation of the schemes/ development programmes.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	<p>नगर निगम, पंचकूला ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 10 और हरियाणा नगर नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम, पंचकूला के क्षेत्र में आने वाली वार्ड समिति/क्षेत्र/उप-क्षेत्र समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। शहरी वातावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर नागरिक सेवाओं के वितरण में निर्वाचित प्रतिनिधि और स्वैच्छिक नागरिक समूहों की अधिक भागीदारी के साथ नागरिक भागीदारी को मजबूत करना।</p> <p>हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 10 में निहित प्रावधान के अनुसार वार्ड समिति/ क्षेत्र/ उप-क्षेत्र समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाना है/—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वार्ड के पार्षद वार्ड समिति के अध्यक्ष होंगे। 2. सेक्टर/कालोनी का पूरा क्षेत्र विशेष वार्ड के अंतर्गत कवर किया जाएगा। 3. सेक्टर/कॉलोनी की प्रत्येक गली/मोहल्ला उप-क्षेत्र समिति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
-----------	--

	यहाँ नम्रतापूर्वक कहा जाता है कि क्षेत्र सभा और वार्ड समिति के गठन का मामला विचाराधीन है और निकट भविष्य में इसका गठन किया जाएगा। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम, पंचकूला की सभा द्वारा वर्ष 2021 में पहले ही पांच तदर्थ समितियों का गठन किया जा चुका है और उनकी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं।
--	---

The Committee has desired to keep the Panchkula part pending.

[10] Para No. 4.1.3 Financial management

4.1.3.2 Non-adjustment of outstanding advances

Rule XVII.14 of Municipal Account Code 1930 stipulates that the MC shall prescribe a time limit on the expiry of which advances shall be accounted for or refunded. Test-check of record revealed that advances aggregating to Rs. 342.911 crore sanctioned for carrying out various development activities within the municipal limits were pending for adjustment as of March 2018. Ageanalysis of pending advances showed as under:-

Sr. No.	Pendency	Number of advances	Amount
1	More than five years but less than 10 years	504	203.59
2	More than one year but less than five years	77	139.32
Total		581	342.91

Audit observed that no time limit was prescribed for adjustment of advances. The pendency indicated laxity on the part of the MCs in enforcing codal provisions regarding adjustment of the advances. MCG and MCP stated (April-May 2018) that instructions would be issued to all the concerned for adjustment of outstanding advances urgently.

Further, Audit noticed that MCG drew advances of Rs.48.40 lakhs and disbursed to 12 employees in 38 cases during March 2015 to October 2016. The amount was refunded in MC fund by these employees during September 2016 to March 2018 without utilisation of any amount. Thus, the amount was drawn without any requirement. Audit observed that no approval was obtained from the Commissioner for disbursement of advances, which tant amount to temporary embezzlement of MC funds.

1. Municipal Corporation, Gurugram: Rs. 342.51 crores and Municipal Corporation, Panchkula: Rs. 0.40 crore,

Recommendation: The MCs concerned may prescribe the time limit for adjustment of advances.

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	अस्थाई अग्रिमों के विवरण को दर्शाने वाले विवरण के अनुसार, जो लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया गया था, कुल रु. 39,90,166/-लंबित दिखाया गया था। जिसमें से रु. 2,60,168/- का समायोजन किया गया है जो कि स्वर्गीय श्री प्रीत मोहिंदर, टैक्स कलेक्टर के नाम पर था और शेष विभाजन निम्नानुसार है/- कर्मचारियों के नाम पर अस्थायी अग्रिम :-				
	Sr. No.	Name of official	Total Amount (Rs.)	Balance (Rs.)	
	1	Mukesh Sharma, ME	100000	100000	
	2	EO, MC PKL	27648	27648	
	3	HARTRON	187225	187225	
	4	HARTRON	616035	616035	
	5	Devender singh, Sect. MC Kalka	5000	5000	
	6	MD HARTRON	410000	410000	
	7	Bharat Raj Dutt, FSO	86400	86400	
		Total	1432308	1432308	
	कर्मचारियों से अग्रिम वसूली की अस्थायी स्थिति:-				
	Sr. No.	Name of official	Total Amount (Rs.)	Recovered amount (Rs.)	Balance (Rs.)
	1	Parveen Malik, JE	742400	0	742400
	2	Parveen Malik, JE	458800	0	458800
	3	Muneshwar JE	150000	0	150000
	4	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
	5	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
	6	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
	7	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
	8	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
	Total	2127200	0	2127200	
	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के लिए लंबित कुल राशि रु0 21,27,200/- और जब तक कि अग्रिमों का निपटान नहीं हो जाता तब तक के लिए नगर निगम, पंचकूला ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के 39,51,500/- रुपये अप्रैल से सितंबर 2021 की अवधि के भुगतान की राशि को रोक दिया है।				
Gurugram	अस्थाई अग्रिम राशि रुपये 3,42,21,83,575.95 जिसका उल्लेख नीचे परिशिष्ट 'एफ' में दर्शाया गया है। अब दिनांक 31.03.2022 तक रु0 175.45 करोड़ समायोजित करने बकाया है। इस शेष राशि के 150.00 करोड़ रुपये नगर निगम, फरीदाबाद को लोन के रूप में				

दिये गये थे, जो कि अभी तक बकाया है। समायोजन हेतु आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

क्रमांक	सरकारी विभाग/ अधिकारी का नाम	कुल राशि रु०	बरामद राशि	बकाया
1	जन स्वास्थ्य विभाग	1981392.23	0	1981392.23
2	पीडब्ल्यूडी (बी०एंड०आर०)	192260962.49	0	192260962.49
3	डी०एच०बी०वी०एन०एल०	46513348.40	5159456.80	41353892.75
	अन्य			
4(i)	एम०सी०एफ०	1500000000.00	0	1500000000.00
4(ii)	एन०एच०ए०आई०	1222234024.00	1222234024.00	0
4(iii)	अधिकारी/अधिकारी/विभाग	459093985.00	440136020.20	18957964.80
	कुल	342.21 करोड़	166.75 करोड़	175.45 करोड़

अन्य अग्रिमों में 280 अग्रिम दर्शाए गए हैं जिसमें 72 प्रकरणों से वसूली की गई है। शेष 208 प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। 38 मामलों में 12 कर्मचारियों से राशि रु० 48.40 लाख ब्याज सहित वसूल की गई है।

The Committee has desired to keep remaining 208 cases pending with the direction that recovery be made at the earliest and copy of the recovery be placed before the committee.

[11] Para No. 4.1.3 Financial management

4.1.3.3	<p>Non-availment of exemption from Goods and Services Tax</p> <p>The Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) vide their Notification dated 28 June 2017 provided exemption from Goods and Services Tax to pure services (excluding works contract service or other composite supplies involving supply of any goods) provided to a local authority by way of any activity in relation to any function entrusted to municipalities under article 243W of the Constitution. As per this notification, the municipalities were not required to pay GST to the agencies on the bills provided for various services² from July 2017 onwards.</p> <p>Scrutiny of records showed that MCP had not availed benefits of the exemption and paid GST amounting to Rs.38.16 lakh to the agencies for providing various services during July 2017 to May 2018 resulting in avoidable financial burden on the municipality. MCP admitted the fact and stated (June2018) that exemption notification was not in the notice of concerned staff and added that refund would be taken from the contractor.</p> <p>Recommendations: Relevant exemption notification of Government should be kept in view before hiring / availing of pure services and making payment of GST for such services.</p>
----------------	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	यह प्रस्तुत किया जाता है कि माल और सेवा कर से छूट का लाभ न लेने का विवरण नीचे दिया गया है:-	
	Sr. No.	Name of Firm
	1.	OSCAR Security & Fire Services
	2.	Ekam Tour & Travel
	Total	3858042.00
<p>इस संबंध में दोनों फर्मों से फोन पर संपर्क किया गया है और उन्हें उस चालान की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जिससे फर्म ने जीएसटी जमा किया था। इसके अलावा चालान का विवरण प्रदान करने के लिए दोनों फर्मों (मैसर्स ओएससीएआर सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज एंड एकम टूर एंड ट्रैवल) को नोटिस दिए गए थे। फर्म ने टेलीफोन पर आश्वासन दिया था कि उन्होंने जीएसटी विभाग में जीएसटी जमा कर दिया है और चालान जल्द से जल्द एमसी, पंचकूला को प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>अतः यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि फर्मों को दिया गया जीएसटी 38.58 लाख रुपये जीएसटी खाते में जमा किया जाएगा और जीएसटी के लिए एमसी, पंचकूला द्वारा दी गई राशि सरकार से सरकार के लेनदेन है जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा फर्मों से जीएसटी राशि वसूल करने के लिए कार्यालय स्तर पर कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि एमसी को हुए नुकसान को तदानुसार निपटाया जा सके।</p>		

The Committee has desired that the latest status be submitted to the Committee at the earliest possible.

[12] Para No. 4.1.3.5 Purchase of store items on quotation basis instead of e-tendering.

<p>The Director, Urban Local Bodies (DULB), Haryana informed (November 2014) all municipalities about the decision of the State Government for enforcement of e-tendering system for all type of civil works, purchase of stores or engagement of labour under outsourcing policy with effect from December 2014. Further, it was decided (June 2016) by the Government that the minimum threshold value of e-tendering in respect of procurement of stores/goods/works/services in the State would be Rs. one lakh in each case (without any splitting of order). Audit observed that expenditure of Rs.92.85 lakhs was incurred for procurement of various store items such as lights, stationary, furniture items and execution of works during September 2015 to October 2016 and all the purchases were made on quotation basis instead of e-tendering. MCG stated (April 2018) that tender could not be floated as material was purchased on urgent basis while MCP stated (June 2018) that material was purchased without e-tendering in emergent case and further added that tenders would be invited for purchase of material in future. The replies were not acceptable as items</p>
--

	<p>such as lights, stationary, furniture, benches for parks, mobile toilets, etc are not of urgent nature and if considered necessary, approval for purchase of these items without following the system of e-tendering should have been obtained from the Government.</p> <p>Recommendations: MCs concerned may consider purchasing the material without e-tendering in emergent case.4</p> <p>Municipal Corporation, Gurugram: Rs. 43.98 lakhs and Municipal Corporation, Panchkula: Rs. 48.87 lakhs</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:

Panchkula	<p>नगर निगम, पंचकूला द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न शाखाओं में कई अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं और कार्यालय के सुचारु संचालन के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार स्टेशनरी और फर्नीचर आदि की खरीद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद की गई है।</p>
-----------	---

The Committee has desired to keep the Panchkula part pending.

[13] Para No. 4.1.4.5 Swachh Bharat Mission (Urban)

	<p>Diversion of funds: As per guidelines of Swachh Bharat Mission (Urban) {SBM (U)}, an incentive of Rs. 14,000 per household was to be given to the targeted beneficiaries for the construction of Individual House Hold Latrines (IHHLs). Scrutiny of records revealed that an amount of Rs.4.90 crores was released (May 2017) to MCP for providing first and second instalment of incentive money to 7,000 targeted beneficiaries. Subsequently, on the basis of survey the numbers of eligible beneficiaries were reduced to 1,994 as applicants had provided fake account details, their families had applied from other cities, residential addresses were shown in unauthorized colonies, etc. Further, it was revealed that MCP had spent Rs. 0.86 crore on IHHL and Rs. 3.71 crores on various items such as salary of motivators, workshops, purchase of mobile toilets, dustbins and e-cart rickshaws, hiring of vehicles, advertisements, refreshment of meeting, purchase of mobile phone, etc., out of IHHLs funds. Spending of funds of Rs.3.71 crores on items other than incentive to house holds for construction of latrines was irregular and tant amount to diversion of funds. As per paragraph 6.4 of the guidelines (2014) of SBM (U), there would be no incentive support for the construction of public toilets under SBM. State Government released (November 2016) grants of Rs.3.98 crores out of central share for IEC, community toilets and solid waste management but MCG had spent Rs.2.15 crores out of Rs. 3.98 crores on construction of public toilets and balance funds of Rs. 1.83 crores were lying unspent with MCG. Thus, the funds meant for IEC, community toilets and solid waste management were diverted towards construction of public toilets.</p> <p>MCP stated (June 2018) that the amount would be recouped from the municipal funds while MCG stated (April 2018) that grants had been utilized for development work for public use. The reply of MCG was not</p>
--	---

	<p>tenable as funds were meant for construction of community toilets, IEC and solid waste management, not for public toilets, the expenditure on which was prohibited under the scheme. <i>Double/triple release of first instalment:</i> Scrutiny of records and analysis of computerized data of IHHL beneficiaries of MCG revealed that first instalment of financial assistance was given twice to 22 beneficiaries and thrice to one beneficiary. This resulted in excess payment of Rs. 1.68 lakhs.</p> <p>Audit observed that double/multiple payments occurred due to improper scrutiny of applications by ULB as applicants had submitted two/three different applications by minor change in name, father's/husband's name, address, bank account number, etc. Thus, proper checks were not exercised while scrutinizing the applications. MCG, however, accepted (April 2018) the double payment of 22 beneficiaries and stated that excess payment made would be adjusted in next instalments. Further developments were awaited (February 2021).</p> <p>Recommendation: The MC concerned may exercise proper checks while scrutinizing the applications so that double payment could be avoided.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	<p>इस पैरा के संबंध में सीएसआई शाखा द्वारा विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामुदायिक शौचालय आईईसी (सूचना शिक्षा और संचार) और टोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए एसबीएम (यू) के तहत प्राप्त धन को टोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम यानी प्रेरकों के वेतन के तहत खर्च किया गया था।, (लोगों को प्रेरित करने के लिए काम करने वाले प्रेरक कि कैसे कचरे को अलग किया जाए और अपने स्तर पर रसोई के कचरे को कैसे संसाधित किया जाए)। ओडीएफ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोबाइल शौचालयों की खरीद महत्वपूर्ण थी। ओडीएफ केंद्र और राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ओडीएफ को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को शौचालय उपलब्ध कराना आवश्यक था। इसलिए जिन लोगों के पास शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, मोबाइल शौचालय खरीदकर उस स्थान पर स्थापित किए गए जो स्वच्छ भारत मिशन का भी हिस्सा था। कूड़ेदान और ई-कार्ट रिकशा की खरीद के संबंध में यह कहा जाता है कि कूड़ेदान और ई-कार्ट रिकशा को घर-घर कचरे के संग्रह और सड़क के कचरे को हटाने के लिए खरीदा गया था जो कि टोस अपशिष्ट प्रबंधन का भी एक हिस्सा है। वाहनों को किराए पर लेने के लिए यह कहा गया है कि शहर के कचरे को साफ करने के लिए विभिन्न स्थानों से कचरा उठाने के लिए वाहनों को किराए पर लिया गया था जो कि स्वच्छ भारत मिशन का भी एक हिस्सा है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा गया है कि एसबीएम के तहत प्राप्त सभी निधियों का उपयोग एसबीएम आदि जैसे एसबीएम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। फिर भी लेखा शाखा, एमसी, पंचकूला ने रुपये की राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की है। 2,50,82,000/- एमसी फंड से आईएचएचएल घटक को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बाद और राशि का सत्यापन डीयूएलबी पंचकूला से एमसी, पंचकूला द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 331 दिनांक 06.05.2022 के माध्यम से मांगा गया है। जैसे ही सत्यापन/उत्तर प्राप्त होगा, राशि तुरंत स्थानांतरित कर दी जाएगी और तदनुसार पीएजी (लेखापरीक्षा), हरियाणा को भी सूचित किया जाएगा।</p>
-----------	---

Gurugram	उक्त पैरे के बारे अवगत करवाया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के अन्तर्गत (सी.टी./पी.टी.) सार्वजनिक (शौचालय) हैड में पैसा न होने के कारण पब्लिक की डिमांड होने पर पैसा अन्य मद से पब्लिक टॉयलेट में प्रयोग किया गया क्योंकि यह अति अनिवार्य था। परन्तु सरकार से पैसा प्राप्त होने पर उक्त राशि को संबंधित हैड में जमा करवा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की अनुदान राशि को दिशा निर्देशानुसार सामुदायिक शौचालय पर खर्च कर दी गई है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा।
----------	---

The Committee has desired that fresh/updated reply be submitted to the Committee for its consideration and recovery be expediated under intimation of the Committee.

[14] Para No. 4.1.5.2 Loss due to change in specifications

	<p>As per terms and conditions of the technical notes of three6 road works allotted in October 2017, no change could be made in specifications and scope of work without specific approval of the competent authority before commencement of work and further specified that any deviation from the sanctioned detailed estimate would need approval of the competent authority. Scrutiny of records of MCP revealed that the administrative approval and technical sanction of these road works were obtained from competent authority wherein thickness of mastic asphalt was 40 mm but its thickness was changed to 25 mm without recording any justification and without approval of the competent authority. The sanctioned rate of 40 mm thick mastic asphalt was Rs. 874 per square metre (sqm). But at the time of preparing of comparative statement, rate was compared with 25 mm thick and finally these three works were allotted (October 2017) at the rate Rs. 825 per sqm for 25 mm thick mastic asphalt.</p> <p>Audit observed that rate of 25 mm thickness was Rs. 690 per sqm in case of another work allotted in March 2018 (Construction of bitumen mastic asphalt road from Gandhi chowk to Railway station, Kalka (Railway Road) via SDM office Ward No.1, Kalka). Thus, the reasonable rate of 25 mm mastic asphalt was Rs. 690 per sqm but these three works were executed at the rate of Rs. 825 per sqm without the approval of the competent authority. This resulted in loss of Rs. 29.06 lakh. MCP stated (June-2018) that the matter would be investigated and appropriate action would be taken.</p> <p>Recommendation: MC may execute the work as per specifications with the approval of the competent authority before commencement of work and if deviation, it should be approved by the competent authority.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन कार्यों को एमसी, कालका के क्षेत्र में निष्पादित किया गया था, उपरोक्त कार्य की फाइल इंजीनियरिंग शाखा में ट्रेस करने योग्य नहीं है। नगर निगम पंचकूला द्वारा नियमानुसार कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया है कि एजेंसी को किसी भी भुगतान को जारी करने से पहले एक पूर्व-लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है जिसके लिए सक्षम अधिकारियों से प्राप्त सभी आवश्यक अनुमोदनों की जांच करने के लिए संयुक्त उपनिदेशक लेखापरीक्षा व आर.ए.ओ. की प्रतिनियुक्ति की जाती है। जिसके बाद भुगतान जारी किया जा रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के बिना कोई भुगतान जारी करना संभव नहीं है। तथापि, अनुशंसा के अनुसार नगर निगम, पंचकूला सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अनुसार आगे कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।
-----------	--

The Committee has desired that responsibility of the erring officials/officers be fixed to take strict action against them and sincere and pragmatic efforts intimation of the Committee.

[15] Para No.4.1.6.1 Unauthorized installation of mobile/communication towers.

	<p>Urban Local Bodies Department notification (October 2013) provides for charging of licence and processing fees (Rs. 2.50 lakhs per site for erection of mobile/communication tower and Rs.1,000 per tower as processing fee) for the installation of communication infrastructure. The competent authority shall proceed to get the unauthorized communication structure removed at the expense of such service provider.</p> <p>Test check of records of MCG revealed that 259 mobile towers were installed within the jurisdiction of MCG. Audit observed that these towers were installed without permission of the competent authority and installation charges and processing fees of Rs.6.50 crores was not recovered from the concerned tower owners. MCG stated (May-2018) that notices had been issued to the owners of mobile towers which were running without permission. Further developments were awaited (February 2021).</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

Gurugram	यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न सीडब्ल्यूपी में माननीय उच्च न्यायालय ने मोबाइल टावर के बुनियादी ढांचे के खिलाफ को दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिये गये हैं। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा नवीन टावर के निर्माण एवं विद्यमान टावरों के नियमितीकरण की अनुमति प्रदान करने के लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार एमसीजी ने उपनियम, 2013 के तहत वर्ष 2017-18 और 2018-19 (74+18) के लिए सीसीआईपी-2017 के तहत अनुमति देने के लिए ₹0 92,00,000/- वर्ष 2017-18 के लिए तथा ₹0 11,61,000/-वर्ष 2018-19 (9+2) के लिए प्राप्त किये हैं।
----------	--

	उपरोक्त के अतिरिक्त, एमसीजी ने वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (80+341+47) के लिए सीसीआईपी-2017 के तहत मौजूदा टावरों के नियमितीकरण और नए टावर के निर्माण के लिए कुल भुल्क रू0 2,54,70,000/- अब तक प्राप्त किया है और एचईपीसी पोर्टल पर मौजूदा टावरों के नियमितीकरण और नए टावर के निर्माण की अनुमति देने के लिए 529 आवेदन प्रक्रियाधीन है।
--	--

The Committee has desired that fresh/updated reply be submitted to the Committee for its consideration and recovery be expediated under intimation of the Committee.

[16] Para No.4.1.6.2 Non recovery of Property tax including fire tax

Section 87 of the HMC, Act provided that the municipality shall levy property tax payable by the owner or occupier of building and land at the rates notified by the Government, from time to time. Section 95 of the HMC, Act further provides liable, the Commissioner shall recover the said amount from the occupier by attachment of rent payable by occupier.

Scrutiny of Demand and Collection Registers of MCG and MCP revealed that property tax including fire tax amounting to Rs. 166.40 Crore was in arrears as on March 2018. It was also observed that concerned MCs had not recovered the amount of outstanding property tax from the owner by attachment of rent under section 95 of the HMC Act. Even the proceedings and notices of attachment of rent had not been issued with the result that huge arrears had accumulated.

MCG (April 2018) stated that notices would be issued and recovery would be made while MCP stated (June 2018) efforts were being made to recover the outstanding tax. The reply is not tenable as non-realisation of the dues is attributable to administrative short comings in initiation and processing of action for recovery by the concerned Municipalities.

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	इस संबंध में विनम्र निवेदन है कि नगर निगम के अभिलेख के अनुसार अग्नि कर सहित सम्पत्ति कर की निम्न वसूली की गई है:-							
	(करोड़ रुपये में)							
	Year	Arrear	Demand	Total	Recovery demand	Recovery arrear	Balance	
	2017-18	3.40	10.00	13.40	6.10	2.10	5.20	
	2018-19	5.20	10.00	15.20	7.20	0.80	7.20	
	2019-20	7.20	10.00	17.20	8.00	1.00	8.20	
	2020-21	8.20	10.00	18.20	10.20	1.80	6.20	
	2021-22	6.20	10.00	16.20	9.40	1.00	5.80	
	2022-23	6.00	10.00	15.80				
	TOTAL					7.50		
	मार्च 2018 तक के एरियर 3.40 करोड़ रुपये पूरी तरह से वसूल किए गए हैं। अतः उक्त पैरा ड्राप करने का कष्ट करें।							

Gurugram	163.00 करोड़ रुपये बकाया संपत्ति कर और अग्नि कर में से, संपत्ति कर और अग्नि कर बकाया की निम्नलिखित वसूली (वर्ष-वार) निम्नानुसार है:-	
	Sr. No.	Year
	1	2018-19
	2	2019-20
	3	Exempted property tax
Total		122.84 Cr.

हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना संख्या 14/5/2017-3C-॥ दिनांक 16.11.2018, 21.11.2018, 28.02.2019 और सं. 14/5/2017-3सी-॥/29052 दिनांक 20.05.2020 द्वारा छूट की राशि रु. 24.00 करोड़ एमसीजी द्वारा बकाया संपत्ति कर और अग्नि कर बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए:-

- 680 संपत्तियों को सील किया गया।
- 13018 संपत्ति कर नोटिस जारी किए गए।
- 272 कोर्ट केस दर्ज किए गए हैं।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि संपत्ति कर और अग्नि कर बकाया को वसूली के लिए अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

अतः नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा संपत्ति कर की वसूली की शुरुआत और प्रसंस्करण में कोई कमी नहीं है।

The Committee has desired that fresh/updated reply be submitted to the Committee for its consideration and recovery be expediated under intimation of the Committee.

[17] Para No. 4.1.6.3 Non-recovery of rent of shops

As per Demand and Collection Register for the year 2017-18 maintained in MCG and MCP, shops lease rent amounting to Rs. 1.35 crores was outstanding as on March 2018 as per details given below:		
Number of years for which outstanding	Number of shops	Amount outstanding (in lakh)
More than 10 years	106	81.53
Between five to 10 years	46	39.88
Between one to five years	38	13.68
Total	190	135.09

As is evident from the above table, the rent was outstanding for the period exceeding 10 years as well. MCs stated (April-June 2018) that notices would be issued to tenants for deposit of outstanding rent. Thus, notices were not issued to the defaulters by MCs which resulted in non-recovery of rent.

The Department in its written reply stated as under: -

Gurugram	<p>नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दुकान के किराए के रूप में 183.46 लाख रुपये की मांग के खिलाफ 86.06 लाख रुपये की राशी वसूल की गई है। नगर निगम, गुरुग्राम में कुल 1093 दुकानें हैं तथा दुकान के किराए की वसूली के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100 नोटिस जारी किए गए। 2. 43 कोर्ट केस चल रहे हैं। <p>24 दुकानों का दुकान किराया वसूली के लिए विचाराधीन है, चार दुकानों को सील कर दिया गया है और सात दुकानों को किराए की पुनः नीलामी के लिए नोटिस जारी किया गया है। सड़क चौड़ीकरण के चलते 24 दुकानों की तहबाजारी व लाइसेंस फीस निरस्त कर दी गई है। संबंधित नगर पालिका वार्ड पार्षद के सहयोग से नोटिस देकर एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से शेष दुकान किराया वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है।</p>
Panchkula	<p>इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है कि पहले नगर निगम, पंचकुला के अर्न्तगत पंचकुला व कालका तथा पिंजौर जोन आते थे। इसके उपरान्त कालका तथा पिंजौर जोन को कालका के रूप में अलग से परिषद बना दिया गया।</p> <p>कुल बकाया राशि रु. 1.35 करोड़ तत्कालीन कालका और पिंजौर सहित नगर निगम पंचकुला के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुसार 11.14 लाख थे, अब नगर परिषद, कालका अलग से गठित है। 11.14 लाख रुपये बकाया की वसूली में से नगर निगम, पंचकुला द्वारा 1.89 लाख और नगर परिषद, कालका द्वारा 9.25 लाख रुपये वसूल कर लिए गये हैं।</p> <p>अतः इस पैरा मे नगर निगम, पंचकुला कालका और पिंजौर जोन सहित दर्शाई गई 11.14 लाख रुपये की राशी की पूरी तरह वसूली कर ली गई है। अतः पैरा ड्राप करने का कष्ट करे।</p>

The Committee has desired to keep the para pending.**[18] Para No. 4.1.6.4 Loss of revenue for trade and commercial activities**

	<p>Sections 330, 331, 335, and 336 read with the Section 352 (2) of the HMC Act, 1994 stipulate obtaining of permission/licence for carrying out various trade/commercial activities, etc. in the municipal areas. Annual fee for providing permission/licences has been prescribed by the MCG and MCP and in November 2008 and June 2016 respectively. Scrutiny of records of MCG and MCP revealed that 6,187 units⁹ were carrying out various trades and commercial activities in the areas of these MCs as of March 2018 without permission/licences of the MCs. This resulted in non-generation of revenue of Rs. 3.22 crores. On being pointed out, MCG stated (April 2018) that notice would be issued to recover the fee; while MCP stated (June 2018) that though the committee so formed finalised the rates of trade licenses in June 2016, yet the sanction from Government was pending. The reply of MCP is not tenable</p>
--	--

	as the Commissioner is fully competent for deciding the rates. The fact remains that MCs were not making adequate efforts to recover the amount with the result that huge potential of revenue on this account remained untapped.
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

Gurugram	एचएमसी अधिनियम 1994 की धारा 330, 331, 335, और 336 के प्रावधानों के तहत व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए व्यापार लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में राशि रू0 6.29 करोड़ की वसूली की गई है तथा अब तक कुल राशि 9.09 करोड़ की वसूल की गई है।
Panchkula	यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति/लाइसेंस प्रदान करने के लिए कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 12 आवेदन अलग-अलग कारणों से खारिज कर दिए गए हैं और 31 आवेदन विचाराधीन हैं। अंतिम निर्णय तदनुसार लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

The Committee has desired to kept the para pending.

[19] Para No. 4.1.6.5 Non-recovery of Municipal Electricity Tax

	<p>Section 87 of the HMC Act provides that a tax on the consumption of energy at the rate five <i>paisa</i> for every unit of electricity consumed by any person within the limits of the municipality is leviable. Scrutiny of records of MCG revealed that tax on consumption of energy amounting to Rs. 59.50 crores was recoverable from Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited (DHBVNL) as of March 2018. Audit observed that proper action was not taken by MCG to recover the amount from DHBVNL. MCP had not maintained any records regarding Municipal Electricity Tax recoverable from Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited. However, MCP had realized Rs. 6.61 crores as municipal electricity tax against the budget estimate of Rs. 12 crores during 2015-18. MCP stated (June 2018) that recovery would be made as per demand. The reply is not tenable as MCP had not taken concrete steps to assess and recover the actual amount of tax. Audit further observed that there were no proper mechanism to reconcile and timely recovery of the Municipal Electricity Tax from the DISCOMs. As a result, huge potential revenue remained untapped.</p> <p>Recommendation: MCs concerned should strengthen the system for recovery of taxes, rent, fee, etc. to make the municipalities self-sustainable.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	सरकार के पत्र संख्या डीयूएलबी/बीए-2/2021/13547-13556 दिनांक 19.05.2021 के अनुसार, सरकार ने 31.12.2021 तक बिजली की खपत पर 2 प्रति ात उपकर का निपटान किया ळें
-----------	---

Gurugram	सरकार के पत्र संख्या डीयूएलबी/बीए-2/2021/13547-13556 दिनांक 19.05.2021 अनुसार 31.12.2020 तक की बिजली खपत पर 2 प्रति त उपकर का निपटान किया है।
----------	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[20] Para No. 4.1.6.6 Loss of revenue due to delay in tendering process on outdoor advertisement

	<p>The Hon'ble High Court of Punjab and Haryana permitted (November 2014) MCG to put unipoles for advertisement on 77 places. There after, MCG decided to put unipoles at 69 sites measuring 17,679.50 square feet. Audit observed that MCG invited (September 2015) tenders for outdoor advertisement after lapse of nine months of the permission of the Hon'ble High Court. The contract was awarded (December 2015) to an outdoor media company at the rate of Rs. 463 per square feet per month and the company started the work in March 2016. Had MCG invited the tenders immediately after the permission by Hon'ble High Court, the MC would have been able to earn additional revenue for 11 months¹¹, which worked out as Rs. nine crore (17679.50x463x11=Rs. 9,00,41,694).MCG stated (April 2018) that reserve price for auctioning of advertisement rights was to be finalized by a committee headed by Divisional Commissioner and meeting of committee was held only in April 2015 and subsequently tenders were floated in July 2015. Audit is of the opinion that MCG should have insisted the committee for finalization of reserve price at the earliest to avoid loss of revenue of huge amount. Had the Committee headed by the Divisional Commissioner held the meeting immediately after the orders of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana for fixationof reserve price, revenue of Rs. nine crores would have been earned. Responsibility should be considered to be fixed for the loss due to delay in fixation of reserve price.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Gurugram	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2012 के सीओसीपी 2695 में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ श्री नवदीप के असिजा ने एमसीजी क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए 77 साइटों की पहचान की और उन्हें स्वीकार किया। श्री नवदीप के असिजा की रिपोर्ट को एमसीजी द्वारा 2012 के सीओसीपी संख्या 2695 में माननीय उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे के माध्यम से स्वीकार किया गया था। इसके बाद एमसीजी द्वारा हलफनामे के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने एमसीजी को निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दी थी। इन 77 साइटों के लिए 21.11.2014 को। उच्च न्यायालय ने निविदा आमंत्रित करने के आदेश दिनांक 24.12.2014 को सीएमसी को अनुमोदन के लिए ईई (एन.एफ.) द्वारा मामले में आदेश और बैठक के निर्धारण के लिए रखा गया था। 05.01.2015 को सीएमसी कार्यालयों में एक बैठक आयोजित की गई थी, साइट के सत्यापन के बाद, 69 यूनीपोल के स्थान को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीई द्वारा 19.01.2015 को निविदा के आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए मामला रखा गया था</p>
----------	--

	<p>क्योंकि पैरा के अनुसार 5 (ए) हरियाणा नगर पालिकाओं बाहरी विज्ञापन नीति 2010, नगर निगमों के मामले में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तय किए गए आरक्षित मूल्य से कम दरों को उद्धृत करने वाली कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इसके लिए एक बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित करने के लिए मंडलायुक्त से अनुरोध किया गया था, लेकिन संभागीय आयुक्त के कार्यालय ने फाइल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात दिनांक 22.01.2015 को संभागीय आयुक्त को 69 यूनीपोल के आरक्षित मूल्य को अंतिम रूप देने के संबंध में एक लिखित सूचना भेजी गई। प्रत्युत्तर में, मंडलायुक्त ने दिनांक 06.02.2015 को पड़ोसी शहरों दिल्ली और नोएडा में बोर्डों/यूनिपोलों की तदनुसूची दरें प्राप्त करना चाहा। तदनुसार एमसीडी और नोएडा के आउटडोर मीडिया की दरें 23.02.2015 को प्राप्त कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। इसके बाद, बैठक के निर्धारण के लिए ज्ञापन संख्या एमसीजी/सीई/2015/435 दिनांक 12.03.2015 के माध्यम से संभागीय आयुक्त, गुरुग्राम को संचार भेजा गया था।</p> <p>फलस्वरूप दिनांक 17.04.2105 को संभागीय आयुक्त, गुरुग्राम की अध्यक्षता में आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई जो रु 450 प्रति वर्ग फीट प्रति माह के साथ 06 महीने की छोटी अवधि के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है जिसे अधिकतम 10 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और जिला अटॉर्नी, एमसीजी के माध्यम से निविदा दस्तावेज की जांच के बाद, निविदा 07.07.2015 को ऑनलाइन जारी की गई थी लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद दिनांक 08.09.2015 को पुनः निविदा जारी की गई।</p> <p>उपरोक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद इस मामले में एमसीजी की ओर से कोई देरी नहीं हुई। मामला लगातार प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत था जैसे बैठक का निर्धारण, निविदा दस्तावेजों की जांच करना। इन मानक विभागीय कार्यवाहियों को स्वीकृति मिलने में कुछ समय लगता है।</p>
--	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[21] Para No. 4.1.6.7 Non-realisation of revenue due to dishonoured cheques

	<p>MCs were receiving payments on account of house tax, fire tax, fee/charges, earnest money deposit of tenders etc. through cheques. These cheques were required to be deposited in banks and banks in turn were required to credit the amount in MC's accounts. In case of dishonour of cheques, the demands were required to be raised from the defaulters. Scrutiny of records of MCP revealed that 83 cheques of Rs. 20.27 lakh received on account of house tax, fire tax, fee/charges, earnest money deposit of tenders etc. during January 2017 to May 2017 were dishonoured by the banks. However, the reasons for dishonoured cheques were not made available to Audit. It was further observed that the MCs had not monitored the realization of revenue of these dishonoured cheques from payers, as a result, revenue to the extent of Rs. 20.27 lakhs remained unrecovered.</p> <p>On being pointed out by Audit, MCP stated (May 2018) that demand had been raised against defaulters. The efforts made by MC to</p>
--	---

	realize the amount of dishonoured cheques were not adequate with the result that Rs. 20.27 lakhs remained unrecovered.
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अवधि जनवरी 2017 से मई 2017 के दौरान ग्रहकर, अग्निकर फीस व निविदा फीस इत्यादी के रूप में 20.27 लाख रु० की राशी के प्राप्त 83 चैक बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये, जिसमें से 87,853.50 रूपये बकाया है। यह राशी उन भूस्वामियों के विरुद्ध पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। भविष्य में इस राशी की वसूली कर ली जाएगी।
-----------	--

The Committee has desired to kept the para pending.

[22] Para No. 4.1.6.8 Non-realisation of fire charges

	<p>Rule 11 (2) of Haryana Municipal (Formation and Working of Fire Brigade) Rule, 1985 provides that in case of extinguishing of fire outside the jurisdiction of municipal area, charges were to be recovered from the persons, institutions, villages to whom fire service was provided. If the person, to whom these services were rendered, had not paid the amount, action should be taken to recover the amount as arrear of land revenue under Section 98 of Haryana Municipal Act, 1973.</p> <p>Scrutiny of record of MCG showed that an amount of Rs. 25.48 lakhs on account of fire charges was lying outstanding against persons, grampanchayats and institutions up to March 2018. MCG stated (April 2018) that notices were being issued to recover the outstanding fire charges. Further developments were awaited (February, 2021)</p> <p>Recommendation: Action should be taken to recover the fire charges as arrear of land revenue under Municipal Act, 1973.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

Gurugram	<p>वर्ष 1999 से वर्ष 2005 में (वर्ष में 2 माह के लिए) दमकल भाखा नगर निगम, गुरुग्राम तत्कालीन नगर परिषद से उपायुक्त गुरुग्राम के आदेशानुसार गर्मी में फसल कटाई के सीजन में लगने वाली आग को बुझाने हेतु दमकल गाड़ी नूहं/फिरोजपुर झिरका मेवात में रु० 20,000/- प्रति माह चाजिज पर भेजी गई थी। जिसकी कुल राशि रु० 1,92,260/- बनती थी।</p> <p>सम्बन्धित राशि की रिकवरी हेतु पत्र क्रमांक MCG/FS/BN/935 & MCG/FS/BN/ 941 dated 06.08.2020 & 09.09.2021 द्वारा बिल भेजकर पत्राचार किया गया है, जिसकी अभी तक उपमण्डल अधिकारी (सिविल), फिरोजपुर झिरका द्वारा अदायगी नहीं की गई है।</p> <p>अब हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अग्निशमन अधिनियम, 2022 के तहत इस राशी की छूट प्रदान कर दी गई है। अतः पैरा ड्राप करने का कष्ट करें।</p>
----------	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[23] Para No. 4.1.6.9 Non-recovery of contract amount

	<p>As per terms and conditions of bid documents, the contractors for lifting of dead animals were required to deposit 50 <i>per cent</i> of the contract amount at the time of opening of bid and balance amount was to be deposited on the execution of agreement. In case the contractor failed to deposit the amount at the time of execution of agreement, the contract would be cancelled and 50 <i>per cent</i> amount deposited at the time of opening of bid would be forfeited.</p> <p>Scrutiny of records of MCP revealed that four contractors were allotted the work of lifting of dead animals at a contracted amount of Rs. 42.62 lakhs during the period 2016-18. The contractors had deposited only Rs. 29.31 lakhs and balance amount of Rs. 13.31 lakhs was not deposited. Audit observed that MCP neither recovered the outstanding amount nor cancelled the contract agreement. MCP stated (June 2018) that notices had been issued to all the contractors for recovery of outstanding amount but further developments about recovery were awaited (February 2021).</p> <p style="text-align: center;">Recommendations: MC may ensure that the contract amount should be deposited as per agreement within prescribed time limit.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमसी, पंचकूला ने सभी ठेकेदारों को बकाया राशि की वसूली के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया है लेकिन राशि अभी भी बकाया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि चूककर्ताओं को फिर से नोटिस जारी किया जाएगा और शेष राशि रु 13.31 लाख की वसूली जल्द से जल्द की जाएगी।</p>
------------------	--

The Committee has desired to kept the para pending.

[24] Para No. 4.1.7.1 Encroachment of land

	<p>Section 408 of HMC, Act stipulates that no person shall, without authority in that behalf, remove earth, sand or other material or deposit any matter or make any encroachment in or on any land vested in the Corporation or in any way obstruct the same. Further, Section 408A provides that in case of any encroachments or un-authorized occupation of Land by any person/bodies, the Corporation will take timely action for getting the same freed from encroachment.</p> <p>Scrutiny of records of MCG showed that 31.37 acres of land valuing Rs. 232.64 crores (other than court cases) was under encroachment in various areas of the city as of March 2018. MCG was empowered under Section 408A to take possession of the premises/land or building/structure constructed on the land or demolishes unauthorized construction or restore to its original state but appropriate action was not</p>
--	---

<p>taken against the encroachers. MCG stated during exit conference (April 2018) that action would be initiated against encroachers. Further developments were awaited (February 2021).</p> <p>Recommendations: The MC should take prompt action to remove any encroachment of MC land and also take appropriate action against encroachers.</p>

The Department in its written reply stated as under:-

क्र० सं०	गांव का नाम	रकबा जिस पर अवैध कब्जा है।	रकबा जो कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है।	रकबा जिस पर कार्यवाही की जा रही है।	रकबा जिस पर कोर्ट केस है।	विवरण
1	धनवापुर	4-3	-	-	-	रकबा 4K-3M HSVP द्वारा अर्वाड नं० 14 दिनांक 12.03.1991 से एकवायर हो चुका है।
2	गाडौली खुर्द	0-4	0-2	-	-	मौका पर खाली है। 0K-2M रकबा से गैर मौरुसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है।
3	सिही	2-0	2-0	-	-	मौका पर खाली है।
4	कादीपुर	49-16	0-16	-	सिविल कोर्ट, गुरुग्राम (CS2499/2020) आगामी तिथि 09.08.2022 रकबा 49K-0M	मौका पर तार फेंसिंग की हुई है तथा पार्क, खेल ग्राउण्ड (बैडमिंटन कोर्ट व वालीवाल ग्राउण्ड) बनाया हुआ है।
5	नरसिंहपुर	48-0	-	-	-	48K-0M रकबा से गैर मौरुसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही जा रही है।
6	कार्टरपुरी	2-3	-	-	-	रकबा 2K-3M HSVP द्वारा अर्वाड नं० 4 दिनांक 19.07.1985 से एकवायर हो चुका है।
7	डूण्डाहेडा	7-2	0-2	-	-	मौका पर खाली है तथा 2K-0M रकबा से गैर मौरुसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेत्री

						गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है तथा 5K 0 M रकबा HSVP द्वारा अर्वाड नं0 212 दिनांक 22.12.2016 से एकवायर हो चुका है।
8	गुडगांव गांव	29-0	-	-	-	1K-0M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। व 9K-5M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है तथा 18K-15M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है
9	सरहौल	22-14	-	-	-	22K-14M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है
10	सुखराली	13-14	2-3	11 Kanal 11 Marlaभूमि पर दिनांक 30.01. 2018 को HMC Act 1994 Section 408 (A)के तहत नोटिस जारी किया हुआ है।	-	मौका पर चारदीवारी की हुई है।
11	सिकन्दरपुर घोसी	52-0	10-10	41 Kanal 10 Marlaभूमि पर दिनांक 24.03.2017 को HMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नोटिस	-	मौका पर खाली है।

					जारी किया हुआ है।		
12	घाटा	39-5	20-5	18 Kanal -0 Marla भूमि पर दिनांक 24.08.2016 HMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नोटिस जारी किया हुआ है।	1K-0M रकबा पर सिविल कोर्ट, गुरुग्राम में केस लम्बित है। आगामी तिथि 09.08.2022	मौका पर खाली है।	
13	ग्वाल पहाड़ी	96-3	25-0	69 Kanal-3 Marla भूमि पर दिनांक 24.08.2016 को HMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नोटिस जारी किया हुआ है।	1K-0M रकबा पर केस सिविल कोर्ट, गुरुग्राम में केस लम्बित है। आगामी तिथि 07.09.2022	मौका पर खाली है।	
14	नाथूपुर	143-6	40-0	103 Kanal 6 Marla भूमि पर दिनांक 10.10.2019 को HMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नोटिस जारी किया हुआ है।		मौका पर खाली है।	
15	बादशाहपुर	35-13	1-15	-	33K-18M रकबा पर दो केस सिविल कोर्ट, गुरुग्राम में लम्बित है। आगामी तिथि 22.08.2022 28.11.2022	मौका पर खाली है तथा चारदीवारी की हुई है।	
16	बेगमपुर खटौला	3-12	-	-	-	3K-12M रकबा HSIIDC ने अवार्ड नं0 2 दिनांक 18.11.2005 से एकवायर किया हुआ है।	
17	नाहरपुर	13-13	-	-	-	13K-13M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है	
18	टीकरी	3-12	-	-	-	3K-12M रकबा से गैर	

						मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है।
19	बहरामपुर	16-2	6-0	-	10K-2M रकबा सिविल कोर्ट, गुरुग्राम में केस लम्बित है। (3057/2015)	मौका पर खाली है।
20	झाड़सा	18-10	-	-	-	18K-10M रकबा HSVP ने अवार्ड नं० 9 दिनांक 5.07.2000 से एकवायर हो चुका है।
21	समसपुर	0-3	-	-	-	0K-3M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेत्री गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है।
22	आदमपुर	16-10	-	-	-	16K-10M रकबा HSVP ने अवार्ड नं० 23 से दिनांक 29.12.2005 से एकवायर हो किया हुआ है।
23	इस्लामपुर	3-0	-	-	-	3K-0M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर गुरुग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है।
कुल योग		K-M 620-10 (77.65 Acer)	K-M 158-13 (20 Acer)	K-M 243-10 (30 Acer)	K-M 46-16 (6 Acer)	गैर मौरूसी- 122K-2M अवार्ड -49K-18M (21 Acer)
<p>1. कुल 77.65 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन है और जिसमें से 13.39 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है।</p> <p>2. एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी द्वारा 21-52 एकड़ गैर मौरूसी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।</p> <p>3. 28.64 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।</p>						
प्वाइंट नंबर 3						
Sr. No.	Name of Village	Area K-M			Remarks	
1	Sukrali	11-11			Notices have been issued by the concerned Joint Commissioner, Municipal Corporation, Gurugram	
2	Sikanderpur Ghoshi	41-10				

	3	Ghata	18-0	under section 408(A) of the Haryana Municipal Corporation Act 1994 to the encroachers.
	4	Gwal Phari	55-3	
	5	Nathupur	103-6	
		Total	229-10 (Acre 28.64)	

The Committee has desired to kept the para pending.

[25] Para No. 4.1.7.2 Irregular running of marriage palaces/halls

	<p>Sections 250, 254 and 330 of the HMC Act provide that requisite permission was required to be taken from the Commissioner of the MCs for erection of building or the execution of a work, alter, enlarge or extend any factory, workshop or trade premises. If erection of any work has been completed or commenced without sanction referred to in Section 254, the Commissioner in addition to any other action make an order of demolition.</p> <p>Scrutiny of records of MCG and MCP revealed that 75 banquet halls 13 were running irregularly without obtaining permission from the Corporations. Audit observed that neither any process to regularize the marriage palace nor any action for demolition of structure had been taken by the Corporations. MCP stated (June 2018) that action is being taken to regularise the illegal marriage palaceswhile MCG (April 2018) stated that notices had been issued to the owners, which are running without permission.</p> <p>Recommendation: MCs may take corrective action of illegal marriage palaces as per Act which is running without permission.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित वार्ड एपीओ को नगर निगम, पंचकूला में चल रहे अवैध मैरिज पैलेसों का सर्वेक्षण करने के लिए कार्य आवंटित किया गया है और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद एचएमसी अधिनियम, 1994 के अनुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
Gurugram	मैरिज पैलेस/हॉल के अनियमित संचालन का मामला भी माननीय लोकायुक्त, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में 2016 की शिकायत संख्या 110 के तहत है, जिसमें जिसमें मैरिज हॉल/बैंकेट हॉल के अवैध निर्माण के संबंध में एक तकनीकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की सिफारिश की गई है और नगर पालिकाओं, जिला प्रशासन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत प्राधिकरणों की संयुक्त समिति, जो ऐसे निर्माणों को हटाने के लिए निगरानी और कदम उठाएगी।माननीय लोकायुक्त, हरियाणा के आदेशों की अनुपालना में शिकायत के सभी पहलुओं की जाँच करने और उचित सिफारिशें/कार्रवाई हेतु अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य नगर योजनाकार, एमसीजी, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट, उप-मण्डल बादशाहपुर, गुरुग्राम और जिला नगर योजनाकार (योजना), टी एंड सीपी, गुरुग्राम की एक समिति का गठन आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा जारी आदेश क्रमांक एमसीजी/स्था/ओए-1/ 2022/15119 दिनांक

	14.04.2022 के तहत किया गया है। उक्त समिति ने पहले ही दो बैठकें बुलाई हैं तथा विभिन्न कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाधीन है। इसे संकलित किया जाएगा और सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
--	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[26] Para No. 4.1.7.3 Loss due to lack of co-ordination between MCG and Police Department

	<p>Section 201 of the Motor Vehicle Act 1988 provides that such officer or authority as the State Government may, by notification in the official Gazette, authorise shall recover penalty or towing charges from the vehicle owner or person in-charge of such vehicle. Towing charges includes any costs involved in the removal of the motor vehicle from one location to another.</p> <p>On request of Traffic Police, Gurugram, towing vehicles were hired (January 2016) by MCG from a contractor and kept at the disposal of the Traffic Police, Gurugram for towing vehicles parked in the non-parking areas and imposing penalties. The amount of penalty (other than the penalty levied by Police Department) was to be shared in the ratio of 66:34 between the contractor and MCG. As per term and conditions of contract with MCG, the towing charges were required to be collected by the contractor. However, only such officer, which is authorised by State Government under Section 201 of the Motor Vehicle Act 1988, was required to recover the penalty or towing charges and neither the MCG nor the contractor engaged by MCG fall under this category.</p> <p>Test check of records of the MCG revealed that the contractor provided (18 January 2016) seven cranes which remained at the disposal of Police Department up to 29 February 2016 but the towing charges from the defaulters was not collected by contractor as neither the permission was granted by the police department for collection of the same to contractor nor was it possible to authorize the contractor in view of provisions of Section 201 of Motor Vehicle Act, 1988. Consequently, towing charges of the vehicles could not be recovered. MCG paid hiring charges amounting to Rs. 15.93 lakhs at the rate of ` 4,750 per crane per day to the contractor for this period. These cranes were again provided to the Police Department on the same term and conditions during 29 July 2016 to 30 November 2016, but no towing charges was collected. However, payments of Rs. 60.80 lakhs was made (December 2016 and March 2017) to the contractor. Thus, MCG suffered loss of Rs. 76.73 lakhs dueto undertaking activities outside its purview.</p> <p>MCG stated (June 2017) that penalty for unauthorized parking was imposed by the Police Department and revenue was also earned at their level. The reply is not tenable as MCG took up activities outside its domain without any Memorandum of Understanding (MoU) or agreement with the police department to recover charges for the services being provided by or through MCG. This resulted in an irregular expenditure of</p>
--	---

Rs. 76.73 lakhs which was not a part of function of MCG.
--

The Department in its written reply stated as under: -

Gurugram	<ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त पैरा के संदर्भ में लिखा जाता है कि संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात गुरुग्राम एवं सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, गुरुग्राम के अनुरोध पर नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा ई-टैण्डरिंग के माध्यम से टैण्डर आमंत्रित करके जनहित में 7 क्रेन शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा मैसर्स संजय कान्स्ट्रक्टर, वी0पी0ओ0 खैरू, जिला भिवानी को कार्यालय द्वारा जारी वर्क-आर्डर/आदेश पत्र क्रमांक EE(S)/MCG/2016/2405 दिनांक 13.01.2016 की पालना में फर्म के द्वारा दिनांक 18.01.2016 से (6+1) कुल 7 क्रेन यातायात पुलिस, गुरुग्राम को उपलब्ध करवाई गई। 2. निविदायें आमंत्रित करते समय पुलिस विभाग के द्वारा पूर्व में ऐसी कोई बंदिश नहीं थी कि नगर निगम, गुरुग्राम को गलत वाहन पार्किंग के लिये वाहन चालकों के विरुद्ध चालान करने के लिये जी-8 या रसीद जारी करने का अधिकार नहीं होगा। 3. पुलिस विभाग द्वारा इन क्रेनों का प्रयोग गुरुग्राम शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिये किया गया। जिसके लिये पुलिस विभाग ने चालान किये गये वाहनों की तथा उनके द्वारा इस अवधि में चालान-राशि की रसीद पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित चालान-बुक में काटी गई। नगर निगम, गुरुग्राम हेतु कोई चालान राशि प्राप्त नहीं की गई। 4. मामला संज्ञान में आने के उपरांत पुलिस विभाग को नगर निगम कार्यालय के पत्र क्रमांक MCG/JC(HQ)/CFMS/2016/13023 दिनांक 13.03.2016 के द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा जारी की गई जी-8/रसीद बुक में चालान राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जायें। ताकि नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा उपलब्ध करवायी गई क्रेनों के लिये किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय हानि न हों। यदि पुलिस विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई तो नगर निगम, गुरुग्राम दिनांक 01.04.2016 से पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी गई सभी क्रेन हटा लेगा तथा पुलिस विभाग द्वारा नगर निगम को चालान राशि प्राप्त करने की अनुमति न प्रदान करने के फलस्वरूप नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी गई सभी क्रेन दिनांक 01.04.2016 से हटा ली गई थी। 5. इसी दौरान गुरुग्राम शहर में बारिश के मौसम में महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 18109 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा अनुरोध किया कि जिला गुरुग्राम में बढ़ते हुये वाहनों की अधिकता के कारण हर रोज कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनी रहती है तथा बारिश का मौसम होने के कारण सड़क पर कोई भी वाहन खराब होने की वजह से जाम की विकट स्थिति हो जाती है इसके अतिरिक्त वाहन मालिकों द्वारा अपनी गाड़ियों को अवैध तरीके से सड़क के साथ खड़ी कर देने के कारण अक्सर यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है। इसलिये पुलिस विभाग को 6 क्रेन किराये पर उपलब्ध करवायी जायें। इसके अतिरिक्त श्री वाई पूरण कुमार, संयुक्त आयुक्त पुलिस, गुरुग्राम द्वारा जारी अर्द्ध-सरकारी पत्र क्रमांक 829-31/JCP दिनांक 03.08.2016 ने अनुरोध किया कि बरसात के कारण महा-जाम की
----------	--

	<p>विकट स्थिति से निपटने के लिये भीष्म अति भीष्म 15 क्रेनें उपलब्ध करवायी जायें।</p> <p>6. नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा आम नागरिकों को महाजाम की विकट स्थिति में सुविधा प्रदान करने तथा महाजाम की विकट स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुरुग्राम शहर की धूमिल हो रही छवि को सुधारने में नगर निगम का दायित्व समझते हुये तथा पुलिस विभाग द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुये तुरन्त प्रभाव से 7 क्रेनें दिनांक 29.07.2016 से यातायात को दुरुस्त करने के लिये पुलिस विभाग को उपलब्ध करवाई गई।</p> <p>7. महाजाम की विकट स्थिति से निपटने के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, दिनांक 01.11.2016 को हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन में गरिमामयी उपस्थिति के मददे-नजर पुलिस विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम, गुरुग्राम उपलब्ध करवायी गई सभी 7 क्रेनें पुलिस विभाग के अर्न्तगत ही कार्य करती रहेंगी। जिसकी पुष्टि आयुक्त, पुलिस, गुरुग्राम ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 26840 दिनांक 24.11.2016 पुलिस विभाग ने नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा उपलब्ध करवायी गई सभी 7 क्रेनों का प्रयोग यातायात दुरुस्त करने हेतु किया गया।</p> <p>8. नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा पुलिस विभाग को कार्यालय के पत्र क्रमांक 61426 दिनांक 04.12.2016 के द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी जाने वाली क्रेनों के लिये 4750/- रुपये प्रति क्रेन सर्विस टैक्स प्रतिदिन की दर से किराये पर ली हुई तथा जिनका भुगतान निगम द्वारा किया जाना पड़ रहा है। परंतु नगर निगम, गुरुग्राम को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके कारण निगम को अतिरिक्त राजस्व आय का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिये नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी जा रही सभी 7 क्रेनों को दिनांक 30.11.2016 से पुनः हटा लिया गया था।</p> <p>9. जिसके उपरांत पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 28973 दिनांक 16.12.2016 के माध्यम से नगर निगम द्वारा जारी जी 8/- रसीद बुक में गलत पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान राशि काटने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।</p> <p>10. पुलिस विभाग द्वारा जारी सत्यापन के अनुसार मैसर्स संजय कान्स्ट्रक्टर, वी0पी0ओ0 खैरू, जिला भिवानी ने दिनांक 18.01.2016 से दिनांक 18.12.2016 तक उपलब्ध करवायी गई 7 क्रेनें पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी गई। परंतु फर्म को जी-8/रसीद जारी न करने के फलस्वरूप कोई आय प्राप्त नहीं हुई। जबकि पुलिस विभाग के सत्यापन अनुसार इन क्रेनों द्वारा उक्त अवधि में कार्य लिया गया, इसलिये जनहित में निगम द्वारा अनुमोदित फर्म के माध्यम से उपलब्ध करवायी गई 7 क्रेनों की अदायगी निगम कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित रेट पर की गई।</p> <p>11. फर्म द्वारा उपलब्ध करवायी गई क्रेनों ने पुलिस द्वारा यातायात को व्यवस्थित करने तथा महाजाम की स्थिति से निपटने के लिये अहम भूमिका निभाई है। जहाँ तक राजस्व की हानि का प्रश्न है यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस विभाग द्वारा अपने स्तर पर चालान काटकर राजस्व की प्राप्ति की गई है।</p> <p>12. नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा पुलिस विभाग के साथ लगातार समन्वय स्थापित</p>
--	--

	<p>किया गया था। इसलिये यह कहना कि नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित नहीं किया गया, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पैरा समाप्त करने की कृपा करें।</p> <p>अतः पैरा समाप्त करने की कृपा करें।</p>
--	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[27] Para No. 4.1.7.4 Shortage of staff

	<p>The overall position of staff sanctioned and persons-in-position as at end of March 2018 was as under:</p> <p>Position of staff sanctioned and persons-in-position</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category of staff</th> <th>Name of MC</th> <th>Sanctioned staff</th> <th>Persons-in-position</th> <th>Shortage (Percentage)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Technical (Group A, B and C)</td> <td>MCG</td> <td>85</td> <td>62</td> <td>23 (27)</td> </tr> <tr> <td>MCP</td> <td>69</td> <td>47</td> <td>22 (32)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Non-Technical (Group A and B)</td> <td>MCG</td> <td>31</td> <td>19</td> <td>12 (39)</td> </tr> <tr> <td>MCP</td> <td>06</td> <td>03</td> <td>03 (50)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Non-Technical (Group C)</td> <td>MCG</td> <td>425</td> <td>81</td> <td>344 (81)</td> </tr> <tr> <td>MCP</td> <td>84</td> <td>14</td> <td>70 (83)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Group D</td> <td>MCG</td> <td>94</td> <td>19</td> <td>75 (80)</td> </tr> <tr> <td>MCP</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>07 (41)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>811</td> <td>255</td> <td>556 (69)</td> </tr> </tbody> </table> <p>It would be seen that there was shortage of manpower resources in various cadres ranging between 27 and 83 per cent as on March 2018.</p> <p>Recommendations: The MCs concerned may take steps to fill up vacant posts in order to streamline the functioning of the Municipality and increase efficiency.</p>	Category of staff	Name of MC	Sanctioned staff	Persons-in-position	Shortage (Percentage)	Technical (Group A, B and C)	MCG	85	62	23 (27)	MCP	69	47	22 (32)	Non-Technical (Group A and B)	MCG	31	19	12 (39)	MCP	06	03	03 (50)	Non-Technical (Group C)	MCG	425	81	344 (81)	MCP	84	14	70 (83)	Group D	MCG	94	19	75 (80)	MCP	17	10	07 (41)	Total		811	255	556 (69)
Category of staff	Name of MC	Sanctioned staff	Persons-in-position	Shortage (Percentage)																																											
Technical (Group A, B and C)	MCG	85	62	23 (27)																																											
	MCP	69	47	22 (32)																																											
Non-Technical (Group A and B)	MCG	31	19	12 (39)																																											
	MCP	06	03	03 (50)																																											
Non-Technical (Group C)	MCG	425	81	344 (81)																																											
	MCP	84	14	70 (83)																																											
Group D	MCG	94	19	75 (80)																																											
	MCP	17	10	07 (41)																																											
Total		811	255	556 (69)																																											

The Department in its written reply stated as under:-

Panchkula	नगर निगम, पंचकूला की नवीनतम स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है:-					
	Sr. No.	Category of Post	Sanctioned Post	Filled Up	Vacant Post	Remarks
	1	Technical (Group A, B and C)	41	14	27	Salary of DTP is drawn against the vacant post of Dy. MC
	2	Non-Technical (Group A and B)	13	5	8	
	3	Non-Technical (Group	62	36	26	(i) 14 DEOs have been engaged

	C)				through HARTRON against vacant posts. (ii) 1 Draftsman has been engaged under Part-II.
4	Group D	912	567	345	557 Safai Karamcharis have been engaged on Palika Roll against vacant posts of Safai Karamcharis.
Total		1028	622	406	
उपरोक्त के अलावा, इसके सुचारु संचालन के लिए 553 संविदा कर्मचारियों को भी लगाया गया है।					
Gurugram	नगर निगम, गुरुग्राम की नवीनतम स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है:-				
	Sr. No.	Category of Post	Sanctioned Post	Filled Up	Vacant Post
	1	Technical (Group A, B and C)	97	36	61
	2	Non-Technical (Group A and B)	20	16	04
	3	Non-Technical (Group C)	212	103	109
	4	Group D	98	52	46
	Total		427	207	220
उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु 1793 कर्मचारियों को अनुबन्ध आधार पर रखा गया है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि हरियाण राज्य के शहरी स्थानीय निकाय विभाग में निम्न विवरण अनुसार 1022 पदों को भरने हेतु हरियाणा राज्य चयन आयोग को मांग भेजी हुई है:-					
	Sr. No.	Name of Posts	Requisition No.	No. of post	Date
	1	JE (Civil)	RQ 1414	98	10.02.2022
	2	JE (Horticulture)	RQ 1439	7	10.02.2022
	3	JE (Electrical)	RQ 1415	8	10.02.2022
	4	Accountant	RQ 1417	37	10.02.2022
	5	Steno Typist	RQ 541	67	11.02.2022
	6	Clerks	RQ 1390	393	11.02.2022
	7	Draftsman	RQ 1526	59	11.02.2022

8	Sanitary Inspector	RQ 539	50	11.02.2022
9	Peon(HQ)	RQ 1046	40	13.06.2022
10	Executive Officer	RQ 1712	2	17.02.2022
11	Secretary (Municipal Committee)	RQ 1715	14	17.02.2022
12	Secretary (Municipal Council)	RQ 1716	8	17.02.2022
13	Peon(Field)	RQ 1916	53	24.06.2022
14	Beldar	RQ 1047	88	24.06.2022
15	Mali	RQ 1040	39	24.06.2022
16	Mali cum Chowkidar	RQ 1039	11	24.06.2022
17	Assistant Pump Operator	RQ 1034	34	24.06.2022
18	Bill Distributor	RQ 1038	14	24.06.2022
19	Municipal Engineer		44	21.10.2022
Total			1066	

The Committee has desired to kept the para pending.

[28] Para No. 4.1.7.5 Non-preparation of Annual Accounts

<p>Section 168 of HMC Act read with paragraph III 7 (1) of the Municipal Account Code 1930 provides that an Annual Account for every year in respect of Municipality was to be prepared. Audit observed that Annual Accounts were not being prepared by MCP since its inception (March 2010). However, income and expenditure statement was being prepared in MCP. Due to non-preparation of Annual Accounts, the true and fair view of the affairs of MCP could not be ascertained. Moreover, during audit of MCP (February 2021 to June 2021) also, it was observed that Annual Accounts were still not being prepared by MCP.</p>
--

The Department in its written reply stated as under: -

Panchkula	नगर निगम, पंचकुला में वार्षिक लेखे तैयार किये जा रहें है तथा वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे सिटि फाईनैस पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।
-----------	--

The Committee has desired to kept the para pending.

[29] Para No. 4.2.2 Financial management

<p>4.2.2.1 Delay in release and unauthorized retention and utilization of funds</p> <p>Paragraph 9.5 of the mission guidelines stipulates that State should release the Central Assistance funds along with State share to the ULBs within seven working days of release of central share. Scrutiny of records of Director General, ULB revealed that the State Government released Central Assistance along with States hare after a delay of three to seven months as per details given below:</p> <p>Delay in the release of Grants (Rs. In crores)</p>
--

Sr. No.	Grant Received (Central Share and State Share)	Date of sanction by State Government	Date of release to ULBs	Grant released	Delay
1.	87.60	20 February 2016	03 October 2016	79.6	7 months 13 days
2.	101.76	22 September 2016	16 January 2017	72.49	3 months 24 days
3.	123.50	11 December 2017	27 March 2018	130.00	3 months 16 days
	312.86			282.09	

Source: Director General, Urban Local Bodies, Panchkula

It was further noticed that the Director General, ULBs released Rs. 282.09 crores as against the sanction of Rs. 312.86 crores after retaining Rs. 30.77 crores. Out of this, an expenditure of Rs. 12.85 crores was incurred as Administrative and Office Expenses (A&OE) and Rs.17.92 crores had been lying with the Directorate. Spending of projects fund on A&OE and retaining of funds by Directorate was irregular as the funds were meant for implementation of the projects.

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<ul style="list-style-type: none"> ● 313.36 करोड़ रुपये की राशि अमृत योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दारा वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान जारी की गई थी ● हरियाणा राज्य में, हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचयूआईडीबी) को अमृत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। 313.36 करोड़ रुपए में से, 289.85 करोड़ रुपये विभिन्न नगर पालिकाओं को जारी कर दिए गए थे और 23.51 करोड़ HUIDB के खाते में रखे गए थे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय सभी काम जोरों पर नहीं थे। कुछ नगर पालिकाओं में कार्य प्रगति पर थे जबकि कुछ नगर पालिकाओं में काम की प्रगति बहुत धीमी थी। यदि नगर पालिकाओं को धनराशि जारी कर दी जाती, तो इसके परिणामस्वरूप कुछ नगर पालिकाओं में धन अनावयक रूप से जमा हो जाता और अन्य पालिकाओं के लिए धन की कमी हो सकती थी (जहां काम की प्रगति जोरों पर थी)। ● अमृत योजना के तहत जारी फंड का उपयोग पालिकाओं द्वारा अन्य कार्यों/उद्देश्यों के लिए होने की संभावना थी। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि यह शेष राशि एचयूआईडीबी के खाते में रखी जानी चाहिए और इसे नगरपालिकाओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार राशि जारी की जानी चाहिए। ● भारत सरकार से A&OE फंड प्राप्त नहीं हुए थे और डीपीआर/डीएनआईटी तैयार करने का कार्य प्रगति पर था। इसलिए, परियोजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के लिए, सलाहकारों को परियोजना घटक के तहत उपलब्ध राशि से भुगतान किया गया था। A&OE घटक के तहत अनुदान प्राप्त करने के बाद धनराशि रिकूप कर दी गई थी।
-------	---

इस ऑडिट पैरा को ड्रॉप करने का कष्ट करें।
--

The Committee has desired to kept the para pending.

[30] Para No. 4.2.2.2 Non-utilization of funds

	<p>Audit observed that out of Rs. 282.09 crores released to 18 municipalities, only three municipalities spent Rs. 60.05 crores (21 per cent) on projects during 2015-17 and balance amount of Rs. 222.04 crores was lying in the bank accounts. Thus, implementation of the projects and utilization of funds was very slow. Due to non-utilization of funds of first instalments, the Department could not claim second and third instalments from GOI.</p> <p>MC, Faridabad stated (July 2018) that amount could not be spent as the project was yet to be finalised.</p> <p>An amount of Rs. Five crore was released by GOI in July 2015 for preparation of SLIPs and capacity building of ULBs. Out of this, funds were released to 18 municipalities at Rs. 25 lakhs each in February 2016. Audit, however, observed that the amount had not been utilized by any of the municipalities except MC, Sirsa (₹1.50 lakh).</p> <p>Further, it was observed that an amount of Rs. 25 lakhs had not been credited in the bank accounts of MC, Sonipat though a period of more than two years had elapsed since the release of funds. MC, Sonipat admitted (February 2018) that the amount had not been received and added that the matter had been taken up with the Directorate.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<p>(a)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू की गई थी। 2. अमृत योजना की धीमी गति और भारत सरकार से धन का दावा नहीं करने के कारण निम्नानुसार है: - <ol style="list-style-type: none"> (i) पहले यह दुविधा थी कि अमृत योजना का संचालन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है या शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना है। अमृत परियोजना को अप्रैल 2017 तक शुरू नहीं किया जा सका था। (ii) विभागों के बीच लंबी चर्चा के बाद, दिनांक 22.06.2017 को यूएलबीएम, एमपीएचई, एपीएससीएम, एसीएस-पीएचईडी, पीएस-यूएलबी, ईआईसी-पीएचईडी, सीई-यूएलबी और ओएसडीसीएम (ए0एस0) की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अमृत योजना का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा। (iii.) इसके बाद, सरकार के हर स्तर पर काम की पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे। 3. अमृत योजना के तहत धनराशि पालिकाओं को आवश्यकतानुसार वितरित किया गया ताकि धनराशि का समय पर उपयोग हो सके। 4. अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर के लिए पहले कार्य का आबंटन एसएलटीसी
--------------	--

	<p>द्वारा 28.08.0218 को आयोजित अपनी 20 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था और उसके बाद वास्तविक निष्पादित कार्य के अनुसार ही धन का उपयोग किया गया था।</p> <p>(b)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एचएसवीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और निकायों के सहयोग से स्वयं ही एसएलआईपी/एसएएपी तैयार करने की पहल की गई और जिसके लिए कई बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गई थी बल्कि कोई आउटसोर्स कर्मचारी नहीं लगाया गया था। 2. इस तरह विभाग ने सरकार द्वारा आबंटित धनराशि को बचा लिया। इस पैसे का उपयोग अमृत के तहत निष्पादित होने वाली परियोजनाओं के लिए किया गया। नगर निगम-सोनीपत ने सूचित किया है कि 25.00 लाख रुपये का अनुदान 02/2016 के दौरान SLIPs तैयार करने और निकायों के कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य के लिए प्राप्त हुए थे। अनुदान का उपयोग नहीं होने के कारण, इसे इस कार्यालय द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से दिनांक 05/2022 में निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकूला को वापस कर दिया गया है।
--	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[31] Para No. 4.2.2.3 Diversion of project funds towards pay and allowances

	<p>Paragraph 3.1.9 of the mission guidelines prohibits incurring of expenditure on purchase of land, staff salaries, power, telecom, health, education, wage employment, etc. Scrutiny of records, however, revealed that Municipal Corporations (MC) of Hisar and Ambala spent Rs. 50 lakhs and Rs. 88.20 lakhs respectively on pay and allowances which was in contravention of guidelines. MC, Hisar stated that amount would be recouped from MC funds</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर निगम-अंबाला ने प्रस्तुत किया है कि नगर निगम-अंबाला के पास कर्मचारियों को वेतन देने और सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन देने के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण, नगर निगम द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के तहत अनुदान राशि पर ब्याज के रूप में अर्जित 88.20 लाख रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के आधार पर नगर निगम निधि में हस्तांतरित की गई थी। ब्याज की उल्लिखित राशि की प्रतिपूर्ति धन की उपलब्धता के आधार पर संबंधित शीर्ष में कर दी जाएगी। <p>नगर निगम-हिसार ने प्रस्तुत किया है कि 50 लाख रुपये की राशि दिनांक 24.01.2018 को अमृत परियोजना निधि से वेतन और भत्तों पर खर्च करने के लिए ली गई थी, उसके बाद दिनांक 28.03.2018 को पालिका निधि से अमृत परियोजना के लिए 50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति कर दी गई।</p>
-------	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[32] Para No. 4.2.2.4 Non-maintenance of separate bank account

	<p>As per Paragraph 9.1 of AMRUT guidelines, funds were to be kept in separate bank account by the implementing agencies. Scrutiny of the records revealed that no separate bank account of AMRUT scheme was maintained by the MC Faridabad. The scheme funds were kept in a common</p>
--	---

	<p>bank account opened in the name of Municipal Corporation, Faridabad. In the absence of separate bank account, the interest earned and its utilization on the scheme could not be ascertained.</p> <p>Recommendation: The DULB may ensure that funds are released in time. Further, the concerned MCs may ensure that funds should be utilised on the prescribed purpose and in time as per sanction.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<p>इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 07.10.2016 को एक अलग बैंक खाता खोला गया था तथा सरकार के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार इस खाते को बंद कर दिया गया था और वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में अमृत योजना के लिए एक नया खाता खोला गया है जिसकी खाता संख्या 50100469305837 है जो कि पीएफएमएस पर लिंक है। इसके अलावा, मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से निधियों के उपयोग की निगरानी की जाती है और वितरित/उपयोग की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की एक मासिक रिपोर्ट, मुख्यालय को भेजी गई।</p>
--------------	---

The Committee has desired to kept the para pending.

[33] Para No. 4.2.3.1 Projects not taken on priority basis

	<p>According to Paragraph 6.6 of project guidelines, universal coverage of the scheme was to be started with water supply followed by sewerage, storm water drains, urban transport, etc. Water supply and Sewerage can be taken together depending on availability of funds. Scrutiny of the records revealed that projects were not taken up as per prioritization policy envisaged in the guidelines after ascertaining the baseline position of water supply, sewerage, etc. Six16 municipalities had not taken up water supply projects despite service level gaps in water supply ranging between 23 and 38 per cent in their areas. Other projects such as sewerage, drainage, etc. were taken up instead of water supply projects by these municipalities which was in contravention of mission guidelines. The Commissioner, MC Karnal stated (July 2018) that the detailed project report of water supply project was in the process of finalization.</p> <p>Recommendation: Projects should be taken up as per prioritization policy as envisaged in the guidelines of the Mission.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<p>प्रारंभ में जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज आदि में सेवा स्तर के अंतराल का आंकलन करने के बाद, 4313.89 करोड़ रुपये की राशि की राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) प्रस्तावित की गई थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा SAAP की राशि को घटाकर रु 1600.92 करोड़ (केंद्रीय हिस्से के रूप में 764.51 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 836.41 करोड़ रुपये) कर दिया गया था। जलापूर्ति और सीवरेज का काम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा देखा जाता है और उन्होंने अन्य योजनाओं में भी कुछ काम लिया था। अमृत के तहत परियोजनाओं को निकायों की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। कुछ अंतराल के बाद, आवश्यकता के अनुसार करनाल में जलापूर्ति का कार्य शुरू किया गया था और अब जलापूर्ति का यह कार्य पूर्ण हो चुका है।</p>
--------------	--

The Committee has desired to kept the para pending.

[34] Para No. 4.2.3.2 Payment of mobilization advance in contravention of NIT Conditions

	<p>As per condition number 4.23.2 of Detailed Notice Inviting Tender (DNIT), mobilization advance shall be given at the rate of 10 <i>per cent</i> of the accepted contract amount in two instalments against a bank guarantee. First instalment not more than five per cent of the accepted contract amount was to be released immediately after signing the contract. Second instalment on demand by the contractor would be released only after submission of service improvement plan and on submission of details of use of first instalment. It was, however, observed that MC, Ambala had given second instalment of mobilization advance of Rs. 6.69 crores in December 2017 for the Ambala Sewerage (AMRUT) programme without obtaining the details of utilization of first instalment of mobilization advance. The work was not even started by the contractor as of January 2018. Thus, release of second instalment of Rs. 6.69 crores was in contravention of DNIT condition and tantamounts toundue favour to the contractor.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<p>नगर निगम अंबाला ने प्रस्तुत किया है कि "Sewerage System in Deficit Area including all ancillary works, Pumping Station & STP on SBR Technology along with O&M for 5 years in Ambala under AMRUT Program" के कार्य के लिए कार्य आदेश पत्र संख्या XEN/17/2448 दिनांक 03.11.2017 से M/s KKSIL NOBLE श्रट को जारी किया गया था। एजेंसी द्वारा 11.11.2017 को कार्य निष्पादित करने का अनुबंध भी किया गया था। इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दिनांक 21.11.2017 को ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि के रूप में 6.69 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी गई थी। मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि की पहली किस्त के उपयोग का विवरण एजेंसी द्वारा उनके ज्ञापन संख्या KKSIL/2017&18/HR&Y/MCA/004 दिनांक 06.12.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। डीएनआईटी की शर्त क्रमांक 4.23.2 के अनुसार एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम की पहली किस्त की उपयोगिता प्राप्त होने पर 15.12.2017 को एजेंसी को 6.69 करोड़ रुपए की मोबिलाइजेशन अग्रिम की दूसरी किस्त दी गई थी।</p>
-------	--

The Committee has desired to kept the para pending.

[35] Para No. 4.2.3.3 Irregular allotment of work on single tender

	<p>According to para 13.18.1(g) of PWD code, single tenders shall normally not be considered unless there are special circumstances to do so. If special circumstances are not present, tender shall be re-called. If re-tendering again results in a single tender, its acceptance may be considered with proper justification and reasons. The Municipal Corporation, Karnal (MCK) invited (March 2017) tenders for sewerage treatment plant on Sequential Batch Reactor (SBR) technology for Rs. 158.98 crores. Two bidders came in response to invited bids. In the meantime, the concept of GST was introduced by GOI and there was no</p>
--	---

	<p>clarity regarding variation in rates of GST. In view of this, State Level Technical Committee (SLTC) in its 9th Meeting (June 2017) decided to recall the tenders to explore competitive rates after Implementation of GST. Accordingly, tenders were re-invited in July 2017 and two bidders participated in the tendering process. However, only one agency was technically qualified and work was allotted after negotiation for Rs. 178.10 crores. Thus, the work was allotted on the basis of single tender. As there were no special circumstances of allotment of work on single tender, allotment of work was not in order instead tenders should have been re-invited as per requirement of the PWD Code. The Executive Engineer, MCK stated (July 2018) that first time two tenders were received and same were rejected by SLTC. After that re-tendering was done where two tenderers participated in the bid process but one tender was rejected on technical ground and remaining one tender was accepted by the competent authority. Reply is not tenable as tenders invited in March 2017 cannot be considered as first tendering process as these tenders were set aside and tenders were re-called due to uncertainties in rates of GST. Thus, the work was awarded on single tender without any special circumstances which tantamount to extending undue favour to the agency.</p> <p>Recommendation: While carrying out development works, PWD Code should be followed in letter and spirit. Further, Terms & Conditions of the DNIT and Contract Agreement of the works being executed under the project should be adhered to.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<ul style="list-style-type: none"> ● इस कार्य के लिए निविदाएं मार्च, 2017 में आमंत्रित की गई थीं। हालांकि, 28.06.2017 को आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की 9वीं बैठक में, जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद अधिक प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के लिए निविदा को फिर से आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। ● तदनुसार, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 02.07.2017 के साथ फिर से आमंत्रित की गई थी। ● निविदा में दो बोलीदाताओं ने भाग लिया था। इस उद्देश्य के लिए गठित निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। ● तथापि, केवल एक एजेंसी को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया था। वित्तीय बोली एमसी करनाल द्वारा खोली गई थी। ● मामला 11.10.2017 को हुई एसएलटीसी की 12वीं बैठक में रखा गया था। ● पीडीएमसी के टीम लीडर ने इस कार्य के लिए एकल निविदा की स्वीकृति का कारण और औचित्य समझाया। बताया गया कि दो बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही यह भी बताया गया कि पीडब्ल्यूडी कोड के अनुसार विशेष परिस्थितियों में एकल निविदा स्वीकार की जा सकती है। ● माननीय प्रधानमंत्री अपनी मासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस 'प्रगति' में इस परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया गया था।
-------	--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • एसएलटीसी द्वारा उक्त कार्यों की निविदा को स्वीकृत किया। |
|---|

The Committee has desired to kept the para pending.

[36] Para No. 4.2.3.4 Allotment of Work without obtaining clearances from departments

	<p>Paragraph 6.10 of the mission guidelines stipulates that work orders should not be issued unless all the necessary clearances have been obtained from the departments concerned. Scrutiny of records of MC Karnal revealed that the work of 'Construction of Storm Water Drain along with Intermediate Pumping Station and Rain Water Harvesting Structure' was allotted in July 2017. Audit observed that work was allotted without obtaining necessary clearances/permission from Forest Department, Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited (UHBVNL), Public Works Department (Building and Roads) and National Highways Authority of India with the result that only 10 <i>per cent</i> of the work could be executed by the agency as of July, 2018. Thus, allotment of work without obtaining clearances from various departments resulted in slow execution of works, depriving the citizens of the facility of storm water drain and rain water harvesting. MC, Karnal admitted (July 2018) the facts and stated that the works would be expedited after getting 'No Objection Certificate' (NOC) from Forest Department, shifting of poles by UHBVNL and permission of road crossing from PWD (B&R) and NHAI.</p> <p><i>Recommendation: Work should be allotted only after seeking prior clearances from concerned department.</i></p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<ul style="list-style-type: none"> • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नगर निगम, करनाल और अन्य स्टेकहोल्डर के परामर्श से तैयार की गई थी। डीपीआर के आधार पर डीएनआईटी तैयार की गई। डीएनआईटी के आधार पर टेंडर आमंत्रित किए गए थे। कार्यों के निष्पादन के दौरान, यह देखा गया कि संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तदनुसार, नगर निगम करनाल ने संबंधित विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। • समय पर एनओसी नहीं मिलने के कारण देरी हुई। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।
--------------	--

The Committee has desired to kept the para pending.

[37] Para No. 4.2.3.5 Capacity building and monitoring

	<p>Annexure-7 of mission guidelines provides that ULBs would impart training to all the elected representatives and functionaries of ULBs to enhance the functional knowledge, improve the job related skills and to change the attitude of municipal functionaries. Scrutiny of records, however, revealed that the training was imparted to functionaries of ULBs</p>
--	---

	<p>but elected representatives were not imparted training in nine17 municipalities. In MC, Sirsa training was imparted to 16 elected representatives out of 31. In remaining eight18 municipalities, no records were maintained about imparting of training to elected representatives. As the elected representatives were not given the required training, there was a lack of appreciation for the modalities of the scheme by them and their functional knowledge and skills remained to be enhanced. As a result of this, the benefits of their inputs could not be derived and monitoring over the implementation of projects was lacking.</p> <p>According to paragraph 15.1 of the mission guidelines, District Level Review and Monitoring Committees (DLRMC) were to be constituted for monitoring and review of the implementation of the projects under mission. Scrutiny of the records revealed that in six19 municipalities DLRMC were not constituted with the result that monitoring of the implementation of projects was lacking, even the works had not been allotted to contractors except for MC, Karnal.</p>
--	---

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न अमृत शहरी स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण मार्च, 2020 तक अमृत के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sr. No.</th> <th style="text-align: center;">Type of Functionaries</th> <th style="text-align: center;">Nos.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Engineers and Town Planners</td> <td style="text-align: center;">260</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Administrative and Finance</td> <td style="text-align: center;">127</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elected Representatives</td> <td style="text-align: center;">236</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">623</td> </tr> </tbody> </table> <p>मार्च 2020 के बाद, COVID-19 की महामारी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए।</p> <p>मिशन दिशानिर्देशों के अनुपालन में, डीएलएमआरसी का गठन सभी उपायुक्तों को इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या HSCB/2019/6800दिनांक 12.09.2019 से परिचालित कर दिया गया था।</p>	Sr. No.	Type of Functionaries	Nos.		Engineers and Town Planners	260		Administrative and Finance	127		Elected Representatives	236		Total	623
Sr. No.	Type of Functionaries	Nos.														
	Engineers and Town Planners	260														
	Administrative and Finance	127														
	Elected Representatives	236														
	Total	623														

The Committee has desired to kept the para pending.

[38] Para No. 4.2.4 Conclusion

	<p>AMRUT was launched by GOI in June 2015 for providing basic services such as water supply, sewerage, urban transportation to households and build amenities in cities to improve the quality of life for all. But the implementation of the projects of the mission was very slow. As against State Annual Action Plan of Rs. 2,565 crores, Rs. 313.36 crores was released by the Centre and State Governments. Of this, Rs. 282.09 crores were released to ULBs for implementation of projects but only three ULBs spent ` 60.05 crore and balance amount of Rs. 222.04 crores was lying unutilised with ULBs. The implementation of the mission is very slow as only 2.34 <i>per cent</i> had been spent as against the total SAAP of Rs. 2,565 crores despite, lapse of more than three years of the mission period (2015-17). Due to non-utilization of funds, the Department could not claim second and third instalments of mission funds from GOI. An amount of Rs. 12.85 crores was spent by the Department on Administrative and Office Expenses out of project funds in violation of project guidelines. Further, priority was not given to water supply projects by six municipalities as provided for in guidelines. Irregular payment of mobilization advance of Rs. 6.69 crores was given to a contractual agency. There were instances of violation of extantrules/instructions/in guidelines for award of works.</p>
--	--

The Department in its written reply stated as under:-

AMRUT	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रत्येक लेखापरीक्षा पैरो के तथ्य ऊपर वर्णित हैं ● तथापि, 04.10.2022की स्थिति के अनुसार अमृत योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है: <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2694.30 करोड़ रुपये की पूंजी लागत की 45 डीपीआर को एस0एच0पी0एस0सी और एस0एल0टी0सी0 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। ❖ इन 45 डीपीआर के तहत, 2310.01 करोड़ रुपये की पूंजी लागत की 55 डी0एन0आइ0र्टी0 तैयार की गई थी और एस0एल0टी0सी0 द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं। ❖ एसएलटीसी द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में 2961.85 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत वाले 55 कार्यों को मंजूरी की जा चुकी हैं। 16 कार्य पूरे हो चुके हैं और 39 कार्य प्रगति पर हैं। सभी कार्य 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है ❖ कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 75% है। ❖ भारत सरकार और हरियाणा सरकार से अब तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार 2363.29करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है:-
-------	--

	भारत सरकार का हिस्सा	755.03 करोड़ रुपये	
	हरियाणा सरकार का हिस्सा (मैचिंग)	836.41 करोड़ रुपये	
	हरियाणा सरकार शेयर (कन्वर्जेन्स)	771.85 करोड़ रुपये	
	कुल	2363.29 करोड़ रुपये	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ अमृत के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर अब तक 2363.29 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। ❖ अमृत योजना के तहत रैंकिंग प्रणाली है। हरियाणा राज्य सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 12वें स्थान पर है। 		

The Committee has desired to kept the para pending.

Part-III

**17TH REPORT OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA
FOR THE YEAR 2021-22, ANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL
AUDIT DEPARTMENT, HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN
LOCAL BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs)
FOR THE YEAR 2015-16 PART-II-A (GRAM PANCHAYATS)**

**AUDITED BY THE DIRECTOR,
LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA**

[39] Appendix I

Para No.3 (i) of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16.

Para No.03: Misappropriation/likely cases of Embezzlement**Appendix- 'I'**

As referred to in **Para 3(i) of Part-II(A)** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs).

Relates to the Cases where Panchayat Fund (cash in hand) was not handed over or less handed over by the Sarpanches/Panches/Gram Sachives and other functionaries of Gram Panchayats, while handing over the charge to their successors/sarpanches.

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
1	Jhajjar	Jhangir pur	Jhajjar	Sh. Duli Chand Ex-Sarpanch	22,031.00
				Sh. Umed Singh Ex-Sarpanch	1,013.00
2	Jhajjar	Jhamri	Matanhail	Sh. Hansraj S/o Hardawari	14,995.00
				Sh. Hansraj S/o Ram Sarup	6,283.00
3	Jind	Padana	Julana	Smt. Anguri Devi Ex- Sarpanch	25,519.97
4	Jind	Gosai Khera	Julana	Sh. Krishan Chand Ex- Sarpanch	1,01,518.00
6	Panipat	Shera	Madlauda	Sh. Sukan Chand Ex- Sarpanch	22,000.00
7	Yamuna Nagar	Mansurpur	Radaur	Sh. Jagir Singh Ex-Panch	1,450.00
				Sh. Bihari Lal Ex-Panch	6,409.00
				Sh. Raj Kumar Ex-Sarpanch	23,654.99

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Sh. Sher Singh Ex-Sarpanch	42,379.00
				Smt. Chinto Devi Ex- Sarpanch	20,000.00
8	Yamuna Nagar	Alahar	Radaur	Smt. Kalaso Devi Ex- Sarpanch	9,490.00
9	Yamuna Nagar	Fatehgarh Pabri	Radaur	Sh. Partap Singh B.D.P.O.	10,981.71
10	Kurukshetra	Seonsar	Pehowa	Smt. Lakhvinder Kaur Ex- Sarpanch	16,859.00
11	Ambala	Khan Ahmedpur	Barara	Sh. Mahander Singh Ex- Sarpanch	60,664.69
				Smt. Surjit Kaur Ex-Sarpanch	752.00
12	Karnal	Subri	Karnal	Smt. Dhanpati Ex-Sarpanch	17,709.00
13	Yamuna Nagar	Baindi	Radaur	Smt. Sunita Devi Ex- Sarpanch	13,665.00
14	Ambala	Nahra	Barara	Smt. Kaushlya Devi Ex- Sarpanch	6,684.00
15	Yamuna Nagar	Unheri	Radaur	Sh. Jagir Husain Ex-Sarpanch	45,470.00
16	Yamuna Nagar	Antawa	Radaur	Sh. Dhani Ram Ex-Panch	3,939.00
				Sh. Dharam Singh Ex- Sarpanch	7,849.00
				Sh. Sarwan Singh Ex- Sarpanch	706.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Sh. Rajbir Singh B.D.P.O.	7,500.00
17	Karnal	Hari Singh Pura	Gharounda	Sh. Suraj Ex- Sarpanch	6,000.00
				Smt. Sarbati Devi Ex- Sarpanch	14,792.00
18	Karnal	Hemu Majra	Indri	Sh. Gurdiyal Singh Ex- Sarpanch	1,46,454.00
				Sh. Pala Ram Ex-Sarpanch	4,754.00
19	Jind	Jhamola	Julana	Sh. Hari Singh, Ex-Sarpanch	4,889.00
				Sh. Mahender Singh Ex- Sarpanch	59,304.00
				Sh. Prithi Singh Ex-Sarpanch	490.00
20	Gurugram	Mau	Patoudi	Sh. Jage Ram Ex-Sarpanch	1,556.00
				Sh. Mange Ram Ex-Sarpanch	150.00
				Sh. Umrao Singh Ex- Sarpanch	10,100.00
				Smt. Asarfi Devi Ex- Sarpanch	1,511.00
21	Yamuna Nagar	Sikandra	Radaur	Sh. Balkar Singh Ex- Sarpanch	6,857.37
22	Jind	Muwana	Safidon	Sh. Sadhu Ram Ex-Sarpanch	16,108.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
23	Karnal	Kalsora	Indri	Smt. Kasturi Devi Ex- Sarpanch	49,806.00
24	Karnal	Panjokhra	Indri	Sh. Inder Singh Ex-Sarpanch	13,293.00
				Smt. Chinto Devi Ex- Sarpanch	2,59,489.00
25	Karnal	Garhpur Khalsa	Indri	Sh. Jai Singh Ex-Sarpanch	8,43,216.00
26	Karnal	Pathera	Indri	Sh. Nika Singh Ex-Sarpanch	14,285.00
				Sh. Sat Pal Ex- Sarpanch	619.79
27	Panipat	Khandra	Madlauda	Sh. Ram Singh Ex-Sarpanch	53,296.00
28	Jind	Malvi	Julana	Sh. Ram Bhaj Ex-Sarpanch	51,070.53
29	Jind	Mehrara	Julana	Sh. Gulab Singh Ex-Sarpanch	8,915.23
				Sh. Virender Singh Ex- Sarpanch	2,86,355.37
30	Jind	Lajwana Kalan	Julana	Sh. Ram Lal Ex-Sarpanch	50,571.00
31	Sonepat	Killorad	Sonepat	Sh. Bhagat Ram Ex-Sarpanch	34,209.00
32	Kurukshetra	Morthali	Pehowa	Sh. Kuldeep Singh Ex- Sarpanch	10,647.00
33	Karnal	Gagsina	Gharounda	Gram Sachive	3,42,624.00
				Sh. Kuldeep Singh Ex- Sarpanch (PRI)	3,005.96

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Sh. Mela Singh Ex-Sarpanch	1,690.00
				Sh. Surjeet Singh Ex-Sarpanch	15,335.00
34	Sonepat	Dodwa	Sonepat	Smt. Sheela Devi Ex-Sarpanch	41,790.00
35	Pehowa			Sh. Budh Ram Ex-Sarpanch	7,992.00
				Smt. Piar Kaur Ex-Sarpanch	1,412.00
				Sh. Sish Pal Ex- Sarpanch	10,500.00
				Smt. Ravinder Kaur Ex- Sarpanch	5,776.00
				Sh. Sadhu Ram Ex-Sarpanch	5,760.00
36	Jind	Bhartana	Pillu Khera	Smt. Kelo Devi Ex-Sarpanch	9,694.00
37	Jind	Rodh	Safidon	Smt. Amarjeet Kaur Ex- Sarpanch	5,816.00
38	Yamuna Nagar	Sandholi	Radaur	Sh. Devi Lal Ex-Sarpanch	1,217.00
				Smt. Champa Devi Ex- Sarpanch	13,603.00
39	Kurukshetra	Megha Majra	Ismailabad	Sh. Ramesh Chander Ex- Sarpanch	28,101.28
40	Kurukshetra	Kheri Sishgran	Pehowa	Sh. Rattan Singh Ex- Sarpanch	7,703.12

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Smt. Sudesh Kumari Ex- Sarpanch	1,009.83
41	Panipat	Adiyana	Madlauda	Sh. Mahavir Singh Ex- Sarpanch	23,141.00
				Smt. Rajo Devi Ex-Sarpanch	79,532.00
42	Panipat	Bhalsi	Madlauda	Sh. Om Parkash Ex-Sarpanch	1,09,781.00
				Sh. Surat Singh Ex-Sarpanch	19,309.00
43	Panipat	Bhandari	Madlauda	Sh. Suraj Mal Ex-Sarpanch	21,668.00
44	Yamuna Nagar	Satgoli	Radaur	Sh. Balbir Singh Ex-Sarpanch	23,968.00
				Sh. Kashmir Singh Ex- Sarpanch	17,153.00
				Sh. Major Singh Ex- Sarpanch	999.00
				Sh. Singhara Singh Ex- Sarpanch	1,994.00
45	Kurukshetra	Jalbhera	Ismailabad	Sh. Mahabir Singh Ex- Sarpanch	10,963.00
45	Kurukshetra	Jalbhera	Ismailabad	Sh. Parkash Chand Ex-Panch	10,000.00
				Sh. Silokh Chand Ex-Sarpanch	50,000.00
46	Rewari	Majra Gurdas	Rewari	Sh. Krishan Ex- Sarpanch	5,144.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
47	Sirsa	Sadewala	Rania	Sh. Brij Lal Ex- Sarpanch	69,177.20
48	Karnal	Bojna	Gharounda	Sh. Beer Singh Ex-Sarpanch	7,127.00
				Sh. Hans Pal Ex-Sarpanch	8,528.00
49	Narnaul	Dokhera	Nangal Chaudhery	Ex-Sarpanch	26,273.00
50	Rewari	Chandawas	Rewari	Sh. Rakesh Kumar Ex- Sarpanch	10,162.00
51	Jind	Jaipur	Safidon	Sh. Pawan Kumar Ex- Sarpanch	19,659.00
52	Charkhi Dadri	Imlota	Dadri-I	Sh. Hari Ram Ex-Sarpanch	28,451.00
53	Rohtak	Ghuskani	Rohtak	Sh. Jai Kishan Ex-Sarpanch	21,319.00
				Sh. Sube Singh Ex-Sarpanch	58,318.00
				Smt. Santosh Ex-Sarpanch	99,715.00
54	Kaithal	Landa Heri	Guhla at Cheeka	Sh. Dalip Singh Ex-Panch	233.00
				Sh. Kurah Ram Ex-Sarpanch	7,176.58
				Sh. Ramdiya Ex-Panch	8,435.00
				Sh. Sunder Ram Ex-Sarpanch	2,088.96

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
55	Rewari	Bishanpur	Bawal	Sh. Phool Singh Ex-Sarpanch	41,850.00
56	Kurukshetra	Galedwa	Pehowa	Sh. Balkar Singh Ex- Sarpanch	11,923.00
				Sh. Jila Singh Gram Sachive	2,800.00
				Sh. Joginder Singh, -do-	14,600.00
57	Sonepat	Chitye Olia	Sonepat	Sh. Balbir Singh Ex-Sarpanch	1,79,671.20
58	Ambala	Mauj Garh	Barara	Smt. Satinder Kumari Ex- Sarpanch	4,33,000.00
59	Ambala	Barara	Barara	Sh. Gulab Singh Ex-Sarpanch	6,790.00
				Sh. Roop Singh Ex-Sarpanch	29,029.00
60	Karnal	Manak Majra	Indri	Sh. Surat Singh Ex-Sarpanch	6,209.00
61	Karnal	Bhoji Khalsa	Indri	Sh. Ram Ji Lal Ex-Sarpanch	7,390.00
62	Rohtak	Ghandra	Lakhan Majra	Sh. Sarup Singh Ex-Sarpanch	36,542.55
63	Panipat	Kard	Israna	Smt. Bharpai Devi Ex- Sarpanch	12,075.00
64	Sonepat	Oldeypur	Sonepat	Sh. Suresh Kumar Ex- Sarpanch	2,36,083.37
65	Charkhi Dadri	Kasni	Dadri-II	Sh. Sunil Kumar Ex- Sarpanch	1,54,936.24

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
66	Panipat	Zatti Pur	Panipat	Smt. Sunita Devi Ex- Sarpanch	1,06,980.00
67	Karnal	Phaphrana	Assandh	Sh. Satpal Ex- Panch	4,621.00
				Sh. Surinder Kumar Ex- Sarpanch	6,945.00
68	Panipat	Garhi Chhaju	Samalkha	Smt. Bimla Devi Ex- Sarpanch	45,419.00
69	Kaithal	Karora	Pundri	Sh. Ganga Ram Ex-Sarpanch	6,075.00
				Sh. Karmbir Singh Ex- Sarpanch	4,649.00
				Sh. Maya Ram Ex-Sarpanch	26,610.00
				Sh. Sunder Singh Ex- Sarpanch	2,473.00
70	Kurukshetra	Busthala	Ismailabad	Sh. Mahak Singh Ex- Sarpanch	21,468.00
				Sh. Ved Parkash Ex-Sarpanch	516.61
				Smt. Om Pati Ex-Sarpanch	2,40,244.68
				Smt. Shiksha Devi Ex- Sarpanch	274.77
71	Kurukshetra	Chammu Kalan	Ismailabad	Sh. Lakhvinder Ex-Sarpanch	47,023.00
				Sh. Sawran Singh Ex- Sarpanch	10,537.00
				Sh. Tehal Singh Ex-Sarpanch	3,142.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
72	Kaithal	Ahun	Pundri	Sh. Jagjit Singh Ex-Sarpanch	616.00
				Sh. Kuldeep Singh Ex- Sarpanch	47,740.00
				Sh. Norta Ram J.E.	924.00
				Sh. Sher Singh Ex-Sarpanch	11,483.00
73	Kurukshetra	Guldhera	Pehowa	Sh. Hari Singh Ex-Sarpanch	8,923.39
				Sh. Nathu Ram Ex-Sarpanch	15,033.00
				Smt. Narender Kaur Ex-Sarpanch	4,643.57
74	Kaithal	Habri	Pundri	Sh. Raghbir Singh Ex-Sarpanch	22,055.00
75	Yamuna Nagar	Jhar Chandana	Mustafabad	Sh. Inderjit Singh Ex- Sarpanch	10,000.00
76	Sonepat	Salimpur Trally	Sonepat	Sh. Bijender Ex-Sarpanch	82,045.00
77	Kurukshetra	Kanipla	Thanesar	Sh. Dilbag Singh Ex- Sarpanch	21,687.00
78	Yamuna Nagar	Nandhera	Sadhoura	Sh. Jeet Singh Ex-Sarpanch	74,047.00
79	Kurukshetra	Muniyarpur	Thanesar	Sh. Ram Chander Ex- Sarpanch	84,432.00
				Smt. Nirmala Devi Ex-Sarpanch	2,002.00
80	Yamuna Nagar	Taranwala	Chhachrouli	Smt. Satya Devi Ex-Sarpanch	1,743.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Smt. Urmila Devi Ex- Sarpanch	17,223.00
81	Jind	Ramkali	Julana	Sh. Abhey Ram Ex-Sarpanch	2,953.00
				Sh. Rajbir Singh Ex-Sarpanch	29,455.00
82	Panipat	Naultha	Israna	Smt. Raj Devi Ex-Sarpanch	94,774.00
83	Kurukshetra	Badshami	Ladwa	Sh. Balwant Singh Ex- Sarpanch	12,392.00
84	Kurukshetra	Dhayangla	Ladwa	Smt. Urmila Devi Ex- Sarpanch	11,000.00
85	Kurukshetra	Salempur	Ladwa	Late Sh. Sukhvinder Singh -do-	27,875.00
				Smt. Prito Devi Ex-Sarpanch	26,260.00
86	Charkhi Dadri	Samaspur	Dadri-I	Sh. Karan Singh Ex-Sarpanch	1,56,144.00
				Sh. Surender Singh Ex- Sarpanch	1,61,907.00
				Smt. Vidya Devi Ex- Sarpanch	6,978.00
87	Kaithal	Santokh Majra	Rajound	Sh. Deva Singh Ex-Sarpanch	2,31,359.00
88	Rewari	Balwari	Khol	Sh. Rati Ram Ex-Sarpanch	31,573.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Smt. Seema Ex- Sarpanch	1,20,000.00
89	Panipat	Jourasisarf Khas	Samalkha	Sh. Mahavir Singh Ex- Sarpanch	16,335.00
90	Karnal	Dadupur	Nissing	Smt. Bhurmi Devi Ex- Sarpanch	30,421.00
				Sh. Davinder Singh Ex- Sarpanch	1,457.00
91	Ambala	Bhukhri	Naraingarh	Sh. Gurdev Singh Ex- Sarpanch	7,224.00
				Smt. Dulari Devi Ex- Sarpanch	54,884.00
92	Sonepat	Saragthal	Gohana	Sh. Ram Phal Ex-Sarpanch	71,648.00
				Sh. Risalo Devi Ex-Sarpanch	11,606.00
93	Kurukshetra	Lathi Dhanoura	Ladwa	Sh. Mehar Singh Ex- Sarpanch	3,735.00
				Smt. Anita Devi Ex-Sarpanch	2,68,122.63
94	Kurukshetra	Bhiwani Khera	Thanesar	Smt. Soolwati Devi Ex- Sarpanch	15,645.00
95	Kurukshetra	Murad Nagar	Ladwa	Smt. Simiti Devi Ex-Sarpanch	23,062.00
				Smt. Simiti Devi Ex-Sarpanch	65,947.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
96	Kurukshetra	Ajrana Khurd	Ismailabad	Sh. Kuldeep Singh Ex- Sarpanch	3,14,608.00
				Sh. Mohan Singh Ex- Sarpanch	4,091.00
				Smt. Dekhi Devi Ex- Sarpanch	24,104.00
				Smt. Jito Devi Ex-Sarpanch	2,525.00
97	Karnal	Jalmana	Assandh	Sh. Baaj Singh Ex-Sarpanch	7,000.00
				Sh. Jai Singh Ex-Sarpanch	2,000.00
				Sh. Dalip Singh EX-Sarpanch	5,540.00
				Smt. Paramjit Kaur Ex- Sarpanch	2,540.00
98	Ambala	Janetpur	Ambala-II	Sh. Jaswant Singh Ex- Sarpanch	8,816.00
				Sh. Raghbir Singh Ex- Sarpanch	3,868.00
99	Ambala	Khan Ahmedpur	Ambala-II	Sh. Mohinder Singh Ex- Sarpanch	60,664.69
				Smt. Surjit Kaur Ex-Sarpanch	752.00
100	Ambala	Tangail	Ambala-II	Sh. Prem Chand Ex-Sarpanch	20,353.00
101	Kaithal	Bhawpur	Guhla at Cheeka	Smt. Premo Devi Ex-Sarpanch	36,148.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
102	Kaithal	Dhanota	Guhla at Cheeka	Sh. Jetha Singh Ex-Sarpanch	16,300.00
				Sh. Jita Singh Ex-Sarpanch	11,600.00
				Sh. Thawa Singh Ex- Sarpanch	14,101.00
				Smt. Pato Devi Ex-Sarpanch	36,619.00
103	Kaithal	Bhagal	Guhla at Cheeka	Smt. Narender Kaur Ex- Sarpanch	41,628.00
104	Karnal	Jai Singh Pura	Assandh	Sh. Jai Pal Singh Ex- Sarpanch	1,009.00
				Sh. Mohinder Singh Ex- Sarpanch	4,941.00
				Sh. Raghbir Singh Ex- Sarpanch	31,333.00
105	Kaithal	Bahamni Wala	Kalayath	Sh. Chhatar Singh Ex- Sarpanch	36509.00
					3302.00
				Sh. Partap Singh Ex-Sarpanch	5,825.00
				Sh. Partap Singh Ex-Sarpanch	2,084.00
106	Karnal	Dupedi	Assandh	Sh. Mohinder Singh Ex- Sarpanch	34,474.00
107	Ambala	Adhoya	Barara	Sh. Bharat Bhushan Ex- Sarpanch	24,355.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Sh. Vijay Mohan Ex- Sarpanch	922.00
108	Jhajjar	Chhapra	Sahlawas	Smt. Om Pati Ex-Sarpnch	10,494.00
109	Ambala	Bikampura	Barara	Sh. Mam Chand Ex-Sarpanch	3,400.00
				Smt. Shanti Devi Ex- Sarpanch	14,601.00
110	Kaithal	Anawas	Kaithal	Smt. Bimla Devi Ex-Sarpanch	9,768.00
					2,584.00
111	Kaithal	Patti Afgan	Kaithal	E.O.P.S. Kaithal	2,00,000.00
				Smt. Khajani Devi Ex- Sarpanch	52,019.00
112	Gurugram	Nanu Kalan	Patoudi	Sh. Sunil Kumar Ex- Sarpanch	28,200.00
113	Kurukshetra	Guldhera	Pehowa	Sh. Hari Singh Ex-Sarpanch	8,923.00
				Sh. Narender Singh Ex- Sarpanch	4,643.00
				Sh. Nathu Ram Ex-Sarpanch	15,033.00
114	Jind	Sulchani	Narwana	Sh. Mahavir Singh Ex- Sarpanch	15,412.00
115	Kaithal	Budha Khera	Kaithal	Sh. Jila Singh Ex-Sarpanch	28,001.00
				Sh. Fakriya Ex- Sarpanch	4,377.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
116	Jind	Sainthly	Narwana	Sh. Sube Singh Ex-Sarpanch	12,507.00
117	Hisar	Sundal	Agroha	Sh. Dharam Singh Ex- Sarpanch	12,806.00
118	Kurukshetra	Sarsa	Pehowa	Sh. Pirthi Singh Ex-Sarpanch	16,257.00
				Sh. Puran Singh Ex-Sarpanch (P.F.)	9,108.00
				Sh. Puran Singh Ex-Sarpanch (P.F.)	6,582.00
				Sh. Puran Singh Ex-Sarpanch (PRI)	5,687.00
119	Jind	Mohangarh	Uchana	Sh. Raj Singh Ex-Sarpanch	52,018.00
120	Kurukshetra	Morthali	Pehowa	Sh. Kuldeep Singh Ex- Sarpanch	10,647.00
				Sh. Kuldeep Singh Ex- Sarpanch (PRI)	3,005.00
				Sh. Mela Singh Ex-Sarpanch	1,696.00
				Sh. Surjeet Singh Ex-Sarpanch	15,335.00
121	Sonepat	Maujam Nagar	Gohana	Sh. Dharam Chander Ex- Sarpanch	7,798.00
				Sh. Jagbir Singh Ex-Sarpanch (PF)	54,102.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				Sh. Jagbir Singh Ex-Sarpanch (TFC)	2,275.00
122	Kurukshetra	Dayalpur	Thanesar	Sh. Ramesh Ex- Sarpanch	35,415.00
123	Rohtak	Kharawar	Sampla	Sh. Dharampal Ex-Sarpanch	13,818.00
124	Jind	Karsindhu	Uchana	Smt. Santi Devi Ex-Sarpanch (PF)	23,914.00
				Smt. Santi Devi Ex-Sarpanch (PRI/TFC)	5,736.00
125	Kurukshetra	Dhusala	Thanesar	Sh. Rajinder Kumar Ex- Sarpanch	92,273.00
126	Kurukshetra	Kirmach	Thanesar	Smt. Ramkali Ex-Sarpanch	18,213.00
127	Kurukshetra	Jyotisar	Thanesar	Sh. Mange Ram Ex-Sarpanch	12,000.00
				Sh. Mohan Lal Ex-Sarpanch	60,676.00
				Sh. Surjit Singh Gram Sachive	4,428.00
				Sh. Zila Singh Ex-Sarpanch	9,990.00
				Sh. Birbal Sharma Ex- Sarpanch	15360.00
				Sh. Isham Singh Ex-Sarpanch	1,125.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
128	Jhajjar	Sarola	Sahlawas	Sh. Ram Sarup Ex-Sarpanch	12,073.00
129	Karnal	Raison	Nilokheri	Sh. Fateh Singh Ex-Sarpanch	1,98,122.00
130	Kaithal	Jakholi Kaman	Rajound	Sh. Rai Singh Ex-Panch	6,000.00
				Smt. Omi Devi Ex-Sarpanch	50,286.00
131	Kaithal	Nand Karan Majra	Rajound	Sh. Raja Ram Ex-Sarpanch	5,000.00
				Sh. Baljeet Singh Ex-Sarpanch	33,500.00
132	Kaithal	Kassan	Rajound	Smt. Kamla Devi Ex- Sarpanch	9,19,082.00
				Smt. Kamla Devi Ex- Sarpanch	1,37,165.00
133	Kurukshetra	Ishargarh	Thanesar	Smt. Nirmla Devi Ex- Sarpanch	1,89,652.00
134	Kurukshetra	Dhurala	Thanesar	Smt. Nirmla Devi Ex- Sarpanch (PF)	27,775.00
				Smt. Nirmla Devi Ex- Sarpanch (PRI)	34,017.00
135	Kaithal		Kaithal	Sh. Jagan Nath Ex-Sarpanch	2,476.00
				Sh. Parkash Ex- Sarpanch	12,700.00
136	Kaithal	Balwanti	Kaithal	Sh. Shri Ram Ex-Sarpanch	14,506.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
137	Rewari	Fideri	Rewari	Sh. Sudhan Ex- Sarpanch	97,763.00
				Total	1,07,06,904.15
Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned. Hence, para may kindly be dropped.					

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
1.	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बादली के पत्र क्रमांक 2466 दिनांक 09.12.2022 द्वारा बताया गया है कि भूतपूर्व सरपंच श्री दुलीचंद, ग्राम पंचायत जहांगीरपुर की मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	22031.00
	यह राशि पंचायत रसीद बुक न0 1712 क्रमांक 0000086 दिनांक 07.09.2021 द्वारा जमा करवा दी गई है। पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1013.00	0.00
2	रिकवरी हो चुकी है। रसीद संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	14995.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस	6283.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
3	मृत्यु हो गई है, जिस बारे सरपंच ग्राम पंचायत पडाना ने प्रमाण पत्र दिया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	25519.97
4	बीडीपीओ जुलाना की रिपोर्ट अनुसार इस भूतपूर्व सरपंच की मृत्यु हो चुकी है व उसके वारिसों से राशि वसूलने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	101518.00
6	बीडीपीओ मतलौडा ने गो ावारा की प्रति भेजते हुए लिखा है कि संबंधित ग्राम सचिव ने कैश बुक का अवलोकन कर लिया है जिसमें श्री सुगन चन्द भूतपूर्व सरपंच की और मु0 22,000/-रूपये की राशि कैश इन हैड बकाया नहीं है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	22000.00	0.00
7	रिकवरी हो चुकी है। रसीद संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1450.00	0.00
	ग्राम पंचायत मन्पुरपुर के पंचायत खाता नं0 50100115497466 में दिनांक 15/03/2022 को राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु	6409.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7155 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3589 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार रिमाईंडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7164 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3590 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार रिमाईंडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	पोस्ट आफिस की रिपोर्ट अनुसार मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	20000.00
8	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7165 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3591 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार रिमाईंडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
9	ग्राम पंचायत फतेहगढ के पंचायत खाता नं0 50100047968526 में दिनांक 27/01/2022 को वोचर नं0 25 के अनुसार राशि 10982 रू0 जमा करवाई जा चुकी था, रसीद संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू	10981.71	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
10	मृत्यु हो चुकी है तथा कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	16859.00
11	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	752.00	0.00
12	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	17709.00	0.00
13	श्रीमति सुनीता देवी, पुर्व सरपंच ग्राम पंचायत बैन्डी द्वारा दिनांक 08/09/2021 को ग्राम पंचायत बैन्डी के खाते में मु0 13665 रू0 जमा करवाई जा चुकी हैं। रसीद संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887	13665.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
14	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल 10 दिनांक 02.08.2021 व पत्र क्रमांक 1777 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री मति कौशल्य देवी भूतपूर्व सरपंच नाहरा को केश इन हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है। उक्त सरपंच द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिये उससे राशि वसूल करने हेतु भू-राजस्व घोषित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 297-298 दिनांक 21.01.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 के द्वारा उपायुक्त महोदय अम्बाला को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
15	लैण्ड रेवन्यु की प्रक्रिया जारी है। जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3624 दिनांक 10.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
16	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	3939.00	0.00
	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	7849.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी	706.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	7500.00	0.00
17	रिकवरी हो चुकी है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	6000.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	14792.00	0.00
18	कार्यालय द्वारा सम्बन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा कार्यवाही करने बारे की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4,754.00	0.00
19	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4,889.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3624 दिनांक 10.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	490.00	0.00
20	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के	1556.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	150.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	10100.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1511.00	0.00
21	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887	6857.37	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
22	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	16108.00	0.00
23	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 29.11.2022 के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
24	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	13,293.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 29.11.2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
25	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 29.11.2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
26	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 29.11.2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	620.00	0.00
27	In this connection submitted here that the record of that time Sarpanch seen and found that the recovery case under Land Revenue has been sent to DC Panipat. In this regard, the Tehsildar Madlauda given a report by their letter no. 16/TRAdt. 09-03-2021 that he is the owner of 5 Sarsai and he built a Pacca House, so no amount recovered from him. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
28	बी0डी0पी0ओ0, जुलाना ने अपने पत्र क्रमांक 2606 दिनांक 10.12.2022 द्वारा लिखा है कि सम्बन्धित सरपंच के खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए सम्बन्धित सकूल रेवेन्यु अधिकारी एवं तहसिलदार, जुलाना को लिखा जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
29	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8915.23	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	286355.37	0.00
30	बी0डी0पी0ओ0, जुलाना ने अपने पत्र क्रमांक 2606 दिनांक 10.12.2022 द्वारा लिखा है कि सम्बन्धित सरपंच के खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए सम्बन्धित सकूल रेवेन्यु अधिकारी एवं तहसिलदार, जुलाना को लिखा जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
31	रिकवरी हो गई है, रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	34209.00	0.00
32	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
33	संबंधित ग्राम सचिव श्री अंग्रेज सिंह की मृत्यु 2010 में हो चुकी है। ग्रामीण चौकीदार राजबीर सिंह व तत्कालीन सरपंच मेवा सिंह की रिपोर्ट साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया नाम कुलदीप सिंह कभी भी गगसीना गांव का सरपंच नहीं रहा। कुपया पैरा ड्राप करने का कष्ट करें।	0.00	0.00
	आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया नाम मेला सिंह कभी भी गगसीना गांव का सरपंच नहीं रहा। कुपया पैरा ड्राप करने का कष्ट करें।	0.00	0.00
	आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया नाम सुरजीत सिंह कभी भी गगसीना गांव का सरपंच नहीं रहा। कुपया पैरा ड्राप करने का कष्ट करें।	0.00	0.00
34	उपायुक्त सोनीपत द्वारा पत्र क्रमांक 10294 दिनांक 25.11.2021 को भू-राजसव घोषित कर दिया गया है। प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
35	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्राप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8000.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की	1412.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	उपायुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 10294 दिनांक 25.11.2021 को भू-राजसव घोषित कर दिया गया है। प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	उपायुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 10294 दिनांक 25.11.2021 को भू-राजसव घोषित कर दिया गया है। प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	5760.00
36	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	9694.00	0.00
37	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887	5816.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
38	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1217.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र क्रमांक 292 दिनांक 27.01.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 10.12.2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
39	इस राशि का पहले केश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया था, जो अब केशबुक में इसका इंदराज कर दिया गया है। प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	28101.28	0.00
40	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	7703.12	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का	1009.83	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
41	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	23141.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	79532.00	0.00
42	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	109781.00
	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	19309.00
43	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक	21668.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
44	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1994.00	0.00
45	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय	10963.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3624 दिनांक 8.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3624 दिनांक 10.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
46	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5144.00	0.00
47	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	69177.20	0.00
48	मृत्यु हो गई है। ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	7127.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	मृत्यु हो गई है। ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	8528.00
49	रिकवरी हो चुकी है। रसीद व पंचायत कार्यवाही की प्रति साथ संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	26273.00	0.00
50	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	10162.00	0.00
51	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	19659.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
52	रिक्वरी हो चुकी है। कैश बुक की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	28451.00	0.00
53	रिक्वरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	21319.00	0.00
	रिक्वरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	58318.00	0.00
	रिक्वरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	99715.00	0.00
54	रिक्वरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम	233.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को रिकवरी के लिए नोटिस दिया था जिसके विरुद्ध वह माननीय न्यायालय में चला गया है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.07.2011 द्वारा श्री कुड़ा राम भुतपूर्व सरपंच को Immune from paying recovery the amount rupees 7167/- कर दिया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8435.00	0.00
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2088.00	0.00
55	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2391 दिनांक 9.12.2022 द्वारा भू-राजस्व घोषित करने बारे लिख दिया गया है। नोटिस की प्रति साथ संलग्न है इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। अब पुनः कलैक्टर महोदय, रेवाड़ी की सेवा में	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
56	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	11923.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	14600.00	0.00
57	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	179671.20	0.00
58	श्री मती सतिन्द्र कुमारी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मौजगढ को मु0 4,33000/-रु0 की राशि जमा करवाने बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पैशल 19 दिनांक 02.08.2021 व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 02.08.2021 व पत्र क्रमांक 1791 दिनांक 16.08.2021 द्वारा नोटिस दे दिया गया है। उक्त पूर्व सरपंच राशि जमा नहीं करवा रही हैं। अतः माननीय कलेक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 305-306 दिनांक 21.01.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतु लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
59	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल 11 दिनांक 02.08.2021 व पत्र क्रमांक 1778 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री गुलाब सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बराडा को 6790/- रू० जमा करवाने बारे नोटिस जारी किया गया। पूर्व सरपंच का देहान्त हो गया है उसके पुत्र राज कुमार व जय कुमार उक्त राशि जमा नहीं करवा रहे। अतः माननीय कलेक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 295-96 दिनांक 21.01.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
60	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	6,209.00	0.00
61	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
62	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
63	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	12075.00	0.00
64	उपायुक्त सोनीपत द्वारा पत्र क्रमांक 10306 दिनांक 25.11.2021 द्वारा भू-राजस्व घोषित कर दिया प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
65	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	154936.24	0.00
66	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
67	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4621.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	6,945.00	0.00
68	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	45419.00	0.00
69	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	6,075.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
70	मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	21468.00
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	516.00	0.00
	08.05.2015 को मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र अपेक्षित है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	240244.68
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी	274.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
71	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनांक 8.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/ 109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनांक 8.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/ 109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/ 109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
72	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	616.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	924.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
73	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8923.39	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15033.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के	4643.57	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करें तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
74	श्री रघबीर सिंह भूतपूर्व सरपंच से मु0 20250 रु की रिकवरी हो चुकी है। बकाया राशि 1805 की रिकवरी के लिये खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 2481 दिनांक 06.08.2021 के तहत रिकवरी की राशि जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है।	20250.00	0.00
75	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करें तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	10000.00	0.00
76	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
77	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
78	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
79	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
80	रिकवरी कर ली गई है।रसीद साथ संलग्न है।इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1743.00	0.00
	भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी हेतू इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 402 दिनांक 28/01/2022, पत्र क्रमांक 4174 दिनांक 04/07/2022 के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर की सेवा में लिखा गया था लेकिन भू राजस्व की कार्यवाही लम्बित है। जिस बारे पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6266 दिनांक 10.12.2022 द्वारा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर में लिखा गया है। प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
81	रिकवरी कर ली गई है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2953.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
82	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
83	श्री बलवंत सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बड गामी की तरफ केश-इन-हैण्ड मु0 12392/- रुपए की राशि बकाया है। केश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1568 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 103 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से केश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3499 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
84	ऊर्मिला देवी भूवपूर्व पंच ग्राम पंचायत ध्यांगला की तरफ केश-इन-हैण्ड मु0 11000 /- स्पए की राशि बकाया है। केश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व पूव द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1569 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 104 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से केश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व पंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3500 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
85	सुखविन्द्र सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर की तरफ कैश-इन-हैण्ड मु0 26260/- रुपए की राशि बकाया है। कैश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1571 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 106 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से कैश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3502 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/ 109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	प्रीतो देवी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर की तरफ कैश-इन-हैण्ड मु0 27875/- रुपए की राशि बकाया है। कैश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1570 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 105 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से कैश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भू-राजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 194 दिनांक 28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3501 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भू-राजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
86	प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत समसपुर में पूर्व सरपंच कर्ण सिंह ने राशि 156144/-रु0, पूर्व सरपंच सुरेन्द्र सिंह ने राशि 161907/-रु0, तथा पूर्व सरपंच विद्या देवी ने राशि 6978/-रु0, वर्ष 04/2010 से 03/2015 तक की अवधि में ग्राम पंचायत	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	समसपुर के पंचायत फंड से राशि निकालकर केश ईन हैंड रखी गई थी। उपरोक्त अनुसार उक्त तत्कालीन सरपंचों द्वारा पंचायत फंड से निकाली गई राशि न तो जमा कराई गई न ही उसके बाउचर जमा करवाए गए। उक्त अवधि का पंचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह जल गया था जिसकी एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत समसपुर में पूर्व सरपंच कर्ण सिंह ने राशि 156144/-रु0, पूर्व सरपंच सुरेन्द्र सिंह ने राशि 161907/-रु0, तथा पूर्व सरपंच विद्या देवी ने राशि 6978/-रु0, वर्ष 04/2010 से 03/2015 तक की अवधि में ग्राम पंचायत समसपुर के पंचायत फंड से राशि निकालकर केश ईन हैंड रखी गई थी। उपरोक्त अनुसार उक्त तत्कालीन सरपंचों द्वारा पंचायत फंड से निकाली गई राशि न तो जमा कराई गई न ही उसके बाउचर जमा करवाए गए। उक्त अवधि का पंचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह जल गया था जिसकी एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत समसपुर में पूर्व सरपंच कर्ण सिंह ने राशि 156144/-रु0, पूर्व सरपंच सुरेन्द्र सिंह ने राशि 161907/-रु0, तथा पूर्व सरपंच विद्या देवी ने राशि 6978/-रु0, वर्ष 04/2010 से 03/2015 तक की अवधि में ग्राम पंचायत समसपुर के पंचायत फंड से राशि निकालकर केश ईन हैंड रखी गई थी। उपरोक्त अनुसार उक्त तत्कालीन सरपंचों द्वारा पंचायत फंड से निकाली गई राशि न तो जमा कराई गई न ही उसके बाउचर जमा करवाए गए। उक्त अवधि का पंचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह जल गया था जिसकी एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
87	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	231359.00
88	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध	0.00	31573.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। अब उपायुक्त महोदय ने अपने पत्र क्रमांक 787/DRA/दिनांक 30.8.2022 द्वारा कार्यवाही हेतू लिख दिया गया है। पत्र की प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
89	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	16335.00	0.00
90	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	30421.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1457.00	0.00
91	श्री गुरदेव सिंह पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत भूखडी में कैश इन हैण्ड की राशि मु0 7224/- रू0 दिनांक 13.8.14 को पंचायत फण्ड में जमा करवा दी हैं। जिसकी रसीद साथ संलग्न है।	7224.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	श्रीमती दुलारी देवी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भूखडी की मृत्यु हो गई है। उसके परिवार से राशि रिकवरी कने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्रीमती दुलारी देवी पूर्व सरपंच के परिवार को दिये गये नोटिस की प्रति साथ संलगन है।	0.00	54884.00
92	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	71,648.00	0.00
	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	11606.00
93	मेहर सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लाठी धनौरा की तरफ केश-इन-हैण्ड मु0 3735/- स्पए की राशि बकाया है। केश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1572 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 107 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से केश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके प चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 196 दिनांक 28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3503 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भू-राजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	अन्तो देवी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लाठी धनौरा की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी है, व परिवार का कोई भी सदस्य गांव में नहीं रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पैरा ड्रॉप करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के	0.00	268122.63

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
94	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15,645.00	0.00
95	समिति देवी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मुरादनगर की तरफ कैश-इन-हैण्ड मु0 23062/- स्पए व 65947/- रूपए की राशि बकाया है। कैश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 109 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से कैश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके प चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 197 दिनांक 28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3504 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	समिति देवी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मुरादनगर की तरफ कैश-इन-हैण्ड मु0 23062/- रूपए व 65947/- रूपए की राशि बकाया है। कैश-इन-हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 19.08.2021 व पत्र क्रमांक 109 दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से कैश-इन-हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भू-राजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके प चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 197 दिनांक	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	28.01.2022 व पत्र क्रमांक 3504 दिनांक 09.12.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय, कुरुक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनः लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
96	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनांक 8.12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/ 109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4091.00	0.00
	22.11.1998 को मृत्यु हो चुकी है इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	24104.00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2525.00	0.00
97	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध	0.00	7000.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2000.00	0.00
	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	5540.00
	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2540.00	0.00
98	मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	8816.00
	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	3868.00
99	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पै 1 ल 9 दिनांक 02.08.2021 द्वारा श्री महिन्द्र सिंह भूतपूर्व सरपंच खान अहमदपुर को कैश इन हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है। उक्त सरपंच का देहान्त हो गया है, उसके वारिस श्री मनजीत सिंह, श्री जीत सिंह व श्री भजन सिंह को उक्त राशि जमा करवाने के लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1779 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा नोटिस दे दिया गया है। उक्त सरपंच द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई इसलिये उससे राशि वसूल करने हेतू भू-राजस्व घोषित करने हेतू इस कार्यालय के पत्र	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	क्रमांक 309-10 दिनांक.21.01.2022 के द्वारा उपायुक्त महोदय अम्बाला को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	752.00	0.00
100	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	20353.00	0.00
101	ग्राम सचिव भागल द्वारा ग्राम पंचायत फण्ड की कैश बुक माह 03/2021 तथा एच आर डी एफ स्कीम माह 03/21, 04/21, 05/21 पी आर आई की कैश बुक की प्रति अनुसार श्री मति प्रेमो देवी भूतपूर्व सरपंच की तरफ कोई इन्द्राज नहीं है।	36,148.00	0.00
102	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
103	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	41,628.00	0.00
104	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1,009.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4,941.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	31333.00	0.00
105	श्री प्रताप सिंह भूतपूर्व सरपंच व श्री चतर सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ब्रहामणीवाला को जो नोटिस जारी किये गये उनकी प्रतिया साथ सलन है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2250 दिनांक 09.12.2022 द्वारा दोनो के विरुद्ध कलैक्टर महोदय कैथल की सेवा मे लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2250 दिनांक 09.12.2022 द्वारा दोनो के विरुद्ध कलैक्टर महोदय कैथल की सेवा मे लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2250 दिनांक 09.12.2022 द्वारा दोनो के विरुद्ध कलैक्टर महोदय कैथल की सेवा मे लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	5825.00
	मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ संलग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	2084.00
106	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
107	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल 01 दिनांक 02.08.2021 व पत्र क्रमांक 1785 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा उक्त राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया। पूर्व सरपंच का देहान्त हो गया है उसके वारीसों का पता भी नहीं चल रहा है जिस कारण उक्त राशि वसूल नहीं हो सकी। अतः मननीय कलेक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 303-304 दिनांक 21.01.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	922.00	0.00
108	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	10494.00	0.00
109	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	3400.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	14601.00	0.00
110	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
111	यह राशि ग्राम पंचायत द्वारा ई0ओ0पी0एस0 कैथल को पंचायत समिति ड्यूज के रूप में दी गई थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि का इन्द्राज कैशबुक में खर्च में नहीं लिया जिसके कारण यह राशि ग्राम पंचायत के गोशवारे में लम्बित है। जिसका इन्द्राज कैशबुक में करवा दिया है।	200000.00	0.00
	कार्यालय द्वारा श्रीमति खजानी देवी पूर्व सरपंच से कैश इन हैण्ड की राशि वसूल करने बारे कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे परन्तु भूतपूर्व सरपंच द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6682 दिनांक 07.12.2022 द्वारा उक्त सरपंच से राशि रिकवरी करने हेतु कलैक्टर महोदया, कैथल को भूराजस्व घोषित करने बारे लिखा गया है।	0.00	0.00
112	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय	28200.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
113	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8923.39	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4643.57	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15033.00	0.00
114	रिकवरी हो चुकी है तथा रसीद साथ सलंगन है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15412.00	0.00
115	कार्यालय द्वारा संबन्धित श्री जिले सिंह पूर्व सरपंच से केश इन हैण्ड की राशि वसूल करने बारे कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	परन्तु भूतपूर्व सरपंच द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6683 दिनांक 07.12.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 07.12.2022द्वारा लिखा गया है। द्वारा उक्त सरपंच से राशि रिकवरी करने हेतु कलेक्टर महोदया, कैथल को भूराजस्व घोषित करने बारे लिखा गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2612.00	1765.00
116	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
117	रिकवरी हो चुकी है तथा रसीद साथ सलंग्न है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	12806.00	0.00
118	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है।इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक	9,108.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	6,582.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5,687.00	0.00
119	कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3711 दिनांक 09.12.2022 द्वारा उपायुक्त जीन्द को भूतुर्व सरपंच के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने बारे लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
120	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15335.00	0.00
121	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
122	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
123	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
124	वसूली की जा चुकी है। रसीद की कॉपी साथ संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	23914.00	0.00
	वसूली की जा चुकी है। रसीद की कॉपी साथ संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5736.00	0.00
125	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	92273.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
126	भू राजस्व के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
127	भू राजस्व के लिएपत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	भू राजस्व के लिए पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4428.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	9990.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा	15360.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1125.00	0.00
128	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	12073.00
129	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	198122.00
130	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	6000.00
	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1816 दिनांक 16.07.2021 व 2018 दिनांक 02.08.2021 द्वारा नोटिस दिया गया है। इस सरपंच के विरुद्ध क्रिमिनल केस नं0 176/2008 श्री राजीव गोयल, न्यायधीश, कैथल की अदालत में कोर्ट ने दिनांक 03.09.2013 के फैसले में बरी कर दिया है। संलग्न:- कोर्ट के फैसले की प्रति	0.00	0.00
131	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा	5000.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
132	बीडीपीओ राजौंद की रिपोर्ट अनुसार भूतपूर्व सरपंच श्रीमति कमला देवी के विरुद्ध इस मामले में एफ0आई0आर नं0 8 दिनांक 09.02.2010 दर्ज हुई थी। जिसमें माननीय जिला न्यायालय कैथल ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2014 द्वारा श्री मति कमला देवी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कसान को 2500 रु का जुर्माना व तीन साल की सजा सुनाई गई थी। माननीय जिला न्यायालय कैथल द्वारा पारित आदेशों की प्रति साथ संलग्न है। अतः पैरे को ड्राप करने की कृपा करें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	919082.00	0.00
	बीडीपीओ राजौंद की रिपोर्ट अनुसार भूतपूर्व सरपंच श्रीमति कमला देवी के विरुद्ध इस मामले में एफ0आई0आर नं0 8 दिनांक 09.02.2010 दर्ज हुई थी। जिसमें माननीय जिला न्यायालय कैथल ने अपने आदेश दिनांक 20.12.2014 द्वारा श्री मति कमला देवी भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कसान को 2500 रु का जुर्माना व दो माह की सजा सुनाई गई थी। माननीय जिला न्यायालय कैथल द्वारा पारित आदेशों की प्रति साथ संलग्न है। अतः पैरे को ड्राप करने की कृपा करें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	137165.00	0.00
133	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	गया है।		
134	खण्ड कार्यालय ने अपने पत्र क्रमांक 5457 दिनांक 22.09.2021 व क्रमांक 6216 दिनांक 09.12.2022 द्वारा सुचित किया है कि कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
	खण्ड कार्यालय ने अपने पत्र क्रमांक 5457 दिनांक 22.09.2021 व क्रमांक 6216 दिनांक 09.12.2022 द्वारा सुचित किया है कि कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
135	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2476.00	0.00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	12700.00	0.00
136	रिकवरी हो चुकी है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का	14506.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
137	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	97763.00	0.00
		35,30,484.47	12,65,291.52
Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned. Hence, para may kindly be dropped.			

The Committee has desired to keep the para pending with regard to Gram Panchayats from which recovery is yet to be made with the direction to the department that latest report in this regard be submitted to the Committee.

[40] Appendix-‘J’

As referred to in **Para 3(ii) of Part-II(A)** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs).

Relates to the cases of Embezzlement, Misappropriation by wrongly working out totals of expenditure/Closing Balance or Less carrying forward the Closing Balances to the next month as Opening Balance in Cash Book of Gram Panchayat.

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)	Recovery
1	Ambala	Kalu Majra	Ambala-II	Total expenditure for the month of 3/13 was worked out to Rs. 6,46,565 but booked in the cash book of Rs. 6,61,055 as such Rs. 14,490 were booked in excess, thus embezzled.	14490.00	14490.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)	Recovery
4	Sonepat	Salimpur Trally	Sonepat	Due to wrong calculation closing balance is less taken.	31300.00	0.00
5	Sonepat	Sandal Kalan	Sonepat	Closing balance short taken and interest not taken in the cash book. Thus embezzled.	128852.00	0.00
6	Sonepat	Tihar Malik	Gohana	Closing balance as on 31/3/09 worked out to Rs. 1,45,902 but only Rs. 71,660.50 were carried over as opening balance on 01/04/09. Hence Rs. 74,241.50 less shown, resulting into embezzlement.	74241.00	74241.00
7					0	
8	Panchkula	Nanakpur	Pinjore	Opening balance short carried over.	18000.00	18000.00
				TOTAL	2,66,883.00	1,06,731.00

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply	Death
1	अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम पंचायत की एच0आर0डी0एफ स्कीम की कैश बुक पेज नं0 10 पर निकाले गए गौस्वारे में खर्च राशि का टोटल 6,61,055 अंकित किया गया है जो कि एक लिपिकीय त्रुटी है जबकि कैश बुक के पेज 10,11,12 का सही टोटल 6,46,565 रु है। जो कि संबन्धित ऑडिटर द्वारा कैश बुक में भी दुरुस्त किया गया है। कृप्या पैरा झोप करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबन्धित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
4	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबन्धित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
5	कार्यालय द्वारा संबन्धित सरपंच को अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबन्धित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00

Sr. No.	Reply	Death
6	उक्त राशि रिकार्ड का अवलोकन करने उपरांत ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे प्रतीत हो सके की भूतपूर्व सरपंच के पास 74241.50/रुपये कैश इन हैंड है। संबंधित रिकार्ड की प्रति साथ संलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट के दौरान कुल खर्च की गणना करते समय कुछ त्रुटि हुई है। अतः उक्त को पुनः ऑडिट हेतु डी0आर0ओ0 जीन्द को पत्र क्रमांक 3829 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा लिखा गया है। अतः उक्त पैरा का निदान करने का कष्ट करे। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
8	रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह एक लिपिकीय त्रुटी के कारण इन्द्राज नहीं किया गया जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। अतः पैरा ड्राप करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned. Hence, para may kindly be dropped.		

The Committee has desired to keep the para pending with regard to Sr. No. 1,4,5,6 and 8 with the direction that matter may again be looked into by the department and necessary action be taken accordingly.

[41] Appendix-‘K’

[As referred to in **Para 3(iii) of Part-II(A)** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayat iRaj Institutions (PRIs)].

Relates to the cases in which income realized by Gram Panchayat was either not accounted for or less accounted for in the cashbook.

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para
1	Yamuna Nagar	Chhari	Radaur	Rs. 95,200 were realized from Sh. Baljit S/o Nathu Ram on account of lease money of Plot No. 2 through receipt no. 14/3924 dated 18.05.12, but the same was neither accounted for in cash book nor deposited in bank of Panchayat fund, thus embezzled.

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
1	बीडीपीओ रादौर की रिपोर्ट अनुसार 95200/-की राशि की वसूली हेतू पूर्व सरपंच/पूर्व संबन्धित ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत छारी को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.08.2021 को नोटिस जारी कर दिया गया था। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत छारी तथा पूर्व संबन्धित ग्राम सचिव श्री भाग सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः पैरा ड्रॉप करने का कष्ट करें।	0.00	95,200.00
Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned. Hence, para may kindly be dropped.			

The Committee has desired to keep the para partially pending i.e. with regard to Sr. No. 1 for want of recovery.

[42] Appendix-'L'

Para No.3 (iv) of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16

Relates to the cases of Grant in Aid/Land Tax/Lease Money/Wine share and interest etc. occurred on post office/Bank Accounts/investments etc. received but not accounted for as income in the cash Book of Gram Panchayats and corresponding entries of such income were reduced from cash.

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
1	Ambala	Kalu Majra	Ambala-II	Rs.25,839 (Rs.1282.65 on 30.9.11, Rs. 10,000 on 01.3.12 and Rs. 14,556.57 on 31.3.12) received in respect of grant & interest was not accounted for in cash book, thus embezzled.	25839.00
3	Kaithal	Pilani	Pundri	Amount received on account of Excise share and house tax were not accounted for in cash book, thus embezzled.	61,827.00
5	Sirsa	Bhamnoor	Dabwali	Rs.2,13,733 were shown credited in account no. 871312009 by cheque no. 190325 in the bank pass book of Panchayat fund on 9.2.10 by Indian Bank Sirsa. But the same was not accounted for in Panchayat cash book, thus embezzled.	2,13,733.00
6	Sonepat	Mohana	Sonepat	As per O.B.C. bank pass book Rs. 42,300 were shown credited	42,300.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
				on 25.6.2009 as salary of safai karamchari, but the same was not accounted for in cash book, thus embezzled.	
				TOTAL	3,43,699.00

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
1	अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम पंचायत की एच0आर0डी0एफ स्कीम की बैंक पास बुक में दिनांक 01.03.2012 को 10,000/- रु, दिनांक 31.03.2012 को 14,556.57 रु दिनांक 01.10.2012 को 1280.65 रु ब्याज प्राप्त हुए थे। विभागीय लिपिकीय त्रुटी के कारण यह राशि कैश बुक में दर्ज नहीं की गई, जो अब कर दी गई है। इसमें किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तो कार्यवाही प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। कृप्या पैरा ड्रॉप करने का कष्ट करें।	25839.00	0.00
3	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	61,827.00	0.00
5	यह ग्राम पंचायत खण्ड रानिया में पड़ती है। रिकवरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
6	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	42300.00	0.00
		68,139.00	0.00
Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned. Hence, para may kindly be dropped.			

The Committee has desired that para-Sr. No. 1, 3, 5 & 6 to keep the para pending for want of recovery.

[43] Appendix- 'M'

Para No.3 (v) of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16

Relates to the cases of suspected embezzlements/ Misappropriations/Fraudulent payments likely cases thereof Gram Panchayat Fund.

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
1	Jhajjar	Faijabad	Jhajjar	Purchase of 11 Qrl. RMC of Rs. 5,72,412 were made vide vr no. 11 of 7.3.12 whereas actual amount was Rs. 57,241 only. Thus Rs. 5,15,171 excess paid was embezzled.	5,15,171.00
3	Sonepat	Shahzadpur	Sonepat	Various vouchers related to the expenditure of Rs. 2,11,458 were not put up in audit. Hence, the amount seems to be embezzled.	2,11,458.00
4	Sonepat	Batgaon Dungra	Sonepat	Rs. 1,03,250 were paid to M/s Shiv Shankar Building Material Suppliers vide vr no. 30 of 5/11, but Rs. 1,30,250 were booked as expenditure in cash book, thus Rs. 27,000 were embezzled.	27,000.00
5	Sonepat	Bagru	Sonepat	Lease money received from Vishav Dev were not accounted for in cash book, thus embezzled.	45,000.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
6	Sonepat	Chitana	Sonepat	Wine share received but not taken in the income side of the cash book, thus embezzled.	91,342.00
7	Sonepat	Bhatgaon Malyan	Sonepat	Rs. 3,95,000 were paid vide vr no. 13 dated 10/12 but the actual amount worked out to Rs. 3,85,000. Thus, Rs. 10,000 paid in excess, thus embezzled.	10,000.00
8	Sonepat	Rolad latifpur	Sonepat	Received by way to interest pay of Safai Karmchhari but not accounted for in cash book.	32,312.00
10	Kaithal	Karora	Pundri	Interest received not accounted for in cash book, thus embezzled.	19,384.00
11	Rewari	Sundroj	Rewari	Amount received but not accounted for in cash book, thus embezzled.	37,781.00
14	Ambala	Barnala	Ambala-II	FDR interest not taken in cash book, thus embezzled.	15,35,084.00
15	Ambala	Kalu Majra	Ambala-II	Payment vouchers related to M/s Anil bricks & Co. was not debited in the cash book however the payment was made twicly to firm of Rs. 60,225 which tentamount to embezzlement.	60,225.00
16	Ambala	Tundli	Ambala-II	Rs. 2,69,450 were paid to Sh. Anil Kumar contractor vide vr no. 6 dated 8/9/13 on account of purchase of building material but the calculation of the said bill was Rs. 2,16,450. Hence Rs. 53,000 were paid in excess, thus embezzled.	53,000.00
17	Ambala	Khel Khurd	Ambala-II	Cheque received not entered into cash book.	12,900.00
18	Ambala	Talheri	Ambala-II	Cheque received not entered into cash book.	19,990.00
19	Karnal	Brahman Majra	Nilokheri	Lease money received but not accounted for in cash book, thus embezzled.	4,30,900.00

Sr. No.	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)
20	Yamuna Nagar	Jafarpur Jafri	Sadhoura	Double muster rolls of same labour debited in the gram fund and schemes.	41,101.00
23	Panipat	Bhola	Panipat	Rs. 15,000 on account of security forfeited and Cheque of Rs. 11,000 of Honorarium of Safai Karmchari not taken into the cash book and Rs. 37,140 short credited over in closing balance not corrected.	63,140.00
25	Kaithal	Kassan	Rajound	Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat Sh. Rajpal	1,07,800.00 (26720+16360+64720)
				Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat Sh. Satpal S/o Sh. Krishan	54,000.00
				Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat, thus embezzled not payment receipt for the actual payees. Sh. Shankar S/o Sh. Randhir	54,000.00
				Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat. Sh. Rajpal S/o Sh. Sube Singh.	54,000.00
				Payment of earthwork filling was made in cash instead of by cheque without passing any resolution from Panchayat. Apart from this actual payees receipt of the payment was not obtained from Sh. Randhir Singh S/o Sh. Har Sarup.	54,000.00
				TOTAL	35,29,588.00

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
1	रिकार्ड जल गया है। एफ आई आर की कॉपी साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब एफ आई आर की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें।	0.00	0.00
3	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	211458.00	0.00
4	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	27000.00	0.00
5	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	45000.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
6	ग्राम सचिव द्वारा 03.01.2022 द्वारा लिख कर दिया है कि रिकॉर्ड का 3 बार अवलोकन करने उपरान्त कोई भी वाईन शेयर की राशि ऑडिट अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक कोई राशि पंचायत में प्राप्त नहीं हुई। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रिकार्ड दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें।	0.00	0.00
7	रिकवरी हो चुकी है, रसीद संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	10000.00	0.00
8	कैश बुक में बाकी राशि की दुरुस्ती कर दी गई। कैश बुक की प्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें।	19268.00	0.00
9	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
10	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
11	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	37781.00	0.00
14	संबन्धित एफ0डी0आर0 पर ब्याज की राशि का कॅश बुक के पेज नं0 16 पर इंद्राज कर दिया गया है। प्रति साथ संलग्न है। कृप्या पैरा ड्राप करने का कष्ट करें। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रिकार्ड दिखाकर पैरा ड्राप करवा लें।	1535084.00	0.00
15	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्राप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	60225.00	0.00
16	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1473.77 दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से श्री गुरमीत सिंह पुर्व सरपंच टुडली, खण्ड अम्बाला-।। को ऑडिट आपति के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.07.2021 तक खण्ड कार्यालय में बुलाया गया। जिसका पुर्व सरपंच द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक 1654 दिनांक 05.08.2021 को पुर्व सरपंच को इस बारे समरण पत्र जारी किया गया है। सम्बन्धित ग्राम सचिव द्वारा दिनांक 14.08.2021 को खण्ड कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वोचर नं0 6 दिनांक 08.09.2013 द्वारा खरीद बिल्डिंग मैटिरियल की अदायगी मु0 216450/- रु की जानी थी, परन्तु इसकी जगह मु0 269450/- रु की अदायगी कर दी गई थी। यह राशि 21 प्रतिशत ब्याज सहित दिनांक 18.03.2015 को वसूल कर आमदन मं दर्ज कर दी गई थी। जिसका इन्द्राज पंचायत फण्ड	53000.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	कैश बुक पेज नं0 92 पर आमदन साईड दर्ज है। अतः संबन्धित ग्राम सचिव की रिपोर्ट व कैश बुक पेज नं. 92 की छायाप्रति संलग्न करके आपकी सेवा में अनुरोध है कि ऑडिट पैरा का निपटान करने का कष्ट करें।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें।		
17	अवलोकन करने से पाया गया कि ऑडिट आपत्ति के सम्बन्ध में श्रीमति सुरिन्द्र कौर पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत घेल खुर्द द्वारा ग्राम सचिव के साथ नगर निगम, अम्बाला शहर कार्यालय में जाकर उनके कार्यकाल से संबन्धित रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरांत पाया गया उपरोक्त राशि पास बुक में दर्ज है। परन्तु उस समय कैश बुक में गलती से आमदन साईड दर्ज नहीं की गई थी जो कि कैश बुक के पेज नं0 61 के आमदन साईड माह फरवरी, 2015 में दर्ज करके दुरुस्त कर दी गई है (प्रति संलग्न)। कृप्या पैरा निपटाने का कष्ट करें। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें।	12900.00	0.00
18	ब्लॉक- अम्बाला-।। में इस नाम का कोई ग्राम पंचायत नहीं है।	0.00	0.00
19	पंचायत के रिकॉर्ड के अवलोकन उपरान्त प्लॉट नं0 9.17 का दिनांक 08.05.2014 को बोली की गई। प्लॉट नं0 9 का मु0 250000 रु तथा प्लॉट नं0 17 का मु0 570000 रूप्ये की बोली की गई। लेकिन बोली दाता कैंसिल कर दिया गया है लेकिन ग्राम सचिव द्वारा पट्टा रजिस्टर के गौसवारा में गलती से राशि जमा दिखा दी गई। इसके बाद दिनांक 09.06.2014 को इन दोनों प्लॉटों की बोली की गई। बोली दाता द्वारा कम बोली देने के कारण बोली कैंसिल कर दी गई। इसके बाद तीसरी बोली दिनांक 16.06.2014 को की गई। जिसमें प्लॉट नं0 9 मु0 64,000/- रु में बोली छूटी और जिसमें प्लॉट नं0 17 मु0 325000 रूप्ये में बोली गई। इस प्रकार 250000+570000 =820000-(325100+64000)= 4,30,900 रु का फार्म नं0 4 की	430900.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	रसीद काटकर कैश बुक के पृ0 नं 56 दिनांक 18.07.2014 में प्राप्त कॉलम में जमा कर लिया है। इसके साथ कैश बुक की फोटो प्रति और पट्टा रजिस्टर की फोटो प्रति साथ संलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें।		
20	खण्ड कार्यालय सढौरा पत्र क्रमांक 1733 दिनांक 14.07.2021 द्वारा श्री रामकुमार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जाफरपुर जाफरी को मु0 41101/- रु0 की रिकवरी जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है (प्रति संलग्न है)। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00	0.00
23	खण्ड पानीपत भोला नाम की कोई ग्राम पंचायत नहीं है। पैरा ड्रॉप करने का कष्ट करें।	0.00	0.00
25	<p>लगाई गई आपत्ति के सम्बंध में रिकार्ड का निरीक्षण किया तो पाया ग्राम पंचायत कसान ने अपनी पंचायत का प्रस्ताव नं0 3 दिनांक 15.11.2014 पारित करके निम्नलिखित अदायगी की है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) श्री राजपाल पुत्र श्री जगत सिंह, ट्यूबवैल ऑपरेटर 10 मास का वेतन मु0 26720/-रुपये चैक नं0 540969 द्वारा अदायगी की गई है। 2) श्री जयपाल पुत्र श्री सोरण, ट्यूबवैल ऑपरेटर 5 मास का वेतन मु0 13360/-रुपये चैक नं0 540970 द्वारा अदायगी की गई है। 3) प्रस्ताव नं0 1 दिनांक 06.11.2014 पारित करके चैक न0 540968 द्वारा श्री नायब सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह, ट्यूबवैल ऑपरेटर को 03/2015 तक का वेतन मु0 64720/-रुपये की अदायगी की गई है। जिसकी रसीद नं0 151 साथ संलग्न है। <p>इस प्रकार कुल 107800/- रुपये के स्थान पर कुल 104800/-रुपये की अदायगी रिकार्ड मुताबिक ठीक ट्यूबवैल ऑपरेटरों को की गई है जिनकी रसीद साथ संलग्न है।</p>	0.00	0.00
	ग्राम पंचायत कसान ने अपनी पंचायत का प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 04.10.2013 पारित करके सतपाल/कृष्ण निवासी गुलियाणा को 225 ट्राली मिटटी 240 रुपये प्रति ट्राली की दर से डालने के	0.00	0.00

Sr. No.	Reply	Recovery	Death
	चैक नं0 540963 द्वारा अदायगी की गई है। जिसकी एम0बी0 नहीं मिली और ना ही अस्टीमैट अधिक समय व्यतीत होने के कारण पंचायत रिकार्ड में नहीं मिला। कैश बुक पंचायत फंड के पेज नं0 38 पर अंकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।		
	ग्राम पंचायत कसान ने अपनी पंचायत का प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 04.10.2013 पारित करके भोखर/रणधीर निवासी कुराड़ को 225 ट्राली मिटटी 240 रुपये प्रति ट्राली की दर से डालने के चैक नं0 540962 द्वारा अदायगी की गई है। जिसकी एम0बी0 नहीं मिली और ना ही अस्टीमैट अधिक समय व्यतीत होने के कारण पंचायत रिकार्ड में नहीं मिला। कैश बुक पंचायत फंड के पेज नं0 38 पर अंकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।	0.00	0.00
	ग्राम पंचायत कसान ने अपनी पंचायत का प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 04.10.2013 पारित करके राजपाल/सुबे सिंह निवासी चौशाला को 225 ट्राली मिटटी 240 रुपये प्रति ट्राली की दर से डालने के चैक नं0 540964 द्वारा अदायगी की गई है। जिसकी एम0बी0 नहीं मिली और न ही अस्टीमैट अधिक समय व्यतीत होने के कारण पंचायत रिकार्ड में नहीं मिला। कैश बुक पंचायत फंड के पेज नं0 38 पर अंकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।	0.00	0.00
	ग्राम पंचायत कसान ने अपनी पंचायत का प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 04.10.2013 पारित करके रणधीर/हरसरूप निवासी कुराड़ को 225 ट्राली मिटटी 240 रुपये प्रति ट्राली की दर से डालने के चैक नं0 540961 द्वारा अदायगी की गई है। परन्तु अदायगी का बिल खर्चा फाईल में नहीं मिला। लेकिन कैश बुक पंचायत फंड के पेज नं0 38 पर अंकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।	0.00	0.00
		24,42,616.00	
Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned. Hence, para may kindly be dropped.			

The Committee has desired that para–Sr. No. 1, 3 to 8, 10, 11, 14 to 20, 23 & 25 to keep the para pending.

[44] Appendix- 'N'**Para No. 4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16**

Sr. No.	Appendix	Para No.	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (in Rs.)
6	'N'	Appendix N of Para No.4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16	Relates of irregular expenditure incurred in the excess of prescribed limit as laid down in rule 14 of Panchayati Raj, Budget, Finances, Accounts, Audit, Taxation and Works Rule1996.	111	40,42,422

The department in its written reply stated as under:-

After scrutiny of the record, it is found that the rate of expenditure for entertainment of Ministers, Commissioner and Secretary to the Governments has not been revised since 1996. In mostly replies it is mentioned that it is not possible to complete a program of entertainment and advertisement in Rs. 3,000/-. After scrutiny of the record, It is cleared that in mostly cases expenditure beyond the prescribed limit is done due to visit of more than one VIP, visit of Chief Minister, on advertisements for the welfare of Gram Panchayat adopting proper procedure i.e. passing of resolution and on lowest quotation. No, embezzlement is come into notice. The Expenditure has been regularized vide this office letter No.89873-906 dated 26.7.2022 and No.160427-440 dated 9.12.2022. Hence, it is requested to kindly drop the Para.

The Committee has desired to keep the para pending.

[45] Appendix- 'O'**Para No. 4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16**

Sr. No.	Appendix	Para No.	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (in Rs.)
7	'O'	Appendix O of Para No.4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16	Relates to the cases of Fee Paid to the Counsellors in excess of prescribed limit as laid down contravention of instructions issued by Director, Panchayat Haryana vide letter No.S/I/98/53347-95	81	5091496

The department in its written reply stated as under:-

After scrutiny of the record, it is found that the rate of expenditure of counsellor fee has not been revised since 16.09.1998. In mostly replies it is mentioned that it is not possible hire an Advocate in Rs. 5500/- due in urgency of Court Cases related to Gram Panchayats. After scrutiny of the record, It is cleared that in mostly cases the counsellor has been hired for the welfare of

Gram Panchayat adopting proper procedure i.e. passing of resolution and on lowest quotation. No, embezzlement is come into notice. Expenditure has been regularized vide this office letter No.89907-25 dated 26.7.2022 and letter dated 09-12-2022 respectively. Hence, it is requested to kindly drop the Para.

The Committee has desired to keep the para pending.

[46] Appendix-‘P’

Para No. 4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16

Sr. No.	Appendix	Para No.	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (in Rs.)	
8	‘P’	Appendix P of Para No.4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16	Relates to the cases of Non-Deduction of Sale Tax, Income Tax from the building material suppliers	28	5670389 1323852	

Sr. No.	District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)	Recovery
1	Yamuna Nagar	Baindi	Radaur	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	26,384.00	
2	Panipat	Bohali	Madlauda	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	1,04,884.00	1,04,884.00
4	Panipat	Kawi	Madlauda	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	90,874.00	
5	Yamuna Nagar	Bakana	Radaur	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	8,935.00	8,935.00
6	Karnal	Garhi Birbal	Indri	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	4,36,759.00	
7	Karnal	Indergarh	Indri	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	12,411.00	

8	Kurukshetra	Jurasi Kalan	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	29,779.00	
9	Kurukshetra	Murtzapur	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	38,769.00	
10	Kurukshetra	Thema Boora	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	7,385.00	
11	Kurukshetra	Saina saida	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	22,530.00	
12	Kurukshetra	Harigarh Boora	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	1,28,796.00	
13	Kurukshetra	Madapur	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	35,365.00	
14	Panipat	Bhadhar	Madlauda	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	65,518.00	
15	Panipat	Sadipur	Madlauda	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	53,124.00	
16	Rohtak	Katwara	Rohtak	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	24,137.00	
17	Kurukshetra	Rapli Majra	Ismailabad	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	18,914.00	
18	Panipat	Kharka	Madlauda	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	50,634.00	
19	Kurukshetra	Majra	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	20,553.00	

20	Fatehabad	Garhi roran	Tohana	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	2,29,306.00	
21	Kurukshetra	Seonsar	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	32,657.00	
22	Kurukshetra	Malikpur	Ismailabad	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	27,371.00	
23	Kurukshetra	Salpani Khurd	Ismailabad	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	80,280.00	
24	Kurukshetra	Bakali	Ladwa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	84,831.00	
25	Kurukshetra	Ajrana Khurd	Ismailabad	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	23,246.00	
26	Kurukshetra	Bidha	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	39,846.00	
27	Kurukshetra	Gumthala garhi	Pehowa	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	61,607.00	
28	Fatehabad	Bilochpura	Tohana	Income Tax @2.20% + Sales Tax@ 4%	36,382.00	
				TOTAL	18,90,890.000	8,935.00

The Department in its written reply stated as under:-

	Reply: In all cases of GPs, notices for recovery have been issued by the concerned BDPOs. Thereafter, action under section 53(1) of Land Revenue Act will be pursued.	Death
1	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7166 दिनांक 12/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका, था, जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3594 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार	

	रिमाईंडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
2	रिकवरी हो चुकी है। फार्म नं0 4 की बुक सं0 54 रसीद नं0 90 के अनुसार राशि दिनांक 15/12/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत में जमा हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
4	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
5	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
6	कार्यालय के पत्र क्रमांक 3371 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा सम्बंधित ग्राम सचिव को इस बारे रिकार्ड चैक करते हुए कार्यावाही करने बारे निर्देश जारी कर दिया गया है। जल्द ही कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
7	कार्यालय के पत्र क्रमांक 3373 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा सम्बंधित ग्राम सचिव को इस बारे रिकार्ड चैक करते हुए कार्यावाही करने बारे निर्देश जारी कर दिया गया है। जल्द ही कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
8	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
9	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति साथ संलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
10	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति	

पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।
--

In all the cases, notices for recovery have been issued by the concerned BDPOs. Thereafter, action under section 53(1) of Land Revenue Act will be perused. Hence, para may kindly be dropped.

The Committee has desired to keep the para pending.

[47] Appendix-‘Q’

Para No. 4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16

Sr. No.	Appendix	Para No.	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (in Rs.)
9	‘Q’	Appendix Q of Para No.4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16	Relates to the cases of Purchase of RCC Pipes from Open Market instead of subsidies @50% from Offices concerned.	74	14050313

S. No.	District	Block	Village	Amount (in Rs.)
1.	Fatehabad	Ratia	Alika	16,648.00
2.	Fatehabad	Ratia	Hamjapur	23,079.00
3.	Fatehabad	Ratia	Chando Kala	29,891.00
4.	Fatehabad	Bhuna	Gorkhpur	13,156.00
5.	Fatehabad	Jakhal	Musa Khera	1,33,588.00
6.	Fatehabad	Jakhal	Kudani	42,762.00
7.	Fatehabad	Jakhal	Rupawali	2,48,843.00
8.	Fatehabad	Jakhal	Sidhani	57,960.00
9.	Fatehabad	Tohana	Hansawali	42,800.00
10.	Fatehabad	Tohana	Dangra	62,975.00
11.	Fatehabad	Tohana	Rehanwali	25,997.00
12.	Fatehabad	Tohana	Parta	1,44,027.00
13.	Fatehabad	Tohana	Manghera	80,100.00
14.	Fatehabad	Tohana	Tharva	1,13,976.00

S. No.	District	Block	Village	Amount (in Rs.)
15.	Fatehabad	Tohana	Hedarwala	15,951.00
16.	Fatehabad	Tohana	Chilewal	18,910.00
17.	Fatehabad	Tohana	Chiten	61,354.00
18.	Fatehabad	Tohana	Dharnapur Khurd	16,800.00
19.	Fatehabad	Tohana	Gajuwala	3,19,936.00
20.	Fatehabad	Fatehabad	Bhima wala	20,105.00
21.	Hisar	Agroha	Nangthala	72,546.00
22.	Hisar	Hansi-I	Singhwa Ragho	1,63,112.00
23.	Jind	Julana	Anoopgarh	1,14,074.00
24.	Jind	Julana	Jhamola	1,49,876.00
25.	Jind	Julana	Malvi	31,575.00
26.	Jind	Julana	Lajwana kalan	17,895.00
27.	Karnal	Asandh	Kaul Khera	1,91,871.00
28.	Karnal	Gharounda	Hari Singh Pura	21,576.00
29.	Karnal	Gharounda	Gagsina	2,24,927.00
30.	Karnal	Gharounda	Gagsina	2,24,927.00
31.	Kurukshetra	Ismailabad	Jalbhera	19,000.00
32.	Kurukshetra	Ismailabad	Ajmatpur	55,640.00
33.	Kurukshetra	Ismailabad	Busthala	1,94,774.00
34.	Kurukshetra	Pehowa	Seonsar	51,294.00
35.	Kurukshetra	Pehowa	Morthali	50,908.00
36.	Kurukshetra	Pehowa	Healwa	44,121.00
37.	Kurukshetra	Pehowa	Ramgarh road	41,466.00
38.	Kurukshetra	Pehowa	Bodhni	5,66,874.00
39.	Kurukshetra	Pehowa	Surmi	91,698.00
40.	Narnaul	Ateli Nangal	Neerpur (Rajpura)	89,556.00
41.	Narnaul	Mahendergarh	Akoda	1,91,136.00
42.	Narnaul	Mahendergarh	Palri Panihara	67,456.00

S. No.	District	Block	Village	Amount (in Rs.)
43.	Panipat	Madlauda	Khandra	1,26,373.00
44.	Panipat	Madlauda	Rohali	54,85,260.00
45.	Panipat	Madlauda	Dharamgarh	2,78,629.00
46.	Panipat	Samalkha	Chadiya yusufpur	35,529.00
47.	Rohtak	Lakhan Majra	Chandi	1,23,718.00
48.	Sirsa	Dabwali	Rajpur Majra	1,28,274.00
49.	Sirsa	Dabwali	Ahmedpur Darewala	78,937.00
50.	Sirsa	Dabwali	Fatehpur Jatawal	73,543.00
51.	Sirsa	Nathusari Chopta	Arniawali	14,501.00
52.	Sirsa	Nathusari Chopta	Makho Soran	3,19,824.00
53.	Sirsa	Nathusari Chopta	Ganja Rupana	41,952.00
54.	Sirsa	Nathusari Chopta	Kumharia	1,48,664.00
55.	Sirsa	Nathusari Chopta	Jodhkan	68,633.00
56.	Sirsa	Nathusari Chopta	Darba Kalan	35,407.00
57.	Sirsa	Nathusari Chopta	Rampura Nawabad	48,750.00
58.	Sirsa	Nathusari Chopta	Nirban	62,098.00
59.	Sirsa	Nathusari Chopta	Chaharwala	2,61,204.00
60.	Sirsa	Nathusari Chopta	Jamal	2,84,911.00
61.	Sirsa	Nathusari Chopta	Dhukra	3,03,095.00
62.	Sirsa	Nathusari Chopta	Gudhia Khera	5,68,664.00
63.	Sirsa	Nathusari Chopta	Nehrana	2,58,831.00
64.	Sirsa	Nathusari Chopta	Ding	8,848.00
65.	Sirsa	Nathusari Chopta	Rupana Bishnoia	25,628.00
66.	Sirsa	Nathusari Chopta	Sheopura	1,02,120.00
67.	Sirsa	Nathusari Chopta	Ramura Dhillon	90,447.00
68.	Sirsa	Rania	Kotha sainpal	63,839.00

S. No.	District	Block	Village	Amount (in Rs.)
69.	Sirsa	Rania	Keharwala	44,731.00
70.	Sirsa	Rania	Sairpal	41,415.00
71.	Sirsa	Rania	Dhani Bangi	12,209.00
72.	Sonepat	Gohana	Niyat	3,38,905.00
			TOTAL	1,40,50,313.00

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply	Recovery	Death	Pending
	It is cleared that all the BDPOs have mentioned that RCC pipes was not available in the O/o Panchayat Samitis. The RCC pipes have been purchased for the welfare of Gram Panchayat adopting proper procedure i.e. passing of resolution and on lowest quotation. No, embezzlement is come into notice. Hence, it is requested to kindly drop the Para.			
1	Pipes were not available in the block office and demand for pipes was high by village residents. Therefore, in view of the demand of the village residents, the Gram Panchayat took action according to the rules, after purchasing the pipes, according to the demand of the people, the pipes were distributed to the common people and the bill is recorded in the cash book of the Panchayat and the bill is passed by the Gram Panchayat. The Gram Panchayat has not misused the Panchayat Fund. So please file the audit para in the office.			
2	R.C.C. Pipes purchased by the then Gram Panchayat Hamjapur. The pipes were procured for the public roads/lanes of the village. No grant provided by the Govt. for the subsidy to purchase the RCC Pipes at that time & no RCC pipes available in the block office. Due to non-availability of pipes, pipes were procured from the market by the Gram Panchayat, with bonafide intention. So, it is requested that please drop the para.			
3	R.C.C. Pipes purchased by the then Gram Panchayat Chando Kalan. The pipes were procured for the public roads/lanes of the village. No grant provided by the Govt. for the subsidy to purchase the RCC Pipes at that time & no RCC pipes available in the block office. Due to non-availability of pipes, pipes were procured from the market by the Gram Panchayat, with bonafide intention. So, it is requested that please drop the para.			

4	R.C.C. Pipes purchased by the then Gram Panchayat Gorakhpur. The pipes were procured for the public roads/lanes of the village. Due to lack of information about 50 percent subsidy to the Gram Panchayat and at that time no RCC pipes available in the block office. Due to non-availability of pipes, pipes were procured from the market by the Gram Panchayat, with bonafide intention. So, it is requested that please drop the para.			
5	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
6	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
7	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
8	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
9	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
10	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
11	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
12	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
13	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
14	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
15	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			

16	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
17	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
18	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
19	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
20	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
21	तत्कालीन ग्राम पंचायत, नगथला द्वारा मु०-72546/-रु० के आर०सी०सी० पाईप की खरीद गांव के सार्वजनिक रास्तों/गलियों हेतु की गई थी। खण्ड कार्यालय में उस समय 50 प्रतिशत सब्सिडी वाली आर०सी०सी० पाईप उपलब्ध ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा बाजार से जनहित को मद्देनजर रखते हुये तथा ग्रामवासियों द्वारा डिमाण्ड करने उपरान्त खरीद की गई। ग्राम पंचायत द्वारा आर०सी०सी० पाईप खरीद में जानबूझ कर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान रखा जायेगा। अतः आपकी सेवा में अनुरोध है कि ऑडिट पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
22	R.C.C. (Rodi, Cresur, Cement) पाईप जो आम रास्तों पर पुलिया के तौर पर रखे जाते हैं इन R.C.C. पाईपों पर कोई सब्सिडी नहीं थी। दिनांक 02-05-2011 को R.C.C. पाईप खरीदने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी गई है। दिनांक 05-05-2011 को ग्राम पंचायत द्वारा अदायगी की गई है। दिनांक 15-07-2011 को वाउचर नं० 48 मु० 163112 रुपये का खर्चा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा पास है।			
23	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर०सी०सी० पाईप की खरीद हेतु सी०डी० ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पंचायत समितियों को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर०सी०सी० पाईप गांवों की गलियों व खेतों के रास्ते में			

	जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अतः पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा में अनुरोध किया जाता है			
24	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर०सी०सी० पाईप की खरीद हेतू सी०डी० ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पंचायत समितियों को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर०सी०सी० पाईप गांवों की गलियों व खेतों के रास्ते में जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अतः पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा में अनुरोध किया जाता है			
25	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर०सी०सी० पाईप की खरीद हेतू सी०डी० ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पंचायत समितियों को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर०सी०सी० पाईप गांवों की गलियों व खेतों के रास्ते में जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अतः पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा में अनुरोध किया जाता है			
26	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर०सी०सी० पाईप की खरीद हेतू सी०डी० ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पंचायत समितियों को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर०सी०सी० पाईप गांवों की गलियों व खेतों के रास्ते में जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अतः पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा में अनुरोध किया जाता है			
27	There was neither approved source in the Block Office Assandh nor available of pipe was there. The purchased of pipe in the village of Kaul Khera at the cheapest rate of the firm of the market with three Quotations by following the rules of procurement process. Therefore drop the para.			
28	उक्त पैरा के सम्बन्ध में ग्राम सचिव को मौखिक तौर पर रिकार्ड लाने बारे आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आपकी सेवा में कार्यावाही करने उपरान्त भेज दि जाएगी।			
29	वर्तमान में यह ग्राम पंचायत खण्ड मूनक जिला करनाल में पडती है। अतः यह पैरा खण्ड मूनक से सम्बन्धित है। वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।			
30	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			

31	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
32	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
33	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
34	ग्राम पंचायत स्योंसर में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतू व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्केट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें। प्रमाण पत्र संलग्न है।			
35	ग्राम पंचायत मोरथली में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतू व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्केट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
36	ग्राम पंचायत हेलवा में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतू व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्केट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			

37	ग्राम पंचायत रामगढ रोड में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतु व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्केट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
38	ग्राम पंचायत बोधनी में पूरे गांव में गन्दे पानी की निकासी हेतु भिन्न-2 गलियों से गांव के तालाब तक पाईप लाईन बिछाई गई थी। ताकि ग्राम पंचायत की गलियों से गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें व ग्राम निवासियों को गन्दे पानी की निकासी से निजात मिल सकें। ग्राम पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके ओपन मार्केट से आर0सी0सी0 पाईप खरीद किये गये थे। तथा उनको पाईप लाईन दबाने में प्रयोग किया गया था। ताकि गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्केट से खरीद किये गये थे। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
39	ग्राम पंचायत सुरमी में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतु व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवें। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्केट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
40	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
41	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			

42	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
43	In this connection submitted here that the Subsidy on purchase of RCC Pipes withdrawal by the Govt. So Panchayat Purchased this RCC Pipes from Open Market and same are used by the panchayat at the spot.			
44	In this connection submitted here that the Subsidy on purchase of RCC Pipes withdrawal by the Govt. So Panchayat Purchased this RCC Pipes from Open Market and same are used by the panchayat at the spot.			
45	In this connection submitted here that the Subsidy on purchase of RCC Pipes withdrawal by the Govt. So Panchayat Purchased this RCC Pipes from Open Market and same are used by the panchayat at the spot.			
46	पैरा ड्रॉप हो चुका है।			
47	पहले पंचायत समिति को आर0सी0सी पाइप खरीदने के लिए सरकार से अनुदान राशी प्राप्त होती थी, ग्राम पंचायतों की मांग अनुसार पंचायत समिति 50: राशी पर ग्राम पंचायतों को पाइप उपलब्ध करवाती थी, परन्तु पिछले काफी वर्षों से यह अनुदान राशी प्राप्त होनी बंद हो गयी थी जिस कारण पंचायत समितियों द्वारा आर0सी0सी0 पाइप नहीं खरीदे गए थे। जिसके दृष्टिगत ग्राम पंचायतों द्वारा जनहित में आर0सी0सी0 पाइप पंचायत फण्ड से खरीद कर कार्य करवाया गया। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
48	इस पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि उस समय पंचायत समिति डबवाली कार्यालय में 50 प्रतिशत अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पंचायत समिति के पास RCC Pipe स्टॉक में नहीं थी। अतः तत्कालीन सरपंच/ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति डबवाली के कार्यालय से अनापति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी) प्राप्त करके ही मु0 128274 रू0 की आर0सी0सी0 पाइप की खरीद बजारी कीमत पर की गई थी। जोकि तत्कालीन सरपंच द्वारा भुलवंश ऑडिट को नहीं दिखाई गई। उक्त खरीद करने हेतु ग्राम पंचायत से भी पारित है। अतः कृपया पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
49	इस पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि उस समय पंचायत समिति डबवाली कार्यालय में 50 प्रतिशत अनुदान			

	की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पंचायत समिति के पास RCC Pipe स्टॉक में नहीं थी। अतः तत्कालीन सरपंच/ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति डबवाली के कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी) प्राप्त करने उपरांत मु0 78937 रु0 की आर0सी0सी0 पाईप की खरीद बजारी कीमत पर की गई थी। जोकि ग्राम पंचायत द्वारा भी पारित है। मौका पर तत्कालीन सरपंच अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी) ऑडिट के समक्ष भूलवंश प्रस्तुत नहीं कर सका। आर0सी0सी0पाईप की खरीद करने हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा में भी पारित है। अतः कृप्या पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
50	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			
51	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत अरनियावाली में वाऊचर नं0 24 दिनांक 09/2012 के द्वारा मु0 14051/-रुपये के द्वारा आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
52	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत माखोसरानी में वाऊचर नं0 13 दिनांक 5/2013 के द्वारा मु0 146824/-रुपये, वाऊचर नं0 24 दिनांक 5/2011 के द्वारा मु0 182515/-रुपये, इसमें कुल 329339 रुपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से			

	आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
53	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत गंजा रूपाणा में वाउचर नं0 49 दिनांक 7/2012 मु0 17182/-रूपये, वाउचर नं0 35 दिनांक 11/2011 मु0 26049/-रूपये इसमें कुल 43131/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
54	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुम्हारिया में वाउचर नं0 13 दिनांक 07/2012 के द्वारा मु0 5289/-रूपये वाउचर नं0 07 दिनांक 12/2013 के द्वारा 31259/-रूपये वाउचर नं0 16 दिनांक 07/2013 के द्वारा मु0 99198/-रूपये, वाउचर नं0 23 दिनांक 12/13 के द्वारा मु0 12918/-रूपये, इस प्रकार से कुल मु0 148964/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
55	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत जोंधका में वाउचर नं0 15 दिनांक 06/2012 के द्वारा मु0 68633/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा			

	<p>खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
56	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत दड़बा कलां में मु0 35407/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
57	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत रामपुरा नवाबाद में वाऊचर नं0 54 दिनांक 03/2014 के द्वारा मु0 48750/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
58	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत निरबान में वाऊचर नं0 30 दिनांक 07/2011 के द्वारा मु0 62098/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा</p>			

	<p>खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
59	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत चाहरवाला में वाऊचर नं0 178 दिनांक 07/2013 के द्वारा मु0 92833/-रूपये, वाऊचर नं0 147 दिनांक 10/2012 के द्वारा मु0 56309/-रूपये, वाऊचर नं0 65 दिनांक 07/2011 के द्वारा मु0 23444/-रूपये, वाऊचर नं0 63 दिनांक 07/2011 के द्वारा मु0 54704/-रूपये, वाऊचर नं0 64 दिनांक 07/2011 के द्वारा मु0 33864/-रूपये। इस प्रकार की कुल मु0 261204/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
60	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत जमाल में वाऊचर नं0 83 दिनांक 03/2012 के द्वारा मु0 125247/-रूपये, वाऊचर नं0 07 दिनांक 02/2012 के द्वारा मु0 159664/-रूपये, इस प्रकार की कुल मु0 284911/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप</p>			

	<p>खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
61	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत दुकड़ा में मु0 303095/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
62	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत गुडियाखेड़ा में वाउचर नं0 38 दिनांक 02/2013 मु0 60176/-रूपये, वाउचर नं0 73 दिनांक 11/2013 मु0 427577/-रूपये, वाउचर नं0 77 दिनांक 01/2014 मु0 23155/-रूपये, वाउचर नं0 05 दिनांक 05/2012 मु0 57756/-रूपये। इस प्रकार मु0 568664/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
63	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत नहराना में वाउचर नं0 53 दिनांक 05/2011 के द्वारा मु0 172000/-रूपये, वाउचर नं0 50 दिनांक 10/2013 के द्वारा मु0 86831/-रूपये, इस प्रकार की कुल मु0 258831/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा</p>			

	<p>खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
64	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत डिंग में वाऊचर नं0 28 दिनांक 12/2011 के द्वारा मु0 88489/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
65	<p>इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत रूपाणा बिश्नोईया में वाऊचर नं0 24 दिनांक 11/2011 के द्वारा मु0 15524/-रूपये, वाऊचर नं0 29 दिनांक 03/2012 के द्वारा मु0 10104/-रूपये इस प्रकार कुल मु0 25628/-रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।</p>			
66	<p>Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.</p>			

67	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पंचायत रामपुरा ढिल्लों में वाऊचर नं0 10 दिनांक 08/2013 के द्वारा मु0 90647/—रूपये की आर.सी.सी. पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख.वि.एवं पं. अ. के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पंचायतों में आर.सी.सी. पाईप की मांग की जा रही है, परन्तु पंचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पंचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पंचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर.सी.सी. पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलंगन है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।			
68	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt. near the Jurisdiction of Rania Block. No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period.			
69	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt. near the Jurisdiction of Rania Block. No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period.			
70	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt. near the Jurisdiction of Rania Block. No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period.			
71	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt. near the Jurisdiction of Rania Block. No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period.			
72	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti. Therefore, the purchase was made from Open Market. Hence Para May be Dropped.			

The Committee has desired to keep the para pending.

[48] Appendix-‘R’**Para No. 4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16**

Sr. No.	Appendix	Para No.	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (in Rs.)
10	‘R’	Appendix R of Para No.4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16	Relates to the Statement showing Outstanding Amount of Lease Money of Shamlat Land, Hides and Bones contract of Fish Ponds and Rent of Shops etc.	79	12948026

	Sr. No.	District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt. not handed over (in Rs.)	Recovery
1	1	Yamuna Nagar	Topra Kalan	Radaur	Sh. Anil S/o Ram Nath	10,000.00	0.00
2					Sh. Bhushan Ram S/o Ram Sarup	33,100.00	0.00
3					Sh. Chaman S/o Farjudeen	26,300.00	0.00
4					Sh. Kuldeep S/o Kundan	20,100.00	0.00
5					Sh. Nawab ali S/o Abdul Mani	40,200.00	0.00
6					Sh. Rakesh S/o Shiv Kumar	25,000.00	0.00
7	2	Yamuna Nagar	Ismailpur	Radaur	Sh. Baldev S/o Bir Singh	100.00	100.00
8					Sh. Pali S/o Ishar Singh	6,600.00	0.00
9					Sh. Parkash S/o kundan	90,850.00	0.00
10					Sh. Teja Ram S/o Patu Ram	50.00	50.00

11	3	Narnaul	Akoda	Mohindergarh	Sh. Har Pal S/o Lal Singh	4,00,000.00	0.00
12					Sh. Jitender S/o Satbir	2,00,000.00	0.00
13					Sh. Ram Niwas S/o Parbhu Deva	2,00,000.00	0.00
14					Sh. Vikram S/o Lal Singh	2,00,000.00	0.00
15					Smt. Urmila W/o Ravinder Yadav	2,00,000.00	0.00
16	4	Ambala	Nahra	Barara	Sh. Jitender Kumar	80,400.00	0.00
17					Sh. Ram Ji Das S/o Chamela	61,875.00	0.00
18	5	Ambala	Kalu Majra	Ambala	Sh. Labh singh S/o Sardara Singh	20,000.00	0.00
19	6	Yamuna Nagar	Chamori	Radaur	Sh. Arif S/o Ramjan	21,100.00	0.00
20	7	Yamuna Nagar	Unheri	Radaur	Sh. Bir Singh S/o Babu Ram	1,03,100.00	0.00
21					Sh. Karam Singh S/o Parsa Ram	11,000.00	0.00
22					Sh. Raj Kumar S/o Janti Ram	21,000.00	0.00
23	8	Yamuna Nagar	Antawa	Radaur	Sh. Liza Ram S/o Tara Chand	1,73,100.00	1,73,100.00
24					Sh. Ombir S/o Mam Chand	1,25,000.00	0.00
25					Sh. Pirthi Singh S/o Dhani Ram	25,400.00	25,400.00

26					Sh. Sukhvinder S/o Kiram Pal	20,400.00	0.00
27					Sh. Suresh Kumar S/o Dhani Ram	70,000.00	0.00
28					Sh. Tarshem S/o Mulla Ram	1,00,000.00	0.00
29	11	Yamuna Nagar	Model Town Karra	Radaur	Sh. Jagdish Ram Sarup S/o	1,000.00	0.00
30					Sh. Jai Pal S/o Sadhu Ram	4,200.00	0.00
31					Sh. Naresh Amar Singh S/o	8,000.00	0.00
32					Sh. Naresh Kishori Lal S/o	9,350.00	0.00
33					Sh. Puran Chand S/o Laxman	47,100.00	0.00
34					Sh. Puran S/o Amar Singh	27,900.00	0.00
35					Sh. Rajak Serifudeen S/o	43,600.00	0.00
36					Sh. Rajinder Amar Singh S/o	4,350.00	0.00
37					Sh. Sat Pal S/o Sadhu Ram	10,000.00	0.00
38					Sh. Sat Pal Sadhu Ram S/o	1,000.00	0.00
39					Sh. Satish Budh Ram S/o	1,000.00	0.00

40					Sh. Shyam Singh Mukhtiyar S/o	28,200.00	0.00
41	13	Ambala	Haldari	Saha	Sh. Balbir Singh Narata Ram S/o	69,000.00	0.00
42	15	Panchkula	Bar	Pinjore	Sh. Hari Kishan Naryan S/o	17,100.00	17,100.00
43	16	Panchkula	Kigranwali	Pinjore	Sh. Dharmbir Ram Kishan S/o	5,555.00	5,555.00
44					Sh. Surender Sardari S/o	5,700.00	5,700.00
45	19	Karnal	Gagsina	Gharounda	Sh. Gurjeet Singh Ladha Ram S/o	5,92,000.00	0.00
46	20	Sonepat	Krawari	Sonepat	Sh. Jagbir singh	9,025.00	0.00
47					Sh. Nanda Jai Narain S/o	4,42,820.00	0.00
48	21	Sonepat	Mohana	Sonepat	Sh. Hawa Singh Kansi Ram S/o	53,625.00	53,625.00
49	22	Rewari	Bhruthal Jat	Rewari	Sh. Raj Kumar Rai Singh S/o	23,400.00	0.00
50	23	Ambala	Garnala	Ambala-II	Sh. Harbans Singh	1,74,000.00	0.00
51					Sh. Rajesh Kumar	16,400.00	0.00
52	24	Yamuna Nagar	Radouri	Radaur	Sh. Jitender Raja s/oRam	12,700.00	12,700.00
53					Sh. Rajinder s/o Narain Das	33,400.00	33,400.00
54	25	Yamuna Nagar	Sandholi	Radaur	Sh. Amar Singh S/o Shiv Dayal	18,500.00	18,500.00

55					Sh. Karambir S/o Baljit	100.00	100.00
56					Sh. Zile Singh	40,000.00	40,000.00
57	26	Ambala	Paslalu	Saha	Sh. Randhir Singh S/o Ram Parsad	1,62,000.00	0.00
58	27	Ambala	Dangdheri	Ambala-II	Sh. Lal Singh S/o Vijay	43,950.00	0.00
59	29	Yamuna Nagar	Sagri	Radaur	Sh. Joginder s/o Rameshwar	36,000.00	0.00
60	30	Yamuna Nagar	Jathlana	Radaur	Sh. Balraj S/o Moti Ram	1,70,200.00	0.00
61					Sh. Dharmbir S/o Hari Ram	45,900.00	0.00
62					Sh. Eiki Ram S/o dasondhi Ram	1,64,100.00	0.00
63					Sh. Ganesh S/o Gayan Chand	52,275.00	0.00
64					Sh. Ghansham S/o Janardhan	70,000.00	0.00
65					Sh. Jasbir S/o Jai Sigh	38,250.00	0.00
66					Sh. Mamu Ram S/o Kora Ram	20,400.00	0.00
67					Sh. Matu Ram S/o Dasondhi Ram	58,000.00	0.00
68					Sh. Mehbub S/o Fejkha	86,000.00	0.00
69					Sh. Nur Mohd. S/o Gumkha	66,500.00	0.00

70					Sh. Phul Singh S/o SadhuRam	40,800.00	0.00
71					Sh. Prem Pal S/o Sita Ram	90,000.00	0.00
72					Sh. Rajiv Kumar S/o Om Parkash	1,71,000.00	0.00
73					Sh. Rameshwar S/o Dasondhi Ram	98,200.00	0.00
74					Sh. Satish Kumar S/o Tuge Ram	35,000.00	0.00
75					Sh. Satish S/o Mani Ram	33,150.00	0.00
76					Sh. Shamsheer S/o Bir Kha	44,200.00	0.00
77	31	Karnal	Kalsi Khalsa	Nilokheri	Sh. Madan S/o Panjeha Ram	35,000.00	0.00
78	32	Rewari	Chandawas	Rewari	Sh. Malkhan Singh, Malikpur	1,00,000.00	0.00
79	33	Rewari	Kishangarh	Rewari	Sh. Kailash	30,055.00	0.00
80	34	Ambala	Tundli	Ambala-II	Sh. Ashok Kumar S/o Puran Chand	23,750.00	0.00
81	35	Ambala	Liharsa	Ambala-II	Sh. Roshan Lal	26,577.00	0.00
82					Sh. Sukhvinder Pal	38,250.00	0.00
83	36	Kaithal	Pabla	Pundri	Sh. Wakil S/o Bashir Ahmed	32,000.00	0.00
84	37	Hisar	Singhwa Ragho	Hansi-I	Sh. Naresh S/o Teka	20,250.00	20,250.00

85					Sh. Rajinder S/o Ram Chander	94,000.00	94,000.00
86	38	Sonepat	Bhatgaon Dungra	Sonepat	Sh. Jagdish	52,875.00	52,875.00
87	39	Yamuna Nagar	Rampur Jattan	Chhachrouli	Sh. Jagdish	52,875.00	0.00
88	40	Yamuna Nagar	Bheelpura	Chhachrouli	Sh. Karan Singh	73,206.00	0.00
89					Sh. Rishi Pal	18,525.00	0.00
90	41	Yamuna Nagar	Devdhar	Chhachrouli	Sh. Akhtar Ali	34,470.00	34,470.00
91	42	Yamuna Nagar	Manakpur-I	Chhachrouli	Lease money	1,14,000.00	58,000.00
92	43	Panipat	Garhi Chhaju	Samalkha	Sh. Baljit Singh	21,000.00	0.00
93	44	Kurukshetra	Mathana	Thanesar	Sh. Amar Nath S/o Mam Raj	12,16,000.00	12,16,000.00
94	45	Sonepat	Rolad latifpur	Sonepat	Rent of shops	2,84,295.00	0.00
95	46	Sonepat	Kakroi	Sonepat	Lease money not realized but laying outstanding	2,14,449.00	0.00
96	48	Panipat	Chhchrana	Israna	Lease money not realized but laying outstanding	1,41,500.00	0.00
97	49	Panipat	Jorasi khas saraf	Samalkha	Lease money of fish pond and laying outstanding	41,000.00	0.00
98					Sh. Latif	34,375.00	0.00
99					Sh. Vijay	33,125.00	0.00
100	50	Kurukshetra	Ismailabad saraf	Ismailabad	Sh. Om Parkash S/o Mansa Ram	18,000.00	18,000.00

101	51	Sonepat	Mahipur saraf	Sonepat	Sh. Sanjay S/o Rambhaj	1,20,250.00	1,20,250.00
102					Sh. Sunil S/o Krishan	17,625.00	17,625.00
103	52	Sonepat	Sandal Kalan saraf	Sonepat	Sh. Kuldeep S/o Krishan	88,950.00	0.00
104					Sh. Satish S/o Sultan	84,750.00	0.00
105					Sh. Zile Singh S/o Surmukh	49,500.00	0.00
106	53	Panipat	Kachrauli saraf	Panipat	Lease money outstanding	37,686.00	0.00
107	54	Panipat	Kabri saraf	Panipat	Lease money outstanding	3,70,000.00	0.00
108	55	Yamuna Nagar	Chholi saraf	Chhachrouli	Sh. Jasmer S/o Pannu	1,22,500.00	0.00
109	56	Ambala	Nahra saraf	Barara	Sh. Jitender	80,400.00	0.00
110					Sh. Ram Ji Das S/o Chamela	61,875.00	0.00
111	57	Ambala	Ganganpur saraf	Barara	Sh. Naresh Kumar S/o Banta Ram	87,750.00	0.00
112					Sh. Punna Ram S/o Pali Ram	72,744.00	0.00
113					Smt. Kaushlya Devi W/o Jaswant	20,875.00	0.00
114	58	Ambala	Liharsa saraf	Ambala-II	Sh. Roshan Lal	26,577.00	0.00
115					Sh. Sukvinder Pal	38,250.00	0.00
116	59	Ambala	Garmala saraf	Ambala-II	Sh. Harbans Singh	17,400.00	17400.00
117					Sh. Rajesh Kumar	16,400.00	16400.00

118	60	Ambala	Dangdheri saraf	Ambala-II	Sh. Lal Babu S/o Vijay	43,950.00	0.00
119	61	Sirsa	Joudhkan saraf	Nathusari Chopta	Sh. Krishan Lal	67,000.00	0.00
120	62	Sirsa	Nirban saraf	Nathusari Chopta	Sh. Kuldeep	38,750.00	0.00
121	63	Sirsa	Dhukra saraf	Nathusari Chopta	Sh. Parlad S/o Hansraj	38,200.00	0.00
122	64	Sirsa	Nehrana saraf	Nathusari Chopta	Sh. Virender S/o Ram Kumar	70,875.00	0.00
123	65	Panipat	Ahar saraf	Israna	Sh. Phool Singh son of Mewa Singh	2,11,000.00	2,11,000.00
124	67	Kaithal	Sakara saraf	Pundri	Sh. Kura Ram Son of Jagat Singh	1,09,000.00	0.00
125	68	Panipat	Bhawpur saraf	Israna	Sh. Subhash Son of Niranjan	5,01,000.00	0.00
126	69	Hisar	Kheri lochan saraf	Narnaund	Sh. Baljit S/o Telu Ram rent of shop	29,500.00	0.00
127					Sh. Baljit S/o Telu rent of shop	13,000.00	0.00
128					Sh. Harkesh S/o Amar Singh rent of shop	14,500.00	0.00
129					Sh. Harkey Son of Amar Singh rent of shop	15,500.00	0.00
130					Sh. Rajbir S/o Gopi rent of shop	10,500.00	0.00
131					Sh. Rakesh S/o Ram Niwas rent of shop	15,000.00	0.00

132					Sh. Ram Sarup S/o Ami Chand rent of shop	14,000.00	0.00
133	70	Karnal	Depedi saraf	Assandh	Sh. Satpal S/o Dal Singh fish pond	32,000.00	0.00
134	71	Kurukshetra	Batheri saraf	Pehowa	Sh.Mahender S/o	4,000.00	4,000.00
135					Sh. Surnit S/o Puran Singh fish pond	42,500.00	0.00
136	73	Hisar	Sulchani saraf	Narnaund	Sh. Karambir S/o Hoshiara fish pond	42,392.00	0.00
137	74	Kaithal	Peodha saraf	Kaithal	Sh. Ram Mehar 2012-13 & 13-14 fish pond	1,11,624.00	0.00
138	75	Rohtak	Kaltana saraf	Sampla	Sh. Taj Singh son of Munshi fish pond	66,937.00	0.00
139	76	Yamuna Nagar	Khijra Bad saraf	Chhachrouli	Sh. Karamchand S/o Sita Ram Hadda, Rori	5,300.00	5,300.00
140	77	Yamuna Nagar	Kot sarkari saraf	Chhachrouli	Sh. Faquir chand S/o Malu plot no. 1	23,000.00	0.00
141					Sh. Gurdayal S/o Phool Kumar plot no. 4	41,000.00	0.00
142					Sh. Jeet Ram plot no. 2	4,300.00	0.00
143					Sh. Lachman S/o Kapora plot no. 3	75,000.00	0.00

144	78	Rohtak	Kharawas saraf	Sampla	Sh. Chattar Singh fish pond	2,625.00	0.00
145					Sh. Ishwar Singh fish pond	29,531.00	0.00
146					Sh. Kuldeep singh S/o Ram Diya fish pond	34,063.00	0.00
147					Sh. Rajesh S/o Chattar Singh fish pond	63,125.00	0.00
148					Sh. Sat Pal S/o Karam Singh fish pond	8,681.00	0.00
149	79	Kurukshetra	Jyotisar saraf	Thanesar	Sh. Amrik S/o Ram Nath Rana rent of shops	10,440.00	31,320.00
150					Sh. Balbir S/o Lal Singh	21,840.00	7200.00
151					Sh. Ishwar Singh fish pond	15,365.00	15,365.00
152					Sh. Jai Bhagwan S/o Som Dev rent of shop	21,960.00	25,380.00
153					Sh. Jaibhagwan S/o Som Dev fish pond	16,920.00	0.00
154					Sh. Kiran Kumar S/o Krishan Lal rent of shops	8,760.00	8,760.00
155					Sh. Krishan S/o Ram Kumar rent of shop	15,360.00	61,440.00

156				Sh. Mahender S/o Sanker fish pond	6,840.00	6,840.00
157				Sh. Parveen S/o Shiv fish pond	18,120.00	0.00
158				Sh. Pawan S/o Surinder	14,400.00	14,400.00
159				Sh. Raj Kumar S/o Phulia Lal rent of shops	9,360.00	18,720.00
160				Sh. Ramesh S/o Jeewan	7,200.00	7,200.00
161				Sh. Sandeep S/o Mehar fish pond	22,320.00	12,000.00
162				Sh. Sandeep S/o Mehar rent of shop	12,000.00	12,000.00
163				Sh. Sanjeev S/o Banasi Dass fish pond	18,800.00	10,000.00
164				Sh. Sanjeev S/o Partap fish pond	21,600.00	15,000.00
165				Smt. Minakshi D/o Ravi fish pond	7,260.00	7,260.00
				TOTAL	1,29,48,026.00	<i>Already recovered- 13,48,894.00</i> Now recovered- 25,23,785.00

The Department in its written reply stated as under:-

	Reply	Death
1	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7170 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3595 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
2	पोस्ट आफिस की रिपोर्ट अनुसार मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
3	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7183 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3596 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
4	Land Revenue की प्रक्रिया की जा चुकी है,, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3598 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
5	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 169 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3597 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
6	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7184 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
7	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00

8	रंदक त्मअमदनम की प्रक्रिया की जा चुकी है,, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3599 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3599 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
9	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
10	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
11	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
12	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
13	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
14	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00

15	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
16	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पैशाल 14 दिनांक 02.08.2021 व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1787 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार पट्टेदार निवासी नाहरा को 80400/-रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गये है । जितेन्द्र कुमार पट्टेदार का देहान्त हो गया है, उसके वारीस पत्नी व पुत्र उक्त राशि जमा नहीं करवा रहे। अतः माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 299-300 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0.00
17	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पैशाल 13 दिनांक 02.08.2021 व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1786 दिनांक 18.08.2021 के द्वारा श्री राम जी लाल निवासी नाहरा को 61875/-रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गया है । उक्त पट्टेदार पट्टेदार राशि जमा नहीं करवा रहा। अतः माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 301-302 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0.00
18	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
19	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 162 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3600 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
20	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 170 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3602 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
21	पोस्ट आफिस की रिपोर्ट अनुसार मृत्यु हो चुकी है।	0.00
22	Land Revenue की प्रक्रिया की जा चुकी है,, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3601 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा	0.00

	ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
23	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
24	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7182 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3603 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
25	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
26	पत्र क्रमांक 3626 दिनांक 10.12.2022 द्वारा Land Revenue की प्रक्रिया की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
27	Land Revenue की प्रक्रिया की जा चुकी है,, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3627 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
28	श्री तरसेम, पुत्र श्री मूलाराम गांव निवासी अन्टावा ने तहसीलदार रादौर में माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर में मु0 100000/- रू0 की राशि बुक नं0 8 रसीद नं0 2922 दिनांक 30/08/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00

29	श्री जगदीश कुमार, पुत्र श्री राम स्वरूप, गांव निवासी करेडा एम0टी0 ने तहसीलदार रादौर में माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर में मु0 1000/- रू0 की राशि बुक नं0 8 रसीद नं0 2920 दिनांक 30/08/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
30	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7179 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3607 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
31	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7172 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3614 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
32	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7176 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3610 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
33	Land Revenue की प्रक्रिया की जा चुकी है, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3608 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
34	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7181 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3604 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
35	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7174 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3612 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022	0.00

	द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
36	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7175 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3611 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
37	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7180 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3609 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
38	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7180 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3609 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
39	श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री बुधराम गांव निवासी करेडा एम0टी0 ने तहसीलदार रादौर में माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर में मु0 1000/- रु0 की राशि बुक नं0 8 रसीद नं0 2919 दिनांक 30/08/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
40	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7173 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाईन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3613 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
41	इस कार्यालय द्वारा मु0 69000/- की राशि श्रीमति संतोष कुमारी, भू0पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत हल्दरी से वसूल करने हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 988 दिनांक 19.07.2021 व पत्र क्रमांक 1074 दिनांक 03.08.2021 द्वारा भू0पूर्व सरपंच श्रीमति संतोष कुमारी को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिसों का जवाब प्राप्त ना होने व रिकवरी की राशि जमा ना करवाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 17.08.2021 द्वारा थाना प्रबन्धक, साहा की सेवा में श्रीमति संतोष कुमारी, भू0पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत हल्दरी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने बारे अनुरोध किया गया तदोपरान्त श्रीमति सन्तोष कुमारी पत्नी श्री पवन	0.00

	<p>कुमार, भू0पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत हल्दरी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2021 के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.10.2010 को मछली पालन हेतु तालाब श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री नराता राम के नाम मु0 34500/- रुपये में की गई थी और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती थी । पट्टेदार द्वारा पंचायत के पास कुल 43125/- रुपये जमा करवाये गये थे। पट्टेदार द्वारा एक साल बाद पंचायत को लिखकर शपथ पत्र दिया गया कि वह घाटा पड़ने से आगे पट्टा चलाना नहीं चाहता हैं और आगे किसी ओर को तालाब पट्टे पर दिये जाने का अनुरोध किया गया व मौका पर उसने तालाब का कब्जा छोड़ दिया। उसके बाद न तो कोई पट्टा राशि बलवीर सिंह द्वारा दी गई और ना ही मेरे द्वारा प्राप्त की गई। ग्राम पंचायत द्वारा यह तालाब आगे किसी को भी पट्टे पर नहीं दिया गया क्योंकि कोई इसे लेने के लिये तैयार नहीं हुआ।</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री नराता राम गांव हल्दरी के शपथ पत्र दिनांक 20.07.2012 को भी अवलोकन किया गया । उक्त शपथ पत्र अनुसार श्री बलबीर सिंह द्वारा गांव हल्दरी के 2 तालाब मछली पालन के लिये 7 साल के लिये पट्टे पर लिये थे । जिसकी बोली 28.10.2010 को हुई थी और जिसका ठेका 34500/- रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से उसके नाम छोड़ा गया था और हर तीन साल के बाद 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की जानी तय हुई थी । श्री बलवीर सिंह द्वारा वर्ष 28.10.2010 से 27.10.2011 तक का ठेका 34500/- रुपये व तीसरे साल की सिक्वोरिटी/बढ़ोतरी 25 प्रतिशत के हिसाब से 8625/- रुपये जो कुल 43125/- रुपये बनती थी को ग्राम पंचायत हल्दरी के पास जमा करवा दी थी। श्री बलबीर सिंह के शपथ पत्र अनुसार उस द्वारा उक्त तालाब 1 वर्ष के लिये लिया गया था। श्रीमति सन्तोष कुमारी पत्नी श्री पवन कुमार के प्रार्थना पत्र व श्री बलवीर सिंह का शपथ पत्र इस पत्र के साथ कर आपसे अनुरोध हैं कि उक्त पैरा ड्राप करने की कृपा करें।</p>	
42	<p>रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।</p>	0.00
43	<p>रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।</p>	0.00

44	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
45	सरपंच व ग्राम सचिव की रिपोर्ट के अनुसार गुरजीत सिंह सुपुत्र लधा राम के किसी व्यक्ति को मछली पालन का ठेका देने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः पैरा ड्रॉप करने का कष्ट करें।	0.00
46	ऑडिट पैरा की क्रम संख्या-20 के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुखबाला ग्राम पंचायत की तरफ मु0-9025/-रु0 व मु0-4,42,820/-रु0 यानी कुल मु0-4,51,845/-रु0 रिकवरी बनती है। रिकवरी की अदायगी के लिए तत्कालीन सरपंच को नोटिस इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5198 दिनांक 04.08.2021 व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 53(1) के तहत नोटिस पत्र क्रमांक 5422 दिनांक 11.08.2021 दिया गया है। यदि सरपंच उक्त राशि नोटिस की अवधि दौरान जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार 53 (2) के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाते हुए संबंधित थाना में FIR दर्ज करवा दी जाएगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
47	ऑडिट पैरा की क्रम संख्या-20 के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुखबाला ग्राम पंचायत की तरफ मु0-9025/-रु0 व मु0-4,42,820/-रु0 यानी कुल मु0-4,51,845/-रु0 रिकवरी बनती है। रिकवरी की अदायगी के लिए तत्कालीन सरपंच को नोटिस इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5198 दिनांक 04.08.2021 व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 53(1) के तहत नोटिस पत्र क्रमांक 5422 दिनांक 11.08.2021 दिया गया है। यदि सरपंच उक्त राशि नोटिस की अवधि दौरान जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार 53 (2) के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाते हुए संबंधित थाना में FIR दर्ज करवा दी जाएगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
48	रिकवरी हो चुकी है, रसीद साथ संलग्न है।सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00

49	यह कि श्री राजकुमार पुत्र श्री रायसिंह निवासी भगवानपुर जिला रेवाडी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 883 दिनांक 03.08.2021 एवं पंजीकृत पत्र क्रमांक 964 दिनांक 17.08.2021 द्वारा नोटिस देकर रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। (नोटिस की प्रति साथ संलग्न हैं।) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
50	इसका उत्तर सीरियल नं0 59 पर दे दिया है।	0.00
51	इसका उत्तर सीरियल नं0 59 पर दे दिया है।	0.00
52	Amount has been deposited by the concerned in Gram Panchayat Radauri Account on dated 10/09/21 & 23/09/2021 vide amount (12700 + 33400) = 46000+100 = 46100 (Copy of Receipt is enclosed herewith)	0.00
53		0.00
54	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
55	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
56	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
57	इस कार्यालय द्वारा मु0 162000/- की राशि श्रीमति रानी देवी, भू0पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पसियाला से वसूल करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 989 दिनांक 19.07.2021 व पत्र क्रमांक 1075 दिनांक 03.08.2021 द्वारा भू0पूर्व सरपंच	0.00

<p>श्रीमति रानी देवी को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिसों का उत्तर प्राप्त ना होने व रिकवरी की राशि जमा ना करवाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1177 दिनांक 17.08.2021 द्वारा थाना प्रबन्धक, साहा की सेवा में श्रीमति रानी देवी भू0पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पसियाला के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त श्रीमति रानी देवी, भू0पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पसियाला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र/जवाब दिनांक 01.09.2021 द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि मेरे द्वारा दिनांक 29.07.2010 को ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्रहण किया गया था। ग्राम पंचायत का जो तालाब मुझसे पूर्व सरपंच द्वारा रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद को पट्टे पर दिया गया था, उस द्वारा उनके कार्यकाल में ही राशि जमा करवाई जानी थी परन्तु मेरे कार्यकाल में श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई गई तथा उसने मेरे कार्यकाल से पहले ही वह तालाब छोड़ दिया था। मैंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 20.10.2010 व 19.04.2011 को तथा उसके बाद भी बोली करवाने के प्रयास किए परन्तु तालाब में समुद्रशोक होने के कारण कोई भी आदमी बोली में नहीं आया। अतः 2014 में कई प्रयासों के बाद यह बोली हुई जोकि संत कुमार पुत्र सालग राम को 32000/- रूपये में दी गई, जिसकी राशि साथ ही जमा करवा दी गई थी। यह कहना कि मेरे द्वारा रणधीर पुत्र राम प्रसाद से 162000/- रूपये की राशि वसूल की गई व खाते में जमा नहीं करवाई कहना गलत है क्योंकि 29.07.2010 से 23.05.2014 तक गांव का तालाब पट्टे पर नहीं रहा। श्रीमति रानी देवी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिस के अनुसार पट्टेदार श्री रणधीर पुत्र राम प्रसाद ने दिनांक 31.08.2021 को अपना शपथ पत्र दिया है कि उस द्वारा वर्ष 2009 में ग्राम पंचायत पसियाला का तालाब 32000/- रूपये में ठेके पर लिया था और तालाब ठीक ना होने के कारण मैंने एक साल के पैसे जमा करवाकर तालाब छोड़ दिया था तथा उक्त तालाब मैंने 1 वर्ष के लिये ठेके पर लिया था। उक्त तालाब की बोली से सम्बन्धित पट्टा रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 30.05.2009 को मु0 32000/- में श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद के नाम बोली छोड़ी गई। उक्त तालाब पट्टा रजिस्टर अनुसार 8 वर्षों के लिये बोली पर दिया गया था। ग्राम पंचायत पसियाला के पट्टा रजिस्टर की दिनांक 19.04.2011 की कार्यवाही अनुसार ग्राम पंचायत पसियाला के तालाब की बोली दिनांक 19.04.2011 को रखी गई परन्तु उक्त दिनांक को किसी भी व्यक्ति द्वारा सिक्क्योरिटी राशि जमा ना करवाने के कारण व मत्सय विभाग से कोई भी कर्मचारी/अधिकारी ना आने के कारण रद्द हो गई। दिनांक 23.05.2021 को उक्त तालाब की बोली हुई जोकि ग्राम पंचायत द्वारा श्री सन्तकुमार पुत्र सालग राम के नाम छोड़ी गई। इस प्रकार भू0पूर्व0 सरपंच श्री रानी देवी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों व ग्राम पंचायत पसियाला के पट्टा रजिस्टर से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 30.05.2009 को ग्राम पंचायत पसियाला का तालाब बोली पर दिया गया था और दिनांक 19.04.2011 को उक्त तालाब को पुनः पट्टे पर देने के लिये ग्राम पंचायत पसियाला द्वारा पुनः बोली रखी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त तालाब श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद के पास एक वर्ष हेतु पट्टे पर रहा है जिसकी राशि पट्टेदार श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद द्वारा ग्राम पंचायत के पास जमा करवा दिये गये थे। अतः उक्त पैरा ड्राप करने की कृपा करें।</p>	
--	--

58	कार्यालय द्वारा संबन्धित को अंतिम नोटिस दे दिया गया है। इसके पश्चात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 53(1) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	0.00
59	श्री जोगिन्द्र सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर गांव निवासी सागडी ने तहसीलदार रादौर में माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर में मु0 36000/- रू0 की राशि बुक नं0 8 रसीद नं0 2921 दिनांक 30/08/2022, 2970 दिनांक 10/10/2022 व 2978 दिनांक 06/12/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है।	0.00
60	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
61	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 165 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3622 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
62	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
63	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 163 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3623 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
64	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
65	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 166 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3620 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
66	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 167 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3618 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
67	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
68	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 168 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः	0.00

	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3617 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	
69	Land Revenue की प्रक्रिया की जा रही है जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3616 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
70	Land Revenue की प्रक्रिया की जा रही है। जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3621 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
71	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
72	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
73	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
74	Gram Panchayat passed the resolution No. 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010-11, amount due to Yamuna River flood to soil Erosion. Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0.00
75	Land Revenue की प्रक्रिया हेतु डी0डी0पी0ओ0 यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 164 दिनांक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3619 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
76	Land Revenue की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका रिमाइन्डर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3615 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0.00
77	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4775 दिनांक 09.07.2021 तथा कार्यालय के पत्र क्रमांक 5073 दिनांक 04.08.2021 द्वारा सम्बन्धित ग्राम सचिव को पत्र लिखा गया कि श्री मदन लाल पुत्र श्री पंन्जेहा राम से मु0 35000/- रु0 राशि रिकवरी करके ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवाकर खण्ड कार्यालय को सूचित करे। इस बारे सम्बन्धित ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होते ही आडिट को अवगत कर दिया जाएगा। अतः पैरा समाप्त किया जाए।	0.00
78	यह कि ग्राम पंचायत के पट्टा रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो पाया कि भामलात जोहड का पट्टा रहीस खान पुत्र श्री मुशेखान गांव मिलकपुर तहसील तिजारा के नाम से छोड़ा हुआ है, जबकि आडिट में मलखान सिंह ,मिलकपुर के नाम दिखाया गया है जो गलत है। (पट्टा रजिस्टर की प्रति साथ सलंगन है) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4067 दिनांक 9.12.2022 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चांदावास को रिकवरी जमा करने वारे जारी करके रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है।(नोटिस की प्रति साथ सलंगन है।)	0.00

79	यह कि श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द निवासी गांव व डा0 ब्रजपुरा तहसील पटौदी जिला गुस्साम को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 956 दिनांक 14.08.2021 द्वारा नोटिस देकर रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। (नोटिस की प्रति साथ संलग्न हैं।)	0.00
80	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1489-92 दिनांक 22.07.2021 के माध्यम से श्री गुरमीत सिंह पुर्व सरपंच दुडली, खण्ड अम्बाला-II को ऑडिट आपत्ति के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.07.2021 तक खण्ड कार्यालय में बुलाया गया। जिसका पुर्व सरपंच द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक 1654 दिनांक 05.08.2021 को पुर्व सरपंच को इस बारे समरण पत्र जारी किया गया है। पुर्व सरपंच से उत्तर प्राप्त होने उपरांत नियम अनुसार कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पैरा के निपटान के लिए एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करें।	0.00
81	ऑडिट आपत्ति के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 2366 दिनांक 12.7.21, पत्र क्रमांक 1489-92 दिनांक 22.7.21 व पत्र क्रमांक 2366 दिनांक 18.11.21 द्वारा पुर्व सरपंच श्री अवतार सिंह ग्राम पंचायत लिहारसा (वर्ष 2010 से 2015) को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(1) के तहत राशि जमा करने बारे नोटिस दिया गया। जिसके सम्बन्ध में पुर्व सरपंच श्री अवतार सिंह द्वारा खण्ड कार्यालय में लिखित में दिया कि उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी तालाब मछली पालन हेतु पट्टे पर नहीं दिया गया था। उसके कार्यकाल में केवल दिनांक 8.3.2011 को पट्टेदार श्री सुखविंदर पाल सिंह द्वारा 17000/- रु0 की राशि ग्राम पंचायत के पास जमा करवाई थी। जिसकी रसीद नं0 89 बुक संख्या 4 साथ संलग्न है। इसके बाद पट्टेदार का ग्रामवासियों के साथ तालाब को लेकर झगडा हो गया और पट्टेदार श्री सुखविन्द्र पाल सिंह द्वारा एक कोर्ट केस ua CS/6065'2013 सिविल न्यायालय, अम्बाला में दायर कर दिया। इस कोर्ट केस के चलते पट्टेदार द्वारा कोई भी राशि ग्राम पंचायत के पास जमा नहीं करवाई। वर्ष 2016 में नई पंचायत के गठन के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव नं0 4 दिनांक 27.9.16 यह पारित किया है कि पट्टेदार द्वारा कोर्ट केस के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया है और तालाब में पानी भी नहीं था। इसके पश्चात नई पंचायत ने 19.10.16 को पांच वर्ष के लिए श्री हरपाल सिंह को पट्टेदार को पट्टे पर दे दिया था। वर्तमान में यह पंचायत नगर निगम, अम्बाला शहर में शामिल हो गई। अतः उक्त पैरा को ड्राप करने का कष्ट करें।	0.00
82	ऑडिट आपत्ति के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 2366 दिनांक 12.7.21, पत्र क्रमांक 1489-92 दिनांक 22.7.21 व पत्र क्रमांक 2366 दिनांक 18.11.21 द्वारा पुर्व सरपंच श्री अवतार सिंह ग्राम पंचायत लिहारसा (वर्ष 2010 से 2015) को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(1) के तहत राशि जमा करने बारे नोटिस दिया गया। जिसके सम्बन्ध में पुर्व सरपंच श्री अवतार सिंह द्वारा खण्ड कार्यालय में लिखित में दिया कि उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी तालाब मछली पालन हेतु पट्टे पर नहीं दिया गया था। उसके कार्यकाल में केवल दिनांक 8.3.2011 को पट्टेदार श्री सुखविंदर पाल सिंह द्वारा 17000/- रु0 की राशि ग्राम पंचायत के पास जमा करवाई थी। जिसकी रसीद नं0 89 बुक संख्या 4 साथ संलग्न है। इसके बाद पट्टेदार का	0.00

	ग्रामवासियों के साथ तालाब को लेकर झगड़ा हो गया और पट्टेदार श्री सुखविन्द्र पाल सिंह द्वारा एक कोर्ट केस नं० 6065२2013 सिविल न्यायालय, अम्बाला में दायर कर दिया। इस कोर्ट केस के चलते पट्टेदार द्वारा कोई भी राशि ग्राम पंचायत के पास जमा नहीं करवाई। वर्ष 2016 में नई पंचायत के गठन के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव नं० 4 दिनांक 27.9.16 यह पारित किया है कि पट्टेदार द्वारा कोर्ट केस के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया है और तालाब में पानी भी नहीं था। इसके पश्चात नई पंचायत ने 19.10.16 को पांच वर्ष के लिए श्री हरपाल सिंह को पट्टेदार को पट्टे पर दे दिया था। वर्तमान में यह पंचायत नगर निगम, अम्बाला शहर में शामिल हो गई। अतः उक्त पैरा को ड्राप करने का कष्ट करें।	
83	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
84	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
85	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
86	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
87	रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि इस समय अवधि का कोई आडिट नोट इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। आडिट नोट हेतू डिप्टी डायरेक्टर लोकल आडिट, जीन्द से पत्राचार किया जा रहा है। आडिट नोट प्राप्त होने उपरान्त आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी।	0.00

88	<p>इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3224 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है। लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4041 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 134 दिनांक 11/01/2022 के माध्यम से पुनः लिखकर रजिस्ट्री करवाई गई है परन्तु डाक विभाग द्वारा गांव में व्यक्ति ना मिलने के कारण रजिस्ट्री इस कार्यालय में वापिस प्राप्त हो गई है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4022-25 दिनांक 16/11/2021 व 281-284 दिनांक 19/01/2022 व पत्र क्रमांक 1906-07 दिनांक 18/05/2022 व पत्र क्रमांक 4147-48 दिनांक 04/07/2022 के माध्यम से सम्बंधित ग्राम सचिव को भी लिखा गया है कि रिकार्ड अनुसार व्यक्ति का पता करें।</p> <p>जिस बारे श्री संदीप कुमार, ग्राम सचिव द्वारा दिनांक 10.12.2022 को लिखकर दिया गया है कि यह व्यक्ति गांव में नहीं रहता है और ना ही रिकार्ड में नाम दर्ज है। इसलिए ग्राम सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार उक्त पैरा को समाप्त करने की कृपा करें। प्रति साथ संलग्न है।</p>	0.00
89	<p>इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3227 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है। लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है।</p> <p>इसलिए पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4044 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 132 दिनांक 11/01/2022 के माध्यम से पुनः लिखकर रजिस्ट्री करवाई गई है परन्तु डाक विभाग द्वारा गांव में व्यक्ति ना मिलने के कारण रजिस्ट्री इस कार्यालय में वापिस प्राप्त हो गई है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4022-25 दिनांक 16/11/2021 व पत्र क्रमांक 281-284 दिनांक 19/01/2022 व पत्र क्रमांक 1906-07 दिनांक 18.05.2022 व पत्र क्रमांक 4147-48 दिनांक 04/07/2022 के माध्यम से सम्बंधित ग्राम सचिव को भी लिखा गया है कि जिस बारे श्री संदीप कुमार, ग्राम सचिव द्वारा दिनांक 10.12.2022 को लिखकर दिया गया है कि यह व्यक्ति गांव में नहीं रहता है और ना ही रिकार्ड में नाम दर्ज है। इसलिए ग्राम सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार उक्त पैरा को समाप्त करने की कृपा करें। प्रति साथ संलग्न है।</p>	0.00
90	<p>रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम पंचायत देवधर द्वारा दिनांक 04/10/2011 मछली विभाग के कर्मचारी की हाजिरी में तालाब पांच वर्ष हेतु श्री अखतर अली पुत्र श्री मामूद्दीन के नाम मु0 5100/-रु0 प्रति वर्ष के हिसाब से छोड़ा गया था। जिसकी मौका पर दो वर्ष की राशि रसीद न0 59/2593 दिनांक 31/10/2011 मु0 10200/-रु0 ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। जिसका केश बुक पेज न0 66 पर इन्द्राज है। इसके उपरान्त श्री अखतर अली ने इस तालाब का पट्टा किन्ही पारिवारिक कारणों के कारण छोड़ दिया और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.05.2014 को प्रस्ताव न0 03 पारित किया गया है। जिसकी फोटो प्रति साथ संलग्न है अतः बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती। कृपया पैरा समाप्त करने की कृपा करें।</p>	0.00

	<p>रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।</p>	
91	<p>रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि दिनांक 24/02/2011 को ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की खुली बोली तीन वर्ष हेतु की गई थी। जिसमें शमशाद पुत्र श्री खलील अहमद के नाम मु0 27000/-रु0 प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टा छोड़ा गया था जो कि ग्राम पंचायत पट्टा की भांति अनुसार सफल बोली दाता को बोली की राशि मौका पर ही जमा करवानी होगी जो कि पट्टेदार द्वारा दिनांक 24/02/2011 को मु0 27000/-रु0 वर्ष 2011-12 जमा करवा दी। जिसका रसीद न0 529/6 है और कैश बुक में पेज न0 13 पर दर्ज है। इसके अतिरिक्त पट्टा भांति अनुसार पट्टेदार को बतौर सिक्वोरिटी मु0 10000/-रु0 की राशि जमा करवाई गई है, जिसकी रसीद न0 530/06 है और कैश बुक पेज न0 13 पर दर्ज है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध ग्राम पंचायत के प्रस्ताव न0 02 दिनांक 19/03/20212 व पट्टेदार द्वारा दिया ब्यान हल्फिया (प्रति साथ संलग्न) अनुसार पट्टा की शर्त मुताबिक पट्टेदार की सिक्वोरिटी राशि मु0 10000/-रु0 जब्त करके पट्टेदार का पट्टा उसी समय रद्द कर दिया गया था। इसलिए पट्टेदार से (27000x3=81000-27000-10000=44000/-) की राशि की वसूल की जानी नहीं बनती है। इसलिए पैरा समाप्त करने की कृपा करें।</p> <p>इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06/05/2014 को भामलात भूमि की खुली बोली की गई थी जिसमें पंचायत भूमि का प्लॉट न0 1 श्री काका पुत्र शिव कुमार पट्टेदार के नाम मु0 70100/-रु0 में छोड़ा गया था। जिसकी पट्टेदार द्वारा मु0 30000/-रु0 की राशि रसीद न0 562/6 दिनांक 01/06/2015 के माध्यम से जमा करवाई गई थी जो कि कैश बुक के पेज न0 56 पर दर्ज है तथा बकाया राशि मु0 40100/-रु0 की राशि पट्टेदार द्वारा नहीं जमा करवाई गई। रिकवरी की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 14/07/2021 के माध्यम से सम्बंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है।</p> <p>इसलिए पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3230-32 दिनांक 24/09/2021 के तहत लिखा गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4063 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।</p> <p>इसलिए पुनः पत्र क्रमांक 155 दिनांक 11/01/2022 के माध्यम से श्री काका पुत्र श्री शिव राम का रजिस्ट्री डाक के माध्यम से पुनः लिखा गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4022-25 दिनांक 16/11/2021 व पत्र क्रमांक 281-84 दिनांक 19/01/2022 व के माध्यम से सम्बंधित ग्राम सचिव को भी लिखा गया है।</p> <p>इस सम्बंध में भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6279 दिनांक 10.12.2022 के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर की सेवा में लिखा गया है। प्रति साथ संलग्न है। इस</p>	0.00

	कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
92	श्री बलजीत सिंह (पट्टेदार) को इस कार्यालय में के पत्र क्रमांक 1814 दिनांक 30.7.21 के द्वारा मू0 21000 रू0 की राशि जमा करवाने बारे। पत्र भेज दिया गया है परन्तु उक्त व्यक्ति का जवाब इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।	0.00
93	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
94	ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 अनुसार रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरान्त पाया की गांव में सरकारी/पंचायत कोई भी दुकान नहीं है और जो शामलात भूमि कासता हेतु पट्टे पर छोड़ी जाती है उसकी संपूर्ण राशि बैंक में समय समय पर जमा करवाई गई है। कैश बुक की प्रति संलग्न है। सरपंच की तरफ इस प्रकार की कोई रिकवरी नहीं बनती है।	0.00
95	ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2021 अनुसार रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरान्त अप्रैल 2011 से 2014 तक किसी भी प्रकार का कोई पट्टा नहीं छोड़ा गया है तथा रिकॉर्ड अनुसार सरपंच श्रीमति ओमपती की तरफ कोई भी रिकवरी नहीं बनती है।	0.00
96	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
97	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
98	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
99	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
100	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र	0.00

	क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
101	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
102	ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 अनुसार रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरान्त पाया की गांव में सरकारी/पंचायत कोई भी दुकान नहीं है और जो शामलात भूमी कासता हेतु पट्टे पर छोड़ी जाती है उसकी संपूर्ण राशि बैंक में समय समय पर जमा करवाई गई है। कैश बुक की प्रति संलग्न है। सरपंच की तरफ इस प्रकार की कोई रिकवरी नहीं बनती है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
103	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
104	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
105	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
106	ग्राम पंचायत कचरौली द्वारा पंचायती तालाब को दिनांक 25-1-2009 को खुली बोली के माध्यम से मू0 33500-रू0 सालाना के हिसाब से पांच वर्ष के लिये श्री सतपाल पुत्र श्री कली राम निवासी काबड़ी को पट्टा पर दिया गया था। पट्टेदार द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-2012, की पट्टा राशि जमा करा दी गई थी। लेकिन वर्ष 2012-13 की पट्टा राशि जमा नहीं कराई। पंचायत द्वारा	0.00

	<p>नोटिस जारी किया गया था पट्टेदार द्वारा मच्छली पालन में हानि का बहाना बनाकर पट्टा राशि जमा कराने से इन्कार कर दिया था तथा इसके उपरान्त पंचायत द्वारा तालाब को खाली करा दिया गया था। इसके पश्चात नियमानुसार उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श पश्चात उक्त पंचायती तालाब को दिनांक 2-5-2014 को पुनः पट्टा पर छोड़ दिया गया था। अब नियमित पट्टा राशि जमा हो रही है। अतः अनुरोध है कि उक्त कारण के मददेनजर इस पैरा को समाप्त करने की कृपा करें।</p>	
107	<p>ग्राम पंचायत काबड़ी द्वारा सिकरा तालाब को दिनांक 12-9-2011 को खुली बोली के माध्यम से मू0 175000-रू0 सालाना के हिसाब से पांच वर्ष के लिये श्री अनील पुत्र श्री मेहन्द्र सिंह निवासी काबड़ी को पट्टा पर दिया गया था। पट्टेदार द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 की पट्टा राशि मू0 175000-रू0 के हिसाब से जमा करा दी गई थी। वर्ष 2013-14 की पट्टा राशि में से मू0 155000-रू0 की राशि जमा करा दी गई थी। इसके बाद पट्टेदार द्वारा पट्टा राशि जमा नहीं कराई गई। इस स्थिति में पंचायत द्वारा पट्टेदार को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद उसने पंचायत को अवगत कराया कि तालाब के आसपास फ़ैक्टरियां हैं जिनका कैमिकलयुक्त जहरीला पानी तालाब में जाता है। फ़ैक्टरियों के कैमिकलयुक्त जहरीले पानी के कारण पट्टेदार की मच्छली मर गई है। इसी कारण पट्टेदार ने आगे राशि जमा कराने से मना कर दिया था तथा ना ही आगे उसके द्वारा मच्छली पालन किया गया। पंचायत द्वारा दिनांक 5-7-2015 को पारित किया गया कि तालाब में कैमिकलयुक्त जहरीला पानी जा रहा है इसलिये पट्टेदार की समस्या को ध्यान में रखते हुये इसको आगे पट्टा पर ना छोड़ा जाये। इसके अलावा तालाब के आसपास पी0डब्लू0डी0 रोड के साथ मलकियत भूमि में लोगों द्वारा फ़ैक्टरियों लगाई हुई है उनके द्वारा कैमिकलयुक्त जहरीले पानी की निकासी सहित कोई प्रबन्धन नहीं किया गया है। कैमिकलयुक्त पानी रोड पर इक्कटा होकर व रोड के साथ-2 आकर तालाब में गिर जाता है। पंचायत में आमदन का कोई साधन नहीं जिससे पंचायत स्तर पर कोई समाधान किया जा सकता। गांव के आसपास फ़ैक्टरियां व मलकियत भूमि में लोगों द्वारा कालोनियां काटी हुई है इसलिये आसपास गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्धन भी सम्भव नहीं था। अतः अनुरोध है कि उक्त कारण के मददेनजर इस पैरा को समाप्त करने की कृपा करें।</p>	0.00
108	<p>इस सम्बंध में ग्राम पंचायत छौली के पट्टा रजिस्टर के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड में पाया गया है कि श्री जसमेर सिंह पुत्र पुन्नु राम द्वारा दिनांक 03/02/2011 को ग्राम पंचायत छौली का तालाब मच्छली पालना हेतु तालाब मु0 29000/- प्रति के हिसाब से पांच वर्ष के पट्टे पर लिया गया है। जिसमें पट्टेदार द्वारा दिनांक 05/02/2011 रसीद न0 88 के माध्यम से पट्टे का सवा वर्ष की राशि मु0 37000/-रू0 ग्राम पंचायत में जमा करवाई गई। इसके पश्चात पट्टेदार द्वारा कोई भी पट्टे राशि ग्राम पंचायत में जमा नहीं करवाई गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3236-38 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4047 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।</p>	0.00

	<p>इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 152 दिनांक 11/01/2022 के माध्यम से श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री पुन्नु राम रजिस्ट्री डाक भेजी गई है लेकिन पट्टेदार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4616 दिनांक 10.08.2022 के माध्यम से पुनः श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री पुन्नु राम रजिस्ट्री डाक भेजी गई है लेकिन पट्टेदार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है।</p> <p>इस सम्बंध में भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6267 दिनांक 10.12.2022 के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर की सेवा में लिखा गया है। प्रति साथ सलंगन है।</p>	
109	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
110	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
111	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल 17 दिनांक 02.08.2021 व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1789 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री नरेश कुमार पुत्र श्री बन्ता राम पट्टेदार निवासी गगनुपर को 87750/-रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गया है। परन्तु उक्त पट्टेदार उक्त राशि जमा नहीं करवा रहा है। अतः माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 288-289 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतु लिख दिया गया है।	0.00
112	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल 16 दिनांक 02.08.2021 व पत्र क्रमांक 1788 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री पुन्ना राम पुत्र श्री पाली राम निवासी गगनुपर को 72744/-रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गया है। उक्त पट्टेदार राशि जमा नहीं करवा रहा है। अतः माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 313-314 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतु लिख दिया गया है।	0.00
113	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल 18 दिनांक 02.08.2021 व पत्र क्रमांक 1790 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री मति कौशल्या देवी पत्नि जसवन्त निवासी गगनुपर को 20875/-रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर किया गया, परन्तु उक्त पट्टेदार उक्त राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। अतः माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 290-291 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा भू-राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतु लिख दिया गया है।	0.00
114	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
115	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00

116	रिकवरी की जा चुकी है। कैश बुक के पेज नं 70 व 74 की छायाप्रति साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
117	रिकवरी की जा चुकी है। कैश बुक के पेज नं 85 की छायाप्रति संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
118	ऑडिट आपत्ति के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 3625 दिनांक 24.1.22 द्वारा पूर्व सरपंच श्रीमति कुसुम रानी ग्राम पंचायत डंगडैहरी (वर्ष 2010 से 2015) को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(1) के तहत राशि जमा करने बारे नोटिस दिया गया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व सरपंच श्रीमति कुसुम रानी द्वारा खण्ड कार्यालय में लिखित में दिया कि गांव में दो तालाब है। जिसमें से दिनांक 15.8.2008 को तालाब नं0 एक 23700/- ₹0 व दिनांक 14.3.2008 को तालाब नं0 दो की बोली 11200/- श्री लाल बाबू के नाम हुई थी। तालाब नं0 2 केवल एक वर्ष के लिए ही पट्टे पर रहा। उसके पश्चात श्री लाल बाबू ने तालाब नं0 2 पट्टे पर चलाने से मना कर दिया। पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यह तालाब खाली है। इसके अतिरिक्त तालाब नं0 1 के लिए मॉडल तालाब बनाने हेतु ग्रांट राशि प्राप्त हुई थी। जिसके लिए पंचायत द्वारा पट्टेदार से एक वर्ष के लिए तालाब खाली करवाया गया। जिस कारण उस वर्ष की राशि पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके पट्टेदार से वसूल नहीं की गई। इसके पश्चात पट्टेदार द्वारा दिनांक 16.8.2013, 24.3.2014, 15.3.2015 को पट्टे की राशि पंचायत के पास जमा करवा दी गई थी। जिसकी रसीद पंचायत द्वारा पट्टेदार को दे दी गई थी। वर्तमान में यह पंचायत नगर निगम, अम्बाला शहर में शामिल हो गई। अतः उक्त पैरा को ड्राप करने का क ट करें।	0.00
119	यहां पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 67000/-रुपये का विवरण नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।	0.00
120	यहां पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 38750/-रुपये का विवरण ना है और ना ही ग्राम	0.00

	पंचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण ना है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।	
121	यहां पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 38200/-रूपये का विवरण नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।	0.00
122	यहां पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 70875/-रूपये का विवरण नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण है। अतः पैरा समाप्त करने का कष्ट करें।	0.00
123	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
124	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
125	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
126	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
127	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
128	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
129	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00

130	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
131	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
132	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
133	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
134	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबन्धित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
135	रिकवरी हो चुकी है। कैं 1बुक की प्रति साथ संलग्न है। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबन्धित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
136	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	
137	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
138	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00

139	<p>पैरा में द गार्ई गई राशि मु0 5300/- रू0 आडिट पार्टी द्वारा गलत दर्शाई गई है जबकि वास्तव में यह राशि मु0 3000/-रू0 है। जिसकी बोली दिनांक 18/05/2011 को एक वर्ष के लिए वर्ष 2011-12 में की गई थी। यह बोली मु0 3000/-रू0 में कर्मचन्द पुत्र श्री सुरता राम के नाम छोडी गई है तथा उसे यह राशि प्राप्त कर ली गई है। जिसका केश बुक में पेज न0 31 पर इन्द्राज है और रसीद न0 50 दिनांक 18/05/2011 है। केश बुक की प्रति साथ सलंगन है। कृप्या पैरा को समाप्त करने की कृपा करें। पटटा रजिस्टर की प्रति पहले दी जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। कृप्या पैरा को समाप्त करने की कृपा करें।</p>	5,300.00
140	<p>इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3239-41 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है। इस बारे उसके वारिसो द्वारा श्री फकीर चन्द पुत्र श्री मोलू राम का मृत्यु प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 04/07/2014 में हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4050 दिनांक 17/11/2021 द्वारा पुनः लिखा गया है।</p> <p>इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 146 दिनांक 11/01/2022 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुनः लिखा गया है परन्तु डाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री इस कार्यालय में प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने के कारण वापिस प्राप्त हो गई है। श्री फकीर चन्द पुत्र श्री मोलू राम की मृत्यु हो जाने के कारण रिकवरी की जानी सभंव नही हो पा रही है। मृत्यु का प्रमाण पत्र साथ सलंगन है। इसलिए पैरा समाप्त करने की कृपा करें।</p>	0.00
141	<p>रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि प्लाट न0 4 मु0 72000/-रू0 में पटटेदार श्री गुरदयाल पुत्र श्री फूल कुमार के नाम छोडा गया था लेकिन पटटेदार द्वारा मु0 31000/-रू0 की राशि जमा करवा दी गई थी जो कि रसीद न0 35 दिनांक 22/06/2014 मु0 10000/-, रसीद न0 37 दिनांक 12/08/2014 मु0 15000/- व रसीद न0 38 दिनांक 11/10/2014 मु 6000/- और केश बुक पेज न0 95 से 97 पर दर्ज है। और मु0 41000/-रू0 की राशि जमा नही करवाई गई ।</p> <p>रिकवरी की कार्यवाही हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 58 दिनांक 14/07/2021 व पत्र क्रमांक 3242-44 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से सम्बंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नही करवाई है इसलिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4053 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से पुनः लिखा गया है।</p> <p>इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 143 दिनांक 11/01/2022 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सम्बंधित को लिखा गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4022-25 दिनांक 16/11/2021 व पत्र क्रमांक 281-284 दिनांक 19/01/2022 के माध्यम से सम्बंधित ग्राम सचिव को भी लिखा गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नही करवाई गई है।</p>	0.00

	<p>इसके उपरान्त पत्र क्रमांक 1909 दिनांक 18.05.2022 व पत्र क्रमांक 4173 दिनांक 04/07/2022 के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर की सेवा में भू-राजस्व घोषित करने बारे लिख दिया गया है लेकिन भू राजस्व की कार्यवाही लम्बित है। जिस बारे पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6277 दिनांक 10.12.2022 द्वारा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर में लिखा गया है।</p>	
142	<p>इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3245 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है इसलिए पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4056 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।</p> <p>इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 140 दिनांक 11/01/2022 व पत्र क्रमांक 1903 दिनांक 18/05/2022 के अनुसार सम्बंधित को रजिस्ट्री डाक/दस्ती के माध्यम से पुनः लिखा गया है परन्तु सम्बंधित द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है।</p> <p>इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3068 दिनांक 17/06/2022 व पत्र क्रमांक 4175 दिनांक 04/07/2022 के माध्यम से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर की सेवा में भू-राजस्व घोषित करने बारे लिख दिया गया है लेकिन भू राजस्व की कार्यवाही लम्बित है। जिस बारे पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6278 दिनांक 10.12.2022 द्वारा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर में लिखा गया है।</p>	0.00
143	<p>रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि प्लॉट न० 3 मु० 100000/-रु० में पट्टेदार श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कपूरा के नाम छोड़ा गया था लेकिन पट्टेदार द्वारा मु० 25000/-रु० की राशि जमा करवा दी गई थी जो कि रसीद न० 34 दिनांक 22/06/2014 मु० 10000/-, रसीद न० 36 दिनांक 12/08/2014 मु० 15000/- और कै I बुक पेज न० 95 से 97 पर दर्ज है। और मु० 75000/-रु० की राशि जमा नहीं करवाई गई। रिकवरी की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 62 दिनांक 14/07/2021 के माध्यम से सम्बंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई है इसलिए पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3248 दिनांक 24/09/2021 लिखा गया है। इस बारे उसके वारिसों द्वारा श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कपूरा का मृत्यु प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 30/07/2021 में हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4059 दिनांक 17/11/2021 द्वारा पुनः लिखा गया है।</p> <p>इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 137 दिनांक 11/01/2022 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुनः लिखा गया है परन्तु डाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री इस कार्यालय में प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने के कारण वापिस प्राप्त हो गई है। श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कपूरा की मृत्यु हो जाने के कारण रिकवरी की जानी संभव नहीं हो पा रही है। मृत्यु की प्रति साथ सलंगन है। इसलिए पैरा समाप्त करने की कृपा करें।</p>	0.00
144	<p>अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।</p>	0.00

145	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
146	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
147	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
148	अधिनस्थ कार्यालय को संबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
149	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
150	7200/- की रिवकरी हो चुकी है। जबकि 14640/- रुपये की रिकवरी पैंडींग है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
151	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
152	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया	0.00

	गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
153	अधिनस्थ कार्यालय को संबंधित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0.00
154	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
155	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
156	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
157	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00

163	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
164	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
165	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ संलग्न हैं। सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉकल आडिट 13807-887 दिनांक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0.00
		5,300.00

The Committee has desired to keep the para pending with the direction to Local Audit department that detils be provided to the development & Panchyats department and to complete the process of recovery.

Part-IV

**ANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL AUDIT DEPARTMENT,
HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL BODIES (ULBs)
& PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) FOR THE YEAR 2015-16
PART-II-B (PANCHAYAT SAMITI) AND PART-II-C (ZILA PARISHAD)**

**AUDITED BY THE DIRECTOR,
LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA**

[49]

Appendix-‘U’

As referred to in **Para 3 of Part-II (B) TEMPORARY ADVANCES** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs).

Statement showing the Temporary Advances outstanding in case of Panchayat Samitis.

Sr. No.	Name of Institution	Period of Audit	Amount ₹
1.	Panchayat Samiti, Pinjore	4/13 to 3/15	2,600
2.	Panchayat Samiti, CharkhiDadri-I	4/13 to 3/15	7,150
3.	Panchayat Samiti, Tauru	4/13 to 3/15	3,525
4.	Panchayat Samiti, Mustafabad	4/14 to 3/15	10,000
5.	Panchayat Samiti, Bilaspur	4/14 to 3/15	1,46,000
6.	Panchayat Samiti, Chhachrauli	4/14 to 3/15	16,729
7.	Panchayat Samiti, Kanina	4/09 to 3/15	27,100
8.	Panchayat Samiti, Gharaunda	4/13 to 3/15	1,75,000
9.	Panchayat Samiti, Gurugram	4/13 to 3/15	3,56,362
10.	Panchayat Samiti, Saha	4/14 to 3/15	2,000
11.	Panchayat Samiti, Ladwa	4/14 to 3/15	5,000
12.	Panchayat Samiti, Kairu	4/10 to 3/15	25,000
		Total	7,76,466

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Para No.3	Name of Panchayat Samiti	Particular of Para	Reply of Department	Remarks
	Period of Audit	Statement showing the Temporary Advances outstanding in case of Panchayat Samitis (Appendix-U)			
			Amount of Advance		
1	4/13 to 3/15	Pinjore	2600	Temporary advance amounting to Rs. 2600/- has been recouped from Shri Mukesh, JE. Details of cash book is enclosed. Para may drop.	2600/- adjusted.
2	4/13 to 3/15	Charkhi Dadri-I	7150	Rs. 150/- has been recovered and entered in cash book. Rs. 2000/- has been given to Shri Dalbir Singh, Gram Sachiv, who has been expired. Copy of Death Certificate is enclosed. Rs. 5000/- has been given to Shri Raj Kumar, Assistant, who has also been expired.	Rs. 150/- only adjusted.
3	4/13 to 3/15	Tauru	3525	The amount of temporary advance is mentioned wrongly by LAD. No advance was given to any officer/officials during this period.	Wrongly mentioned. Rs. 3525/-
4	4/14 to 3/15	Mustafabad	10000	Notices have been issued to Shri Amit Kumar, SEPO, now BDPO vide memo. No. 1893 dated 21.08.2013 and 475 dated 16.02.2016. It is also intimated that now Shri Amit Kumar, BDPO is in jail.	
5	4/14 to 3/15	Bilaspur	146000	An amount of Rs. 30000/- and Rs. 46000/- total Rs. 76000/- has been adjusted by Shri Sushil Kumar, SEPO on 19.03.2014 and 21.04.2015 respectively.	76000/- adjusted.
6	4/14 to 3/15	Chhachrauli	16729	The record of this para relates to the years 1972, 1973 and 1998. The record is not traceable. As and when the record is available the reply will be submitted.	
7	4/09 to 3/15	Kanina	27100	Temporary advance of Rs. 6000+ 16000+ 13300 = 35300/- has been adjusted. Photo copies attached.	27100/- adjusted.

8	4/13 to 3/15	Gharaunda	175000	This para has already been dropped by LAD (Copy enclosed).	175000/- adjusted.
9	4/13 to 3/15	Gurugram	356362	The amount was wrongly shown in the audit report by LAD. No amount of temporary advance was given to any employees of PS Gurugram. Para may be dropped.	Wrongly mentioned Rs. 356362/-.
10	4/14 to 3/15	Saha	2000	The amount has been recovered from the concerned employee which was entered in cash book page No. 57. (Copy enclosed.) Para may be dropped.	2000/- adjusted.
11	4/14 to 3/15	Ladwa	5000	The amount has been adjusted in cash book page No. 97 on 25/03/2015. (Copy enclosed.) Para may be dropped.	5000/- adjusted.
12	4/10 to 3/15	Kairu	25000	Temporary advance of Rs. 25000/- has been adjusted. Photocopy of cash book is enclosed. Para may be dropped.	25000/- adjusted.
		Total	776466		672737/- adjusted.
		Adjusted	672737		
		Balance	103729		

The Committee has desired to keep the para pending.

[50]

Appendix-'V'

As referred to in **Para 4 of Part-II(B)** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies(ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

Statement showing the position of Arrear and other dues in respect of Panchayat Samitis.

Sr. No.	Name of Panchayat Samiti	Period of Audit	Dues viz, SportsFund, Haryana Sanwad and open darbar, Panch/Sarpanch samelon etc ₹	Rent ofShops ₹	Rent of Residence Quarters ₹
1.	Alewa	4/13 to 3/15	1,000	-----	-----
2.	Narnaund	4/14 to 3/15	-----	6,10,570	-----
3.	Uchana	4/14 to 3/15	5,90,640	4,239	-----
4.	Narwana	4/14 to 3/15	5,95,450	-----	-----
5.	Kairu	4/10 to 3/15	23,88,248	-----	-----
6.	Pinjore	4/13 to 3/15	-----	3,45,700	-----
7.	Jind	4/14 to 3/15	-----	11,405	-----
8.	Charkhi Dadri-I	4/13 to 3/15	9,46,459	-----	-----
9.	Gohana	4/14 to 3/15	10,21,143	-----	-----
10.	Mustafabad	4/14 to 3/15	18,21,200	1,37,660	-----
11.	Bilaspur	4/14 to 3/15	1,76,000	71,007	-----
12.	Chhachrauli	4/14 to 3/15	4,98,150	-----	-----
13.	Badhra	4/13 to 3/15	6,43,000	-----	-----
14.	Kanina	4/09 to 3/15	58,07,047	1,37,368	-----
15.	Gharaunda	4/13 to 3/15	6,54,305	-----	10,670
16.	Dadri-II	4/13 to 3/15	7,69,871	-----	-----

17.	Gurugram	4/13 to 3/15	2,90,960	-----	-----
18.	Saha	4/14 to 3/15	6,25,810	-----	-----
19.	Adampur	4/14 to 3/15	63,977	-----	-----
20.	Sonipat	4/11 to 3/15	-----	5,47,745	-----
21.	Ladwa	4/14 to 3/15	1,39,763	11,38,339	-----
22.	Hisar-II	4/13 to 3/15	2,84,476	-----	-----
23.	Indri	4/14 to 3/15	-----	1,40,336	-----
24.	Kathura	4/14 to 3/15	9,44,376	-----	-----
25.	Bapoli	4/13 to 3/15	12,25,017	-----	-----
26.	Kharkhoda	4/12 to 3/15	-----	3,49,165	-----
27.	Lakhan Majra	4/14 to 3/15	2,04,676	-----	-----
28.	Nissingat Chirao	4/14 to 3/15	3,51,855	3,75,255	-----
29.	Sampla	4/14 to 3/15	-----	3,50,870	-----
Total			2,00,43,423	42,19,659	10,670
GrandTotal			2,42,73,752		

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Para No.	Period of Audit		Name of Panchayat Samiti	Particular of Para	Reply of Department	Remarks
	4	Statement showing the position of arrear and other dues in respect of Panchayat Samitis (Appendix-V)					
		Dues viz, Sports fund, Haryana Sanwad and open Darbar, Panch/Sarpanch Sammelan etc.		Rent of Shops	Rent of Residence Quarters		
1	4/13 to 3/15	Alewa	1000	0	0	Recovery has been made vide receipt No. 92 dated 05/08/2021. Copy of challan and receipt enclosed. Hence, Para may be dropped.	1000/- recovered.
2	4/14 to 3/15	Narnaund	0	610570	0	Pending shop rent of Panchayat Samiti has been recovered. Hence, Para may be dropped.	610570/- recovered
3	4/14 to 3/15	Uchana	590640	4239	0	1. The amount of samiti dues have been recouped from Gram Panchayats. 2. Shop rent amounting to Rs. 4239/- has been recovered vide receipt No. 132 dated 17.10.2018. Para may be dropped. (Copy enclosed.)	590640/- recovered. 4239/- recovered.
4	4/14 to 3/15	Narwana	595450	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats. Para may be dropped.	595450/- recovered.

5	4/10 to 3/15	Kairu	2388248	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats. Para may be dropped.	2388248/- recovered.
6	4/13 to 3/15	Pinjore	0	345700	0	The outstanding rent of shops has been recovered from the shopkeepers. Photo copy of shop rent register is enclosed. Para may be dropped.	345700/- recovered.
7	4/14 to 3/15	Jind	0	11405	0	Recovery has been made vide receipt No. 16 dated 06.07.2015 and 31 dated 10/08/2015. Copy enclosed. Para may be dropped.	11405/- recovered.
8	4/13 to 3/15	Charkhi Dadri-I	946459	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats. Para may be dropped.	946459/- recovered.
9	4/14 to 3/15	Gohana	1021143	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats. Para may be dropped.	1021143/- recovered.
10	4/14 to 3/15	Mustafabad	1821200	137660	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats. Shop rent has also been recovered. Para may be dropped.	1821200/- recovered. 137660/- recovered.

11	4/14 to 3/15	Bilaspur	176000	71007	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats. Rent of shops has also been recovered from the shopkeepers. Para may be dropped.	176000/- recovered. 71007/- recovered.
12	4/14 to 3/15	Chhachrauli	498150	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayat vide cheque No26838 dated 17.08. 2021. Para may be dropped.	498150/- recovered.
13	4/13 to 3/15	Badhra	643000	0	0	Pending Samiti dues has been recovered. Para may be dropped.	643000/- recovered.
14	4/09 to 3/15	Kanina	5807047	137368	0	Samiti Dues are pending and Shop rant of Rs. 137368/- has been recovered. Para may be dropped.	137368/- recovered.
15	4/13 to 3/15	Gharaunda	654305	0	10670	Para already dropped.	654305/- recovered. 10670/- recovered.
16	4/13 to 3/15	Dadri-II	769871	0	0	The amount shown in para has been recovered from Gram Panchayats. Para may be dropped.	769871/- recovered.
17	4/13 to 3/15	Gurugram	290960	0	0	The amount has been recovered from the Gram Panchayats. No samiti dues are pending. Para may be dropped.	290960/- recovered.

18	4/14 to 3/15	Saha	625810	0	0	The amount has been recovered from the Gram Panchayats in the year 2017-18 No samiti dues are pending. Para may be dropped.	625810/- recovered.
19	4/14 to 3/15	Adampur	63977	0	0	Samiti dues are still pending.	
20	4/11 to 3/15	Sonipat	0	547745	0	The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No. 0652 dated 13.012.2016 has been lodged in City Police Station, Sonipat. Para may be dropped (Copy enclosed).	
21	4/14 to 3/15	Ladwa	139763	1138339	0	Samiti due are outstanding.	
22	4/13 to 3/15	Hisar-II	284476	0	0	Samiti due are outstanding.	
23	4/14 to 3/15	Indri	0	140336	0	The amount has been recovered from Agriculture Deptt. Vide letter No. 50 dated 25.02.2021. Para may be dropped.	140336/- recovered.
24	4/14 to 3/15	Kathura	944376	0	0	Out of Rs. 944376, an amount of Rs. 640740 has been recovered and Rs. 303636/- is still outstanding.	640740/- recovered.
25	4/13 to 3/15	Bapoli	1225017	0	0	Amount is still outstanding.	

26	4/12 to 3/15	Kharkhoda	0	349165	0	The amount has been recovered from the shopkeepers and no amount of shop rent is outstanding. Para may be dropped.	349165/- recovered.
27	4/14 to 3/15	Lakhan Majra	204676	0	0	Out of Rs. 204676, an amount of Rs.126306 has been recovered and Rs. 78370/- is still outstanding.	126306/- recovered.
28	4/14 to 3/15	Nissing at Chirao	351855	375255	0	The amount of Samiti dues and shop rent has been recovered.	351855/- recovered. 375255/- recovered.
29	4/14 to 3/15	Sampla	0	350870	0	The amount is outstanding due to court case.	
		Total	20043423	4219659	10670		12141137/- 2182705/- 10670/- recovered.
		Grand Total		24273752/-			
		Recovered		14334512/-			
		Balance		9939240			

The Committee has desired to keep the para pending.

[51]

Appendix-'Y'

As referred to in **Para 6 (II) of Part-II (B)** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

IRREGULAR, EXCESS AND AVOIDABLE EXPENDITURE (II)

Statement showing the cases of invalid/ Irregular, Excess and Avoidable Expenditure in case of Panchayat Samitis in the state.

Sr. No.	Name of Panchayat Samiti	Period of audit	Amount ₹	Particular															
1.	Panchayat Samiti, Alewa	4/13 to 3/15	17,340	Expenditure of ₹ 2,400 vide vr no. 10 of 8/14 were made for purchase of foot darri for office use, ₹ 2,340 vide vr no. 4 of 5/13 for purchase of 18kg rope, ₹ 9,700 vide vr no. 3 of 9/13 for repair of photostate machine and ₹ 2,900 vide vrno. 17 of 6/13 for repair of submersible from open market without calling quotation and without consulting approved sources which was irregular. The responsibility for non-adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount if any be recovered from the official at fault.															
2.	Panchayat Samiti, Narwana	4/14 to 3/15	5,815	₹ 5,815 vide vr. no. 6 of 6/14 were paid for repair of Samiti jeep from private agency without exhausting approved source such as PWD (B&R) and Haryana roadways workshop which is irregular. This may be justified.															
3.	Panchayat Samiti, Kairu	4/10 to 3/15	15,804	Expenditure of ₹15,804 as detailed Below was incurred out of samiti fund without following financial norms.															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vr no.</th> <th>Month</th> <th>Amount ₹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nil</td> <td>April, 2010</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>March, 2013</td> <td>4,800</td> </tr> <tr> <td>Nil</td> <td>March, 2015</td> <td>1,004</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>15,804</td> </tr> </tbody> </table>	Vr no.	Month	Amount ₹	Nil	April, 2010	10,000	124	March, 2013	4,800	Nil	March, 2015	1,004		Total	15,804
Vr no.	Month	Amount ₹																	
Nil	April, 2010	10,000																	
124	March, 2013	4,800																	
Nil	March, 2015	1,004																	
	Total	15,804																	

4.	Panchayat Samiti, Pinjore		14,021	Expenditure of ₹ 3,550 vide vr no.7 of 10/4/13 were made for repair of Photostat machine, ₹ 600 vide vr no. 11 of 17/4/13 for purchase and printing of two cloth banners, ₹ 1,948 vide vr no. 21 of 3/7/14 for cleaning items, ₹ 1,100 vide vr no. 24 of 8/7/14 for repair of computer, ₹ 1,250 vide vr no. 32 of 22/7/14 for purchase of towels, ₹4,163 vide vr no. 33 of 22/7/14 for repair of window panes, ₹ 710 vide vr no. 5 of 3/3/15 for purchase of cleaning items, ₹ 700 vide vr no. 7 of 17/3/15 for purchase of toner etc. were made without calling quotations which is Irregular on the part of samiti authorities.																								
			10,938	₹ 7,969 vide vr no. 9 of 1/14, ₹ 2,250 vide vr no. 10 of 1/14 and ₹ 719 vide vr no. 11 of 1/14 were spent for repair of samiti jeep from private agency without obtaining NOC from Govt. Central workshop, which is irregular.																								
5.	Panchayat Samiti, Julana	4/14 to 3/15	20,896	₹ 6,381 vide vr no.5 of 5/14 and ₹ 14,515 vide vr no. 1 of 4/14 were spent for repair of block jeep from local firm instead of Govt. workshop, which is irregular.																								
6.	Panchayat Samiti, Siwan	4/14 to 3/15	1,00,872	Payment of ₹ 1,00,872 as detailed below were made from samiti fund were not a fit charge on the samiti fund. This may either be couped out of appropriate source or recovered from official at fault.																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vr. no.</th> <th>Month/ year</th> <th>Amount ₹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Aug-14</td> <td>15,080</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Aug-14</td> <td>15,108</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Aug-14</td> <td>15,092</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Aug-14</td> <td>15,080</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Aug-14</td> <td>39,432</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Aug-14</td> <td>1,080</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>1,00,872</td> </tr> </tbody> </table>	Vr. no.	Month/ year	Amount ₹	11	Aug-14	15,080	12	Aug-14	15,108	13	Aug-14	15,092	14	Aug-14	15,080	8	Aug-14	39,432	9	Aug-14	1,080		Total	1,00,872
Vr. no.	Month/ year	Amount ₹																										
11	Aug-14	15,080																										
12	Aug-14	15,108																										
13	Aug-14	15,092																										
14	Aug-14	15,080																										
8	Aug-14	39,432																										
9	Aug-14	1,080																										
	Total	1,00,872																										
				<ol style="list-style-type: none"> Vr. No. 11,12,13 and 14 for cost of rent paid to GM Roadways, Haryana from Siwan to Sonipat for Panchyata Raj Sammelon. Vr. No. 8 for cost of refreshment for Gram Panchayat Sammelon from Sonipat to Siwan and viceversa. Vr. No. 9 cost of flex board for Panchayat Raj Sammelon. 																								

			82,780	The employees as mentioned below were engaged on daily wages without sanction of competent authority as Panchayat Samiti was not empowered to engage any person on daily wages. Thus the payment made as such may either be justified or made good from the defaulters or regularized with the sanction of the Government.																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Designation of employee</th> <th>Year</th> <th>Amount ₹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Safai Karmchari</td> <td>2014-15</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Driver</td> <td>2014-15</td> <td>80,080</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>82,780</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Designation of employee	Year	Amount ₹	1	Safai Karmchari	2014-15	2,700	2	Driver	2014-15	80,080			Total	82,780
Sr. No.	Designation of employee	Year	Amount ₹																	
1	Safai Karmchari	2014-15	2,700																	
2	Driver	2014-15	80,080																	
		Total	82,780																	
7.	Panchayat Samiti, Jind	4/14 to 3/15	45,950	Electrical material of ₹ 8,693 vide vr no. 17 of month 4/14, keyboard of ₹ 1,400 vide vr no.16 of 4/14, stationary of ₹2,940 vide vr no.2 of 6/14, repair of R.O. of ₹ 2,600 vide vr no. 8 of 6/14, glasses of ₹4,850 vide vr no. 7 of 11/14, repair of computer of ₹ 3,550 vide vr no. 10 of 1/15 and white wash material of ₹21,917 vide vr no. 2 of 3/15 were purchased from open market without calling quotation and without consulting approved sources, resulting into irregular purchases.																
			59,065	During the year 2014-15, ₹ 59,065 were spent on repair of jeep from local firm instead of Govt. workshop which is irregular.																
8.	Panchayat Samiti, Dadri-I	4/13 to 3/15	9,100	₹ 7,500 vide vr. no. nil of 4/14 were paid for Safai Karmchari allowance (but attendance register not put up during audit) which is not a fit charge on samiti fund. Beside this ₹ 1,600 vide vr no. 508of 11/13 were spent for purchase of bedsheets, rajai etc. without calling quotation and without consulting approved sources which was irregular. The responsibility for non-adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount if any be recovered from the official at fault.																
9.	Panchayat Samiti, Tauru	4/13 to 3/15	21,760	Payment of ₹ 21,760 as detailed below were made from samiti fund were not a fit charge on samiti fund. This may either be recouped out of appropriate source or recovered from the official at fault.																

				Vr no.	Month	Amount ₹	Particulars
				3	9/13	4,560	Ladoo from Brijwari Mistan Bhandar
				4	9/13	11,000	Repair of computer
				4	9/13	6,200	Cost of tentage
				Total		21,760	
10.	Panchayat Samiti, Mustafabad	4/14 to 3/15	64,820	Payments of ₹ 64,820/- were made from samiti fundon account of cost of 350 proceeding books, writing of board with materials and advertisement etc. were not afit charge on the samiti funds. This may either berecouped out of appropriate sources or regularized with the sanction of Govt. from the official at fault.			
			22,000	₹ 22,000 was paid vide vr no. 12 of 7/14on account of legal fee to Sh. Ran Singh Chauhan Advocate of Distt Courts Jagadhari where as the case of the litigation at the Distt Court should have been got pleaded through the legal officer of the Panchayat and Development Board Department, Haryana posted at each headquarter. As such expenditure made on account of counsel fee at Distt Court may be got regularized with the sanction of competent authority or recovered from the officials at fault.			
			3,18,665	The following material were purchased after collecting quotations instead of purchasing the same from approved source of supply or manufactures. The quality and specification of material purchased was neither specified in quotation nor in the bill. The responsibility for non-adhere of prescribed purchase procedure may be fixed and excess payment, if any, be recovered from the official at fault.			
				Vr. No. & Date		Amount ₹	Particulars
				6 of 4/14		4,578	Cost of UPS for Photostat machine

				7 of 5/14	22,893	Cost of intercom system
				9 of 9/14	15,916	Cost of 3 iron boards
				3 of 11/14	5,800	Cost of racks wooden
				2 of 12/14	31,800	Cost of one new computer
				8/1-12 of 12/14	83,804	Cost of CCTV cameras
				10/1 of 12/14	1,34,564	Cost of aluminum steeldoors
				10/2 of 12/14	16,210	Cost of steel doors
				14 of 3/15	1,250	Repair of fan, tube sets
				18 of 3/15	1,850	Cost of videography on 22.1.15
				Total	3,18,665	
11.	Panchayat Samiti, Bilaspur	4/14 to 3/15	31,260	Payments of ₹31,260 were made out of Samiti fund on account of advertisement, photostate of by-election of panch, Sarpanch and paper etc. arrangement of Refreshment for training of panchayat Samiti members, 100 ruled registers for ward bandi of panch, sarpanch election were not a fit charge on samiti fund. This may either be recouped out of Appropriate sources or regularized with the sanction of Govt. The persons as mentioned below were engaged on daily wages without the sanction of competent authority as panchayat samiti was not empowered to engage persons on daily wages. Thus, the payment made as such may either be justified or made good from the defaulters or regularized with the sanction of the Govt.		
			2,40,400	The persons as mentioned below were engaged on daily wages without the sanction of competent		

				<p>authority as panchyat samiti was not empowered to engage person on daily wages. Thus, the payment made as such may either be justified or made good from the defaulters or regularized with the sanction of the Govt.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Amount ₹</th> <th>Desig-nation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014-15</td> <td>1,30,000</td> <td>Driver</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>1,10,400</td> <td>Accou-ntant</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Amount ₹	Desig-nation	2014-15	1,30,000	Driver	2014-15	1,10,400	Accou-ntant
Year	Amount ₹	Desig-nation											
2014-15	1,30,000	Driver											
2014-15	1,10,400	Accou-ntant											
			2,601	Rs. 7369 were paid to M/s Goel Electrical & Fancy Light, main bazaar Bilaspur on account of purchase of electrical materials vide vr.no. 36 of 8/14. But the total of purchases bill worked out to Rs. 4768 instead of Rs. 7,369, resulted into excess payment of Rs. 2,601. The same may be recovered from the M/s Goel electrical or official at fault.									
			2,96,307	₹29,990 vide vr. no. 4 of 5/14 were paid for rent of chairs, carpets, sofa etc, ₹5,513 vide vr. no. nil of 8/14 & ₹90,971 vide vr no.61 of 12/14 for photostate, ₹ 37,753 vide vr. no. 37 of 8/14 for water cooler, ₹ 38,000 vide vr no. 39 of 9/14 for sound system, ₹17,400 vide vr no.80 of 2/15 for UPS micro, Transformer, battery tubular exide, ₹4,355 vide vr no.81of 2/15 for jeep battery and ₹ 72,325 vide vr no. nil of 3/15 for rent of tentage after collecting on spot quotation instead of approved source of supply of manufacture. The quality and specification of material purchased was neither specified in quotation nor in the bill.The responsibility for non-adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount, if any, bere covered from the official at fault.									
12.	Panchayat Samiti, Chhacharauli	4/14 to 3/15	72,955	₹ 1,630 vide vr no. 8 of 7/14, ₹ 665 videvr no. 20 of 11/14 were paid to Sh. Raj Kumar C.A. for office return, ₹ 70,660 vide vr no. 22/1-4 of 3/15 for rent of tentage, chairs etc did not constitute a valid charge on the samiti fund.									
			2,010	The expenditure of ₹2,010 were made on purchase of tray, mat, cup, glass, tube rod,fan regulator etc. without getting verified from the BDPO, Chhachrauli. The same be got verified from the competent authority.									
13.	Panchayat Samiti, Badhra	4/13 to 3/15	8,100	₹ 8,100 were paid to Smt.Ratni Devi, part time Safai Karmchari on account of wages out of samiti fund, which is irregular. The same may either be recouped from Govt. grant or got regularized with sanction of Govt.									

			43,995	₹ 3,695 vide vr. no. 2 of 5/13 were paid for inverter battery, ₹ 29,600 vide vr no.12 of 8/14 for cost of MRF tyres and ₹10,700 vide vr no. 15 of 9/14 were spent for cost of toner cartridge without calling quotation which is irregular. The responsibility for non-adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount, if any recouped from the official at fault.
14.	Panchayat Samiti, Kanina	4/09 to 3/15	48,218	₹48,218 were paid for repair of photostat machine and computer out of samiti fund, but these payments were not a fit charge on the samiti fund. This may be recouped out of Govt. contingency.
15.	Panchayat Samiti, Gharaunda	4/13 to 3/15	9,021	Payment of Electricity bill amounting to ₹ 9,021 of office canteen for the period 29/12/14 to 28/2/15 was made from Panchayat samiti fund which was irregular the same may be recovered from the office canteen owner or official at fault.
16.	Panchayat Samiti, Dadri-II	4/13 to 3/15	14,414	Payments of ₹ 6,080 vide vr no. nil of 6/13 were made to Sh. Sham Lal Safai Karmchari of the month of 4/13 to 5/13 and ₹8,334 vide vr no. 98 of 1/15 paid for cost of cement, cresher & sand to Sh. Shamsher tiles, Charkhi Dadri from samiti fund which is irregular and not a fit charge on the samiti funds. This may either be recouped out of appropriate source or regularized with the sanction of Govt.
17.	Panchayat Samiti, Saha	4/14 to 3/15	6,008	₹1,440 vide vr. no. 41 of 7/14 were paid for sanitary items, ₹1,410 vide vr no.65 of 8/14 for repair of fan and electrical wires, ₹ 948 vide vr no. 82 of 11/14 for purchase of crockery and ₹2,210 vide vr no. 96 of 2/15 spent for purchase of stationary without calling quotation instead of approved source of supply or rate contract firm. The responsibility for non-adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount, if any recouped from the official at fault.
18.	Panchayat Samiti, Sonipat	4/11 to 3/15	1,251	The following expenditure were made in excess. The same may be recovered from the official at fault.

				Vr. No. and month	Amount due ₹	Amount Paid ₹	Excess Paid ₹
				7 of 7/14	1,624	2,675	1,051
				27 of 3/13	3,000	3,200	200
			3,72,855	Expenditure of ₹ 3,72,855 were made on purchase of crockery, bedsheet, stationary & refilling toner, printer cartridge, printer toner, doors, tent materials, labourers, pipe & fibre sheets and railing out of samiti fund which is did not a constituted charge on samiti fund. The same either be recouped out from appropriate source or got regularized with sanction of Govt.			
19.	Panchayat Samiti, Rai	4/14 to 3/15	19,162	Payment of ₹19,162 were made from samiti fund on account of purchase of ready reckoner, purchase of halogen heater, bed sheet and pillow cover, mattress, crockery and repair of MCB of EOPS residence were not a fit charge on samiti fund. This may either be recouped out of appropriate source or got regularized with sanction of Government.			
20.	Panchayat Samiti, Ladwa	4/14 to 3/15	3,625	Payment of ₹3,625 vide vr no 7 to 11 dated 21/7/14 were made from samiti fund on account of income tax statement of BDPO employees to chartered accountant were not a fit charge on samiti fund. This may either be recouped out of appropriate source or got regularized with sanction of Govt.			
21.	Panchayat Samiti, Indri	4/14 to 3/15	27,380	Payment of ₹27,380 were made from samiti fund on account of purchase of two batteries and for payment to NKG associate for the income tax return were not a fit charge on samiti fund and the expenditure were made without adopting the proper purchase procedure. This may either be recouped out of appropriate source or got regularized with sanction of Government.			
22.	Panchayat Samiti, Bapoli	4/13 to 3/15	3,000	Due to wrong calculation in the cash book on dated 2/9/14 in the expenditure side the total of vouchers of was wrongly calculated as ₹ 2,05,916 instead of ₹ 2,08,916. Thus ₹ 3,000 paid in excess which may be recovered from the official at fault.			
			28,066	Payment of ₹ 28,066 were made from Samiti fund on account of salary of DEO, refreshment and making banner for khula darbar, purchase for almirah & rent of Gen-set for MIS for IAY scheme and stationary for D-plan were not a fit charge on the samiti fund. The same may be recouped out from appropriate fund/sources.			
23.	Panchayat Samiti, Israna	4/13 to 3/15	15,279	Payment of ₹ 3,980 were made for refreshment for NAREGA labor and ₹ 11,299 vide vr no. 84 of 1/14 were paid for printing of voter list from samiti fund were not a fit charge on the samiti fund. The same may be recouped from NAREGA scheme or election department.			

24.	Panchayat Samiti, Ganaur	4/14 to 3/15	1,14,030	Payment of ₹ 1,14,030 were made from samiti fund on account of labor payment for construction of Rajiv Gandhi Sewa Kendra for MGNREGA, purchase of two mattress & four folding cots for EOPS residence and Photostat were not a fit charge on the samiti fund. This may either be recouped out of appropriate source or got regularized with sanction of Government.
25.	Panchayat Samiti, Nissing at Chirao	4/14 to 3/15	5,937	₹91,734 were paid to install a R.O System in BDPO Office and as per quotation the rate was including vat. But in the bill the vat @12.5% was extra charged with the basic cost. Hence ₹5,937 were paid in excess in shape of vat. The same may be recovered from the firm or official at fault.
			1,21,000	Payment of ₹1,21,000 were made to Sh. Jagjit Singh Beniwal, Advocate for defending the case related to shop of Panchayat Samiti for 11 cases @ ₹ 11,000 each but the name of advocate did not exist in the penal of advocates which is irregular.
			14,000	₹ 14,000 spent for refreshment vide bill no.63 date 14/11/14 for Panch/Sarpanch Seminar organized under RGPSA scheme at BDPO office on dated 14/11/14 out of samiti fund, were not a fit charge on samiti fund.
		Total	23,10,700	

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Reply of the department	Remarks
1.	The expenditure has been incurred after obtaining quotations from the local Market. Copy of quotations are enclosed. Hence, Para may be dropped.	
2.	No repair work of Jeep was done by Roadways workshop in Narwana. Hence, the work was done from local market. Now 'NOC' from PWD and Roadways vide letter No. 42 dated 05/08/2021 and 44 dated 05/08/2021(Copy enclosed) has also been obtained. Hence, Para may be dropped.	
3.	This amount has been received from election department which has been entered in case book page No. 97 (Copy enclosed).	10000/-
	No requirement of quotations. The fare claimed is as per Haryana Roadways bus fare. This bus was recommended by Roadways authorities as buses were not available with HR. Hence, Para may be dropped.	4800/-
	The record was not traceable at that time. Now the record is available and the photo copy of the bill is enclosed. Hence, Para may be dropped.	1004/-
4.	The expenditure has been incurred after obtaining quotations from the local market (copy enclosed). Hence, Para may be dropped.	

	The expenditure has been incurred after obtaining quotations from local market. Hence para may be dropped.	
5	NOC from HR Jind vide letter No. 1121 dated 27.08.2021 has also been obtained. Hence, Para may be dropped.	
6	The expenditure was incurred as per Director, Dev. and Panchayat letter No. ECA-2-2014/41156-63 dated 31.07.2014 on account of hiring of Roadways buses, refreshment of Sarpanch/Punches and flex board for Panchayat Sammelan held in Sonipat. Which was necessary to incur. Hence, para may be dropped.	
	The person was engaged for smooth functioning of office work as no regular posts were sanctioned in PS, Siwan. Hence sweeper and driver were engaged. The expenditure was made after passing the regulation. Moreover, Panchayat Samiti is competent to engage the part time sweeper. Hence para may be dropped	
7	The purchases were made after obtaining the quotations from the local market. The approved source/ authorized dealers are not in Jind. Copy of quotations are enclosed. Hence, Para may be dropped.	
	The repair of jeep has been done after obtaining quotations from the local market. NOC from HR Jind vide letter No. 5426 dated 17.08.2021. has also been obtained. Hence, Para may be dropped.	
8	The record relating to this para has been burnt in Jat Aarakshan Andolan. FIR No. 0047 dated 21/02/2016 PS Dadri City has been lodged (Copy enclosed.) Hence, Para may be dropped.	
9	The amount has been recouped from Contingency fund vide receipt No. 4/25 dated 05/08/2021. Hence, Para may be dropped.	
10	The amount has been recovered from Gram Panchayats in the shape of Samiti Dues. Hence Para may be dropped.	
	The case was related to land of Panchayat Samiti which is under trial in District Court and the services of Advocate were urgent. Hence, Para may be dropped.	
	1. Rs. 4578/- was spent on purchase of UPS for computer instead of Photostat Machine, which is necessary due to electric fluctuation. 2. The office of BDPO is located in two different buildings, for smooth functioning of office work the intercom is required. 3. Three iron boards were prepared in three different villages and the cost of these boards has been recovered from these GPs. 4. Wooden racks were purchased to keep the office record which were necessary. 5. For smooth functioning of office work the computer was purchased as almost all the work is unlined. 6. Office building is situated outside the city. Hence, CCTV cameras were installed due to security reasons. 7. The office of BDPO is in Rajiv Gandhi Seva Sadan. The doors were fitted in this building for security/safety purpose. 8. Steel doors were installed in the Computer Lab which were necessary. 9. Repairs of Fans/Tubes was necessary for which the amount was spent. 10. The amount was spent on the videography of buses deputed for Beti	

	Bachao, Beti Padhao Sammelan held at Panipat on 22.01.2015.	
11	The expenditure was incurred on the bye-election of Panch/Sarpanch on the verbal orders of DC, Yamuna Nagar.	
	No regular Accountant and Driver was posted during the time of audit. Hence the services of these employees were urgently required for smooth functioning of office work. Hence, Para may be dropped.	
	M/s Goel Electrical & Fancy Light main bazaar, Bilaspur has been shifted from Bilaspur. Present address of this firm is not available.	
	The amount was spent on celebration of 26 January, 2014 and 2015 functions, Purchase of Photostat Machine and UPS for computer, Battery for inverter, Battery for Jeep, which was necessary. Hence, Para may be dropped.	
12	Rs. 1630/- were paid on account of arrear of wages to Shri Madan Lal, Mali. Rs. 665/- has been recovered from Shri Raj Kumar, CA vide Receipt No. 4/73 dated 02/08/2021 and Rs. 70660/- were spent on the occasion of 26, January, 2014, 2015 and 15 August, 2013, 2014 & 2015 on after obtaining quotations from market on the orders of SDM (C), Bilaspur. Hence, para may be dropped.	
	Now bills have been got verified from the BDPO, Chhachrauli. Hence, para may be dropped.	
13	The amount has been recouped from contingency fund vide cheque No. 296630 dated 12/08/2021. Hence, para may be dropped.	
	The amount was spent on purchase of Battery for inverter, MRF Tyres for Jeep, which was necessary for smooth functioning of office work.	
14	The computers and photostat machine were used for office work of Panchayat Samiti also and fund were not available in Govt. contingency at that time. For smooth functioning of office work, these instruments were got repaired. Hence, para may be dropped.	
15	The amount has been recovered from the Canteen owner vide Receipt No. 69/935 dated 25/09/2019. Hence, para may be dropped.	
16	Notices have been issued to the concerned vide No. 5060 dated 18.06.2021 and 5061 dated 18.06.2021.	
17	The accountant posted at the time of audit has been expired. Hence, para may be dropped.	
18	The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No. 0652 dated 13.01.2016 has been lodged in City Police Station, Sonipat. Hence, Para may be dropped (Copy enclosed).	
	The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No. 0652 dated 13.01.2016 has been lodged in City Police Station, Sonipat. Hence, Para may be dropped (Copy enclosed).	

19	Ready reckoner was purchased for calculation of Pension/ ACP/ Increments. Other articles were purchased for rest house of Panchayat Samiti. Which is essential. Hence, para may be dropped.	
20	The amount has been recouped from contingency vide RTGS dated 12/08/2021. Hence, para may be dropped.	3625/-
21	The amount has been recouped from Contingency fund vide cheque No. 179617 dated 04/08.2021. Hence, Para may be dropped.	27380/-
22	The amount alongwith interest has been recovered from the concerned employee on 06.08.2021 which was deposited in to Bank Account. Hence, Para may be dropped.	3000/-
	The amount has been recouped from Contingency fund vide cheque No. 389507 dated 05/08.2021. Hence, Para may be dropped.	28066/-
23	The amount of Rs. 3980/- is still recoverable from NAREGA. Rs. 11299/- were spent on repair of printer for printing of voter list.	
24	The amount is still recoverable from NAREGA.	
25	The amount (5937+297)alongwith interest has been recovered from the concerned firm which was entered in cash book page No. 93. Hence, Para may be dropped.	
	The court fee was paid for pending 11 cases of shops in Hon'ble High court. Hence, Para may be dropped.	
	The amount has been recouped from HIRD, Nilokheri. Hence, Para may be dropped.	

The Committee has desired to keep the para pending.

[52]

Appendix-‘ZII’

As referred to in **Para 3 of Part-II(C)** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions(PRIs)

Statement showing the position of Arrear and other dues in respect of Zila Parishad.

Sr. No.	Name of Zila Parishad	Period of audit	Rent ofshops ₹	Rent of Building ₹	Rent of Khokhas ₹
1.	Gurugram	4/14 to 3/15	92,85,292	7,62,759	57,87,549
2.	Rohtak	4/14 to 3/15		9,85,713	
	Total		92,85,292	17,48,472	57,87,549
Grand Total :			1,68,21,313		

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Para No.	Period of Audit	Name Of Zila Parishad	Particular of Para		Reply of Department	Remarks
	3	2015-16	Statement showing the position of arrear and other dues in respect of Zila Parishad (Appendix 'Z II'.)				
			Rent of Shops	Rent of Building	Rent of Khokhas		
1	4/14 to 3/15	Gurugram	9285292/-	762759/-	5787549/-	Rs. 23,80,230/- has been recovered as rent of shop and 69,05,062/- is outstanding, Rs. 58048/- has been recovered as rent of building and Rs. 7,04,711/- is outstanding and Rs. 3,54,145/- has been recovered as Khokha Rent and 34,33,404/- is outstanding.	23,80,230/- 58,048/- 3,54,145/-
2	4/14 to 3/15	Rohtak	0	985713/-	0	The amount has been recovered by XEN, PR, Rohtak. Para may be dropped.	9,85,713/-
		Total	9285292/-	1748472/-	5787549/-		37,78,136/-
		G. Total		16821313/-			
		Recovered		3778136/-			
		Balance		13043177/-			

The Committee has desired to keep the para pending

[53]

Appendix-'Z'

As referred to in **Para 6 of Part-II (C) NON/SHORT RECOVERY & LOSS OF REVENUE** of the Annual Audit Report of Local Audit Department, Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

27 no. of shops were constructed by the Zila Parishad, Sonipat in place of old veterinary hospital building in the city, out of which only 4 no. of shops have been let out and the remaining 23 shops are lying vacant since a long period.

Non letting of 23 shops resulted in recurring loss of revenue of Parishad, Sonipat fund.

The Department in its written reply stated as under:-

Sr. No.	Para No.	Period of Audit	Name of Zila Parishad	Particular of Para	Reply of Department	Remarks
				Non/short recovery and loss of Revenue. Zila Parishad, Sonipat.		
1	6	2015-16	Sonipat	27 No. of Shops were constructed by the Zila Parishad in place of old veterinary hospital building in the city, out of which on 4 No. of shops have been let out and the remaining 23 shops are lying vacant since a long period. Non letting of 23 shops resulted in recurring loss of revenue to Zila Parishad fund.	27 shops mentioned in para were not letted out and due to this, these shops have been destroyed. Thereafter, this condemned shops/land was transferred to M.C. Sonipat vide letter No. 1243-45 Dated 03.02.2016 at the level of Commissioner, Rohtak.	

The Committee has desired to keep the para pending.

Statement showing the outstanding observation/recommendation of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions Committee of the Haryana Vidhan Sabha on which the Government is yet to take final decision:-

PART- I

**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT ANNUAL TECHNICAL INSPECTION
REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & LOCAL BODIES FOR THE
YEAR 2011-2012 TO 2016-2017, AUDITED BY THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA**

Sr. No.	Pending Paragraphs	Brief subject
1.	4.1.1 (2011-13)	Non-realization of rent Rs. 42.11 lakhs.
2.	4.9 (2011-13)	Encroachment of Land
3.	4.2.2.4 (2015-16)	Loss of revenue due to inaction
4.	4.2.2.6 (2015-16)	Non-levy of installation/ license and processing fee on Dish-Antenna of Automated Teller Machines (ATMs).
5.	4.6 (2015-16)	Excess payment of EPF to man power supplying agencies.
6.	4.7 (2015-16)	Irregularities relating to Solid Waste Management (SWM)
7.	4.1 (2016-17)	Non- obtaining of bank guarantee resulted in non-recovery.

PART- II

**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT ANNUAL TECHNICAL INSPECTION
REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & LOCAL BODIES FOR
THE YEAR 2017-2018 & 2018-2019, AUDITED BY
THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA**

Sr. No.	Pending Paragaraph	Brief subject
8.	4.1.2.1	Non-preparation of plans
9.	4.1.2.2	Non-establishment of Area Sabha and Ward Committee
10.	4.1.3 (Financial Management) 4.1.3.2	Non-adjustment of outstanding advances
11.	4.1.3.3	Non-availment of exemption from Goods & Services Tax
12.	4.1.3.5	Purchase of store items on quotation basis instead of e-tendering
13.	4.1.4.5	Swachh Bharat Mission (Urban)
14.	4.1.5.2	Loss due to change in specifications
15.	4.1.6.1	Unauthorized installation of mobile/communication towers
16.	4.1.6.2	Non-recovery of Property tax including fire tax
17.	4.1.6.3	Non-recovery of rent of shops
18.	4.1.6.4	Loss of revenue for trade and commercial activities
19.	4.1.6.5	Non-recovery of Municipal Electricity Tax
20.	4.1.6.6	Loss of revenue due to delay in tendering process on outdoor advertisement
21.	4.1.6.7	Non-realization of revenue due to dishonored cheques
22.	4.1.6.8	Non-realization of fire charges
23.	4.1.6.9	Non-recovery of contract amount
24.	4.1.7.1	Encroachment of land
25.	4.1.7.2	Irregular running of marriage palaces/halls
26.	4.1.7.3	Loss due to lack of co-ordination between MCG and Police department

27.	4.1.7.4	Shortage of staff
28.	4.1.7.5	Non-preparation of Annual Accounts
29.	4.2.2 (Financial Management) 4.2.2.1	Delay in release and unauthorized retention and utilization of funds
30.	4.2.2.2	Non-utilization of funds
31.	4.2.2.3	Diversion of project funds towards pay and allowances
32.	4.2.2.4	Non-maintenance of separate bank account
33.	4.2.3.1	Projects not taken on priority basis
34.	4.2.3.2	Payment of mobilization advance in contravention of NIT conditions
35.	4.2.3.3	Irregular allotment of work on single tender
36.	4.2.3.4	Allotment of work without obtaining clearances from departments
37.	4.2.3.5	Capacity building and monitoring
38.	4.2.4	Conclusions

PART- III

**DEVELOPMENT & PANCHAYATS DEPARTMENT ANNUAL AUDIT REPORT OF THE
LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL
BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) FOR THE YEAR 2015-16
PART- II-A (GRAM PANCHAYATS), AUDITED BY THE DIRECTOR,
LOCAL (AUDIT) DEPARTMENT HARYANA**

Sr. No.	Pending Paragaraph	Brief subject
39.	3 (i) of Part II(A) Appendix- I	Misappropriation/likely cases of Embezzlement
40.	3 (ii) of Part II(A) Appendix- J	Cases of Embezzlement, Misappropriation
41.	3 (iii) of Part II(A) Appendix- K	Cases in which income realized by Gram Panchayat
42.	3 (iv) of Part II(A) Appendix- L	Grant in Aid/Land Tax/Lease Money/Wine share and interest etc.
43.	3 (v) of Part II(A) Appendix- M	Cases of suspected embezzlements/Misappropriations/Fraudulent payments
44.	4 of Part II(A) Appendix- N	Relates of irregular expenditure incurred in the excess of prescribed limit
45.	4 of Part II(A) Appendix- O	Relates to the cases of Fee paid to the Counsellors in excess of prescribed limit
46.	4 of Part II(A) Appendix- P	Relates to the cases of Non-Deduction of Sale Tax, Income tax from the building material suppliers
47.	4 of Part II(A) Appendix- Q	Relates to the cases of Purchase of RCC Pipes from open market
48.	4 of Part II(A) Appendix- R	Relates to the Statement showing outstanding Amount of Lease Money of Shamlat Land etc.

PART- IV

**DEVELOPMENT & PANCHAYATS DEPARTMENT ANNUAL AUDIT REPORT OF THE
LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL
BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) FOR THE YEAR 2015-16
PART- II-B (PANCHAYAT SAMITI) AND PART- II-C (ZILA PARISHAD),
AUDITED BY THE DIRECTOR, LOCAL (AUDIT) DEPARTMENT HARYANA**

Sr. No.	Pending Paragraphs	Brief subject
49.	3 of Part II (B) Appendix- U	Temporary Advances outstanding in case of Panchayat Samitis
50.	4 of Part II (B) Appendix- V	Arrear and other dues of Panchayat Samitis
51.	6(ii) of Part II (B) Appendix- Y	Irregular Excess and Avoidable Expenditure in case of Panchayat Samitis
52.	3 of Part II (C) Appendix- Z-II	Arrear and other dues of Zila Parishad
53.	6 of Part II (C) Appendix- Z	Non/Short recovery & Loss of revenue of Zila Parishad, Sonipat